



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102026-277439
CG-DL-E-27102026-277439

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2— अनुभाग 1क

PART 2 — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2	नई दिल्ली, सोमवार, 29 जून, 2026/8 आषाढ़, 1948 (शक)	खण्ड LXII
No. 2	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ASHADHA 8, 1948 (SAKA)	Vol. LXII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 2026/8 आषाढ़, 1948 (शक)

दि कंपीटिशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2023; (2) दि जन विश्वास (अमेंडमेंट आफ प्रोविजन्स) ऐक्ट, 2023; (3) दि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024; और (4) दि बॉयलर्स ऐक्ट, 2025 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, June 29, 2026/Ashadha 8, 1948 (Saka)

The Competition (Amendment) Act, 2023; (2) The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023; (3) The Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 and (4) The Boilers Act, 2025 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

पृष्ठ

1. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 9) 203
The Competition (Amendment) Act, 2023
2. जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 18) 231
The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023
3. भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 16) 299
The Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, Act, 2024
4. बॉयलर अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 12) 319
The Boilers Act, 2025

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 9)

[11 अप्रैल, 2023]

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

कतिपय पदों के प्रतिनिर्देश के स्थान पर कतिपय अन्य पदों का प्रतिस्थापन ।

2. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में,—

(क) “कंपनी अधिनियम, 1956” शब्दों और अंकों, जहां-कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, “कंपनी अधिनियम, 2013” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) “1956 का 1” अंक और शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, “2013 का 18” अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(डक) “प्रतिबद्धता” से धारा 48ख में निर्दिष्ट प्रतिबद्धता अभिप्रेत है ;’

(ख) खंड (ज) में, “ऐसा कोई व्यक्ति या सरकार का विभाग” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “से संबंधित हैं” शब्दों पर समाप्त होने वाले, भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“ऐसा कोई व्यक्ति या सरकार का विभाग, जिसमें यूनिट, प्रभाग, समनुषंगी भी हैं, जो वस्तु या माल के उत्पादन, भंडारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण या किसी प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था करने या विनिधान से संबंधित किसी आर्थिक क्रियाकलाप में, या किसी अन्य निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, हामीदारी या संव्यहार के कारबार में या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसकी एक या अधिक इकाइयों या प्रभागों या समनुषंगियों के माध्यम से लगा हुआ है, या लगा रहा है, किंतु इसके अंतर्गत सरकार का कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं आता है जो सरकार के संप्रभु कृत्यों जिनके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा, करेंसी, रक्षा तथा अंतरिक्ष से संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप भी हैं, से संबंधित हैं ;’

(ग) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(टक) “पक्षकार” के अंतर्गत, यथास्थिति, कोई उपभोक्ता या कोई उद्यम या कोई व्यक्ति या कोई सूचना प्रदाता या कोई उपभोक्ता संगम या कोई व्यापार संगम या केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या कोई कानूनी निकाय हैं और इसके अंतर्गत ऐसा कोई उद्यम या कोई व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसके विरुद्ध कोई जांच या कार्यवाही संस्थित की जाती है और कोई उद्यम या व्यक्ति है, जिसे आयोग द्वारा कार्यवाहियों में सम्मिलित करने के लिए पक्षकार बनाया गया है ;’

(घ) खंड (ठ) के उपखंड (vi) में, “कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ड) खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(त) “लोक वित्तीय संस्था” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2

2003 का 12

1956 का 1

2013 का 18

1956 का 1

2013 का 18

2013 का 18

के खंड (72) में यथा परिभाषित लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई राज्य वित्तीय निगम, राज्य औद्योगिक निगम या राज्य विनिधान निगम भी है ;”;

(च) खंड (न) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(न) “सुसंगत उत्पाद बाजार” से ऐसा बाजार अभिप्रेत है, जो उन सभी उत्पादों या सेवाओं से मिलकर बना है,—

(i) जो उत्पादों या सेवाओं की विशिष्टताओं, उनकी कीमत और आशयित उपयोग के कारण उपभोक्ता द्वारा अन्तर परिवर्तनीय या प्रतिस्थापनीय माने जाते हैं ;

(ii) जिनका उत्पादन या पूर्ति को पूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे उत्पादों और सेवाओं के बीच उत्पादन को बदलने और लघु अवधि में सापेक्ष कीमतों में लघु और स्थायी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में जिनका विपणन करने में कोई विशिष्ट अतिरिक्त लागत या जोखिम उपगत किए बिना अन्तर परिवर्तनीय या प्रतिस्थापनीय माना जाता है ;”;

(छ) खंड (प) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(पक) “समझौता” से धारा 48क में निर्दिष्ट समझौता अभिप्रेत है ;’।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

धारा 3 का
संशोधन ।

(क) उपधारा (3) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि कोई उद्यम या उद्यमों का संगम या कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम यद्यपि जो समान या वैसे ही व्यापार में नहीं लगे हुए हैं, की भी इस उपधारा के अधीन करार के भाग के रूप में उपधारणा की जाएगी यदि वह ऐसे करार को अग्रसर करने में भाग लेता है या भाग लेने का आशय रखता है ।”;

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) “उद्यमों या व्यक्तियों के बीच कोई करार” शब्दों के स्थान पर, “उद्यमों या व्यक्तियों के बीच कोई अन्य करार, जिसके अंतर्गत उद्यम या व्यक्ति के बीच करार है किंतु यह उस तक सीमित नहीं है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, “प्रदाय” शब्द के स्थान पर, “व्यौहार” शब्द रखा जाएगा ;

(iii) स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी उद्यम और अन्य उपभोक्ता के बीच हुए किसी करार को लागू नहीं होगी ।”;

(iv) स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

‘(क) “इंतजाम करने में सहबद्धता” के अंतर्गत कोई ऐसा करार सम्मिलित है, जो माल या सेवाओं के क्रेता से ऐसे क्रय की शर्त के रूप में कोई अन्य सुभिन्न माल या सेवाओं को क्रय करने के लिए की गई हो ;

(ख) “अनन्य व्यौहार करार” के अंतर्गत कोई करार सम्मिलित है, जो किसी भी रीति में, यथास्थिति, क्रेता या विक्रेता को उसके व्यापार के अनुक्रम में, यथास्थिति, विक्रेता या क्रेता या किसी अन्य व्यक्ति के माल या सेवाओं से भिन्न किन्हीं माल या सेवाओं के अर्जन या विक्रय या अन्यथा उनमें व्यौहार को निर्बंधित करता है ;”

(ii) खंड (ग) में, “माल” शब्द, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वह आता है, के पश्चात्, “या सेवाएं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) में, “माल” शब्द, दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, के पश्चात्, “या सेवाएं” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) खंड (ड) में, “के अंतर्गत इस शर्त पर माल विक्रय करने का कोई करार भी है” शब्द के स्थान पर, “के अंतर्गत माल का विक्रय करने या सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी करार की दशा में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्बंधन भी है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5) के खंड (i) के उपखंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(छ) अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि ।”।

धारा 4 का
संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) के स्पष्टीकरण में, “विभेदकारी शर्त या कीमत” शब्दों के स्थान पर, “शर्त या कीमत” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 5 का
संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(अ) खंड (ग) के उपखंड (ii) की मद (आ) में, “भारत” शब्द के स्थान पर, “भारत; या” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(घ) किसी उद्यम के किसी नियंत्रण, शेयरों, मतदान अधिकारों या आस्तियों के अर्जन, विलयन या समामेलन के संबंध में किसी संव्यवहार का मूल्य दो हजार करोड़ रुपए से अधिक होता है :

परंतु उद्यम, जिसको अर्जित किया जा रहा है, नियंत्रण में लिया जा रहा है, विलय किया जा रहा है या समामेलित किया जा रहा है, के भारत में ऐसे सारवान् कारबार प्रचालन है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(ड) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां या तो भारत में उद्यम की आस्तियों के मूल्य या व्यापारावर्त का अर्जन किया जा रहा है, उनका नियंत्रण किया जा रहा है, विलयन या समामेलन किया जा रहा है, जो ऐसे मूल्य से अधिक नहीं है,

जो विहित किया जाए, वहां ऐसा अर्जन, नियंत्रण, विलयन या सम्मेलन धारा 5 के अधीन समुच्चय का गठन नहीं करेगा।”;

(इ) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “नियंत्रण” से किसी भी रीति में, वह जो भी हो, निम्नलिखित के द्वारा प्रबंधन या कार्यकलापों या सामरिक वाणिज्यिक विनिश्चयों पर तात्त्विक प्रभाव डालने की योग्यता—

(i) किसी अन्य उद्यम या समूह पर एक या अधिक उद्यम द्वारा या तो संयुक्त रूप से या एकल रूप से ; या

(ii) किसी अन्य समूह या उद्यम पर एक या अधिक समूह द्वारा या तो संयुक्त रूप से या एकल रूप से,

अभिप्रेत है ;

(ख) “समूह” से दो या अधिक ऐसे उद्यम अभिप्रेत हैं, जहां एक उद्यम प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः :—

(i) किसी अन्य उद्यम में छब्बीस प्रतिशत या मतदान अधिकारों को ऐसी अन्य उच्चतर प्रतिशतता, जो विहित की जाए, का प्रयोग करने की ; या

(ii) किसी अन्य उद्यम में निदेशक बोर्ड में पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों की नियुक्ति करने की ; या

(iii) किसी अन्य उद्यम के प्रबंधन या कार्यों का नियंत्रण करने की, स्थिति में है ;

(ग) “आवर्त” से कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा, उस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में, जिसमें धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन नोटिस फाइल किया गया है, कंपनी के अंतिम उपलब्ध संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रमाणित आवर्त अभिप्रेत है और भारत में ऐसे आवर्त का अवधारण अंतःसमूह विक्रय, अप्रत्यक्ष कर, व्यापार बट्टा और सभी रकमों, जो भारत से बाहर के ग्राहकों से आस्तियों या कारबार के माध्यम से सृजित की गई हैं, जैसा कि कानूनी लेखापरीक्षक द्वारा उस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में, जिसमें धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन नोटिस फाइल किया गया था, कंपनी के अंतिम उपलब्ध संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर प्रमाणित किया गया है, को अपवर्जित करके अवधारण किया जाएगा ;

(घ) “संव्यवहार के मूल्य” में किसी अर्जन, आमेलन या सम्मेलन के लिए प्रत्येक मूल्यवान प्रतिफल, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या आस्थगित हो, सम्मिलित है ।

(ङ) आस्तियों के ऐसे मूल्य का अवधारण उद्यम की संपरीक्षित लेखा बहियों में उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें प्रस्तावित समुच्चय की तारीख आती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, यथादर्शित आस्तियों के बही मूल्य को लेकर किया जाएगा और यदि ऐसा वित्तीय विवरण उस

वित्तीय वर्ष, जिसमें धारा 6 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन नोटिस फाइल किया जाता है, के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कंपनी के अंतिम उपलब्ध संपरीक्षित लेखाओं के आधार पर की गई कानूनी संपरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार तब कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने के लिए अभी तक देय नहीं हुआ है, जो किसी अवक्षयण को घटाकर आए और धारा 3 की उपधारा (5) में उपबंधित विधियों के अधीन आस्तियों के ऐसे मूल्य में ब्रांड मूल्य, गुडविल मूल्य या प्रतिलिप्याधिकार, पेटेंट, अनुज्ञात उपयोग, सामूहिक चिह्न, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न, रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, श्रुतिसम भौगोलिक उपदर्शन, भौगोलिक उपदर्शन, डिजाइन या अभिन्यास-डिजाइन या वैसे ही अन्य वाणिज्यिक अधिकारों का मूल्य भी है ;”;

2013 का 18

(च) जहां किसी उद्यम या प्रभाग या कारबार का कोई भाग अर्जित किया जा रहा है, उसको नियंत्रण में लिया जा रहा है, उसे किसी अन्य उद्यम के साथ विलय या समामेलित किया जा रहा है वहां भाग या प्रभाग या कारबार या जो इसके कारण हुए माने जा सकते हैं, की आस्तियों का मूल्य या आवर्त या संव्यवहार का मूल्य, जैसा भी लागू हो, धारा 5 के अधीन अवसीमाओं के लागू होने के प्रयोजन के लिए सुसंगत आस्तियां या आवर्त या संव्यवहार का सुसंगत मूल्य होगा ।’।

धारा 6 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) “तीस दिन के भीतर” शब्दों के स्थान पर “निम्नलिखित में से किसी के पश्चात् किंतु समुच्चय की समाप्ति से पूर्व” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, “खंड (ग)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, “और खंड (घ)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) में, “खंड (क)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, “और खंड (घ)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “अन्य दस्तावेज” से कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या आस्तियां अर्जित करने के लिए करार या विनिश्चय को बताता हो, यदि अर्जन अर्जित किए जाने वाले उद्यम की सहमति के बिना किया जाता है, अर्जन करने वाले उद्यम द्वारा निष्पादित कोई दस्तावेज, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो नियंत्रण, शेयर या मतदान अधिकार के अर्जन के विनिश्चय को बताता हो या जहां शेयरों, मतदान अधिकारों का अर्जन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का सारवान् अर्जन और ग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार कोई लोक उद्घोषणा की गई है ।’;

1992 का 15

(ख) उपधारा (2क) में, “दो सौ दस दिन” शब्दों के स्थान पर, “एक सौ पचास दिन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, “धारा 29, धारा 30 और धारा 31” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 29, धारा 29क, धारा 30 और धारा 31” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) और उपधारा (5) तथा स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(4) उपधारा (2क) और उपधारा (3) तथा धारा 43क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई समुच्चय ऐसे मानदंड को पूरा करता है, जो विहित किया जाए और उपधारा (2) के अधीन आयोग को नोटिस देने की अपेक्षा से इस अधिनियम के अधीन अन्यथा छूट प्राप्त नहीं है, तब ऐसे समुच्चय के लिए नोटिस आयोग को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तावित समुच्चय के ब्यौरों का प्रकटन करते हुए दिया जा सकेगा और तत्पश्चात् उपधारा (2) के अधीन ऐसे समुच्चय के लिए एक पृथक् नोटिस देना अपेक्षित नहीं होगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन नोटिस फाइल किए जाने पर और आयोग द्वारा उसकी अभिस्वीकृति पर, प्रस्तावित समुच्चय को धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा तथा उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन कोई अन्य अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा ।

(6) यदि धारा 20 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, आयोग यह पाता है कि उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित समुच्चय उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है या दी गई सूचना या और की गई घोषणाएं तात्त्विक रूप से सही नहीं हैं या अपूर्ण हैं, उपधारा (5) के अधीन दिया गया अनुमोदन प्रारंभ से ही शून्य होगा और आयोग ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परंतु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक समुच्चय को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

(7) इस धारा और धारा 43क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मानदंड को पूरा करने पर उपधारा (2), उपधारा (2क) और धारा 4 का अनुपालन करने की अपेक्षा से समुच्चयों के कतिपय प्रवर्गों को छूट दी जाएगी ।

(8) उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(i) इन उपधाराओं में निर्दिष्ट विषयों पर, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम और विनियम, जैसा कि वह प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के लागू होने से ठीक पूर्व थे और ऐसे प्रारंभ होने पर प्रवृत्त थे ऐसे समय तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक, यथास्थिति, नियम या विनियम इस अधिनियम के अधीन नहीं बनाए जाते हैं ; और

(ii) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों और विनियमों के अधीन या उनके अनुसरण में पारित किया गया कोई आदेश या अधिरोपित कोई फीस या बनाया गया समुच्चय या पारित संकल्प या दिया गया निदेश या निष्पादित या जारी किया गया लिखत या की गई कोई बात, यदि प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ पर प्रवृत्त है तो वह प्रवृत्त बनी रहेगी और उसका ऐसे प्रभाव होगा मानो ऐसा पारित आदेश या ऐसी अधिरोपित फीस या ऐसा बनाया गया समुच्चय या ऐसा पारित संकल्प या ऐसा दिया गया निदेश या ऐसा निष्पादित या जारी किया गया लिखत इस अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में किया गया है।

(9) इस धारा के उपबंध किसी शेयर प्रतिश्रुति या वित्तपोषणकारी सुविधा या किसी लोक वित्तीय संस्था अर्जन, विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता, बैंक या प्रवर्ग 1 अनुकल्पी विनिधान निधि को किसी ऋण करार या विनिधान करार की प्रसविदा को लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद—

(क) “प्रवर्ग 1 अनुकल्पी विनिधान निधि” का वही अर्थ है, जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 में उसका है ;

1992 का 15

(ख) “विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता” का वही अर्थ है, जो उसका भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 में उसका है।’

1992 का 15

नई धारा 6क का अंतःस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

खुली प्रस्थापनाएं, आदि।

“6क. धारा 6 की उपधारा (2क) और धारा 43क में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी खुली प्रस्थापना के कार्यान्वयन या किसी विनियमित स्टॉक विनियम पर संव्यवहारों की किसी श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न विक्रेताओं से, अन्य प्रतिभूतियों में संपरिवर्तनीय शेयरों या प्रतिभूतियों के अर्जन को नहीं रोकेगी, यदि—

(क) आयोग के पास अर्जन का नोटिस ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में फाइल किया गया हो जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ; और

(ख) अर्जनकर्ता, ऐसे शेयरों में या संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों में किन्हीं स्वामित्व या फायदाप्रद अधिकारों या हित, जिनके अंतर्गत मतदान अधिकार और लाभांश या किन्हीं अन्य संवितरणों की प्राप्ति भी है, का सिवाय उसके जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग तब तक नहीं करता है, जब तक आयोग अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार ऐसे अर्जन का अनुमोदन नहीं कर देता है।”

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “खुली प्रस्थापना” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय

1992 का 15

प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का सारवान् अर्जन और ग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार की गई खुली प्रस्थापना अभिप्रेत है ।'।

9. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में, "उद्योग" शब्द के पश्चात्, "प्रौद्योगिकी" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।

धारा 8 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) में, "उद्योग" शब्द के पश्चात्, "प्रौद्योगिकी" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

धारा 9 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 12 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना ।

"12. (1) अध्यक्ष और अन्य सदस्य, उस तारीख से, जिसको उसका पद धारण करना समाप्त हो जाता है दो वर्ष की अवधि तक परामर्शदाता, रिटेनर या किसी अन्य हैसियत में, चाहे वह जो भी हो, निम्नलिखित के प्रबंधन या प्रशासन में कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे या सलाह नहीं देंगे या उससे संबद्ध नहीं होंगे,—

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नियोजन पर निर्बंधन ।

(क) कोई ऐसा उद्यम, जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में पक्षकार है या रहा है ; या

(ख) कोई व्यक्ति, जो आयोग के समक्ष धारा 35 के अधीन उपस्थित होता है या उपस्थित हुआ है ।

(2) धारा 35 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, सेवानिवृत्ति या अन्यथा किसी कारण से सेवा में न रहने पर, आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या उद्यम का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा :

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन या किसी कानूनी प्राधिकरण या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित किसी निगम में या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी में किसी नियोजन को लागू नहीं होगी ।";

2013 का 18

12. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में, "केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के उल्लंघन की जांच करने में आयोग की सहायता करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किए गए हैं या उपबंधित किए जाएं, महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी ।" शब्दों के स्थान पर, "आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के उल्लंघन की जांच करने में आयोग की सहायता करने के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित किए गए हैं या उपबंधित किए जाएं, महानिदेशक नियुक्त कर सकेगी ।" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 16 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 18 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"18. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी प्रथाओं को समाप्त करे, जो प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल

आयोग के कर्तव्य और कृत्य ।

प्रभाव डालती है, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करे और उसे बनाए रखे, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करे और भारत के बाजारों में, अन्य सहभागियों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे :

परंतु आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन या अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विदेशी अभिकरण के साथ कोई ज्ञापन या ठहराव कर सकेगा :

परंतु यह और कि आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन या अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए, किसी कानूनी प्राधिकरण या सरकार के विभाग के साथ कोई ज्ञापन या ठहराव कर सकेगा ।”।

धारा 19 का
संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु आयोग तब तक कोई सूचना या निर्देश ग्रहण नहीं करेगा, जब तक यह उस तारीख से, जिसको हेतुक उत्पन्न हुआ है, तीन वर्ष की अवधि के भीतर फाइल नहीं किया गया हो :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् कोई सूचना या निर्देश ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विलंब को माफ करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् सूचना या निर्देश को ऐसी अवधि के भीतर फाइल न करने का पर्याप्त कारण रहा था ।”

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ग) में, “बाजार में प्रवेश को प्रतिबंधित करके” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में, “फायदों का प्रोद्भवन” शब्दों के स्थान पर, “फायदे या हानि का प्रोद्भवन” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) में, खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(झ) माल की विशेषताएं या सेवाओं की प्रकृति ; और

(ज) अन्य क्षेत्रों में पूर्ति या मांग को परिवर्तित करने में सहयुक्त लागत ;”;

(घ) उपधारा (7) में,—

(i) खंड (क) में, “उसका अंतिम उपयोग” शब्दों के पश्चात्, “या सेवाओं की प्रकृति” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(छ) अन्य माल या सेवाओं की मांग या पूर्ति को परिवर्तित करने में सहयुक्त लागत ;

(ज) ग्राहकों के प्रवर्ग ।

15. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—धारा 20 का
संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, “या उस धारा के खंड (ग) में निर्दिष्ट विलयन या समामेलन के संबंध में” शब्दों, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, “धारा 5 के खंड (ग) या किसी उद्यम के नियंत्रण, शेयर, मतदान अधिकार या आस्तियों के अर्जन या उस धारा के खंड (घ) में निर्दिष्ट विलयन या समामेलन के संबंध में” शब्द रखे जाएंगे ;

‘(ख) उपधारा (3) में, “अधिसूचना द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक या रूपए या विदेशी करेंसी की विनियम दर में उतार-चढ़ाव के आधार पर उस धारा के प्रयोजनों के लिए आस्तियों के मूल्य या व्यापारावर्त के मूल्य में वृद्धि या कमी करेगी” शब्दों के स्थान पर, “अधिसूचना द्वारा, थोक मूल्य सूचकांक या रूपए या विदेशी करेंसी की विनियम दर में उतार-चढ़ाव या ऐसे कारकों, जो उसकी राय में इस मामले में सुसंगत हैं, के आधार पर, आस्तियों के मूल्य या आवर्त के मूल्य या संव्यवहार के मूल्य में वृद्धि या कमी करेगी या उसे उसी स्तर पर रखेगी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) के खंड (ग) में, “समुच्चय” शब्द के स्थान पर, “संकेंद्रन” शब्द रखा जाएगा ।

16. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—धारा 21 का
संशोधन ।

“परंतु कोई कानूनी प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से आयोग को किसी ऐसे मुद्दे को निर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें, यथास्थिति, इस अधिनियम का कोई उपबंध अंतर्वलित है या जो इस अधिनियम के उद्देश्यों का संवर्धन करने से संबंधित है ।”।

17. मूल अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (1) में,—धारा 21क का
संशोधन ।

(क) “इस अधिनियम” शब्दों के स्थान पर, “अधिनियम” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु आयोग, स्वप्रेरणा से किसी कानूनी प्राधिकरण को किसी ऐसे मुद्दे पर निर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें अधिनियम के उपबंध अंतर्वलित हैं, जिनका कार्यान्वयन उस कानूनी प्राधिकरण को सौंपा गया है ।”।

18. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) में, “और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा” शब्दों का लोप किया जाएगा ।धारा 22 का
संशोधन ।**19. मूल अधिनियम की धारा 26 में,—**धारा 26 का
संशोधन ।

(क) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) आयोग, धारा 3 में निर्दिष्ट करार या धारा 4 के अधीन किसी उद्यम या समूह के संचालन की जांच नहीं कर सकेगा, यदि वही या सारतः उन्हीं तथ्यों और विवादों को जिन्हें धारा 19 के अधीन प्राप्त जानकारी में उठाया गया है या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी प्राधिकारी से प्राप्त निर्देश पर उसके पूर्ववर्ती आदेश में

आयोग द्वारा पहले ही विनिश्चय किया गया है।”;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“(3क) यदि, उपधारा (3) में निर्दिष्ट महानिदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, आयोग कि यह राय है कि अतिरिक्त अन्वेषण की आवश्यकता है तो मामले में अतिरिक्त जांच के लिए महानिदेशक को निदेश दे सकेगा।

(3ख) महानिदेशक, उपधारा (3क) के अधीन निदेश की प्राप्ति पर मामले का अन्वेषण करेगा और अपने निष्कर्षों पर एक अनुपूरक रिपोर्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा।”;

(ग) उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक “उपधारा (3)” के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, “उपधारा (3) और उपधारा (3ख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (5) में शब्द, कोष्ठक और अंक “उपधारा (3)” के स्थान पर, “उपधारा (3ख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (8) में शब्द, कोष्ठक और अंक “उपधारा (3)” के स्थान पर, “उपधारा (3) और उपधारा (3ख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(9) यथास्थिति, उपधारा (7) या उपधारा (8) के अधीन अन्वेषण या जांच के पूरा होने पर आयोग मामले को बंद करने का कोई आदेश पारित कर सकेगा या धारा 27 के अधीन कोई आदेश पारित कर सकेगा और इस आदेश की एक प्रति यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या कानूनी प्राधिकरण या संबद्ध पक्षकारों को भेज सकेगा :

परंतु ऐसे आदेश को पारित करने के पूर्व आयोग, किए गए अभिकथित उल्लंघनों को दर्शाते हुए और ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा संबद्ध पक्षकारों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देकर कारण बताओ सूचना जारी करेगा।” ।

धारा 27 का
संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 27 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या उद्यम पर, जो ऐसे करार या ऐसी अपनी प्रधान स्थिति का दुरुपयोग किया है, ऐसी शास्ति अधिरोपित करना, जो वह उचित समझे किंतु वह गत तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के, यथास्थिति, औसत व्यापारावर्त या आय के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु किसी उत्पाद संघ के साथ धारा 3 में निर्दिष्ट कोई करार किए जाने की दशा में, आयोग उस उत्पादन संघ में सम्मिलित प्रत्येक उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके लाभ के तीन गुणा तक या ऐसे करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए उसके, यथास्थिति, आवर्त या आय के दस प्रतिशत तक की, इनमें से

जो भी अधिक हो, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, पद, यथास्थिति, “आवर्त” या “आय”, ऐसी रीति में निर्धारित किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “आवर्त” से किसी व्यक्ति या उद्यम द्वारा सभी उत्पादों और सेवाओं से व्युत्पादित सार्वत्रिक आवर्त अभिप्रेत है ।’।

21. मूल अधिनियम की धारा 29 में,—

धारा 29 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में शब्द “तीस दिनों के भीतर” के स्थान पर “पन्द्रह दिनों के भीतर” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1ख) आयोग धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपनी प्रथम दृष्टया राय बनाएगा ।”;

(ग) उपधारा (2) में,—

(i) शब्द “सात कार्य दिवसों के भीतर” के स्थान पर “सात दिन के भीतर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शब्द “दस कार्य दिवसों के भीतर” के स्थान पर “सात दिन के भीतर” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3) में, शब्द “पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर” के स्थान पर “दस दिन के भीतर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (4) में, शब्द “पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर” के स्थान पर “सात दिन के भीतर” शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (5) में, शब्द “पन्द्रह दिनों के भीतर” के स्थान पर “दस दिन के भीतर” शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(6) आयोग, सभी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात्, यथास्थिति, धारा 29क या धारा 31 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार मामले को निपटाने के लिए अग्रसर होगा ।

(7) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग समुच्चय के पक्षकारों द्वारा प्रस्थापित समुचित उपांतरों को स्वीकार कर सकेगा या स्वःप्रेरणा से प्रस्थापित उपांतरणों, जैसी भी स्थिति हो, उपधारा (1) के अधीन कोई प्रथम दृष्टतया राय बनाने से पूर्व प्रस्ताव कर सकेगा ।”।

22. मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 29क का अंतःस्थापन ।

आयोग द्वारा
आक्षेपों का विवरण
जारी करना और
उपांतरणों का
प्रस्ताव

“29क. (1) धारा 29 के अधीन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर, जहां आयोग की यह राय है कि समुच्चय ने प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव डाला है या डालने की संभावना है, यह प्रतिस्पर्धा पर ऐसे पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव की पहचान करते हुए पक्षकारों के आक्षेपों का कथन जारी करेगा और पक्षकारों को यह निदेश देगा कि वे आक्षेपों के कथन की प्राप्ति के पच्चीस दिन के भीतर यह स्पष्ट करें कि ऐसे समुच्चय को प्रभावी करने की अनुज्ञा क्यों दी जानी चाहिए।

(2) जहां समुच्चय के पक्षकार यह समझते हैं कि प्रतिस्पर्धा पर ऐसा पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव ऐसे समुच्चय के उपयुक्त उपांतरण द्वारा समाप्त किया जा सकता है, वहां उपधारा (1) के अधीन जारी आक्षेपों के कथन पर अपने स्पष्टीकरण के साथ समुच्चय के समुचित उपांतरण की प्रस्थापना कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा ऐसी रीति में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) यदि आयोग, उपधारा (2) के अधीन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपांतरण को स्वीकार नहीं करता है तो उस उपधारा के अधीन प्रस्तावित उपांतरणों की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर पक्षकारों को संसूचित करेगा कि क्यों न यह उपांतरण प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त उचित प्रभाव को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है और उक्त सूचना, पुनरीक्षित उपांतरण यदि कोई हो, की प्राप्ति के बारह दिन के भीतर उसे प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों से अपेक्षा करेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त किया जा सके :

परंतु आयोग ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति से बारह दिनों के भीतर उपांतरण के लिए ऐसे प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा :

परंतु यह और कि आयोग स्व:प्रेरणा से समुच्चय में समुचित उपांतरणों का प्रस्ताव कर सकेगा जिस पर समुच्चय के पक्षकारों द्वारा विचार किया जाए।”।

धारा 31 का
संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 31 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द “कतिपय” का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (1) में शब्द “ऐसे समुच्चय सहित” का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यदि आयोग, धारा 29 की उपधारा (1ख) के अधीन यथा उपबंधित प्रथमदृष्ट्या कोई राय नहीं बनाता है, तो समुच्चय अनुमोदित समझा जाएगा और कोई पृथक् आदेश पारित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।”;

(घ) उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(3) जहां आयोग की यह राय है कि प्रतिस्पर्धा पर ऐसा कोई पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव जो समुच्चय में है या होना संभाव्य है, यथास्थिति, धारा 29 की उपधारा (7) या धारा 29क की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन पक्षकारों या आयोग द्वारा प्रस्तावित उपांतरण समाप्त किया जा सकता है, वहां यह ऐसे उपांतरणों के अधीन रहते हुए समुच्चय को अनुमोदित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा किसी समुच्चय को

अनुमोदित किया जाता है, वहां ऐसे समुच्चय के पक्षकार आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर ऐसे उपांतरण को कार्यान्वित करेंगे।

(5) जहां—

(क) उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा यह निदेश दिया गया है कि समुच्चय प्रभावी नहीं होगा; या

(ख) समुच्चय के पक्षकार उपधारा (4) के अधीन आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर उपांतरण को कार्यान्वित करने में असफल रहता है; या

(ग) आयोग की यह राय है कि समुच्चय से प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है, जो ऐसे समुच्चय के उपयुक्त उपांतरण द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, तब किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो अधिरोपित की जा सकेगी या कोई अभियोजन जो अधिनियम के अधीन प्रारंभ किया जा सकेगा, आयोग, यथास्थिति, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा समुच्चय प्रभावी नहीं होगा या शून्य घोषित किया जाएगा या प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव का समाधान करने के लिए पक्षकारों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली स्कीम को विरचित कर सकेगा।

(6) यदि आयोग द्वारा, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा दी गई सूचना की तारीख से एक सौ पचास दिन की अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है या निदेश जारी नहीं किया जाता है समुच्चय, आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा।

(ड) उपधारा (7), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10), उपधारा (11) और उपधारा (12) का लोप किया जाएगा।”।

24. मूल अधिनियम की धारा 32 में, “29 और 30” अंकों और शब्दों के स्थान पर “29, 29क और 30” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 32 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 35 की उसकी निम्नलिखित उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित की जाएगी,—

धारा 35 का संशोधन।

(क) इस प्रकार संख्यांकित की गई उपधारा (1) में, “कोई व्यक्ति या कोई उद्यम” शब्दों के स्थान पर, “कोई पक्षकार” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) इस प्रकार संख्यांकित की गई उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई पक्षकार, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्रों से या किसी अन्य विधा से इस मामले से संबंधित किसी विषय के संबंध में किसी विशेषज्ञ की राय को उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञों को बुला सकेगा।”।

26. मूल अधिनियम की धारा 41 में,—

धारा 41 का संशोधन।

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(3) उपधारा (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पक्षकार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और अभिकर्ताओं जो अन्वेषणाधीन हैं, का यह कर्तव्य होगा कि वे—

(क) पक्षकार के या उससे संबंधित सभी सूचना, बहियों, कागजपत्रों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों की संरक्षित और प्रस्तुत करें, जो इस निमित्त महानिदेशक या उसके द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति की अभिरक्षा में हैं या शक्ति में हैं ; और

(ख) महानिदेशक को अन्वेषण के संबंध में सभी सहायता प्रदान करें ।

(4) महानिदेशक, उपधारा (3) में निर्दिष्ट पक्षकार से भिन्न किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके समक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे या ऐसी बहियां, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत करे, यदि ऐसी जानकारी या ऐसी बहियां, कागजपत्र, अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना इसके अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत या आवश्यक है ।

(5) महानिदेशक, एक सौ अस्सी दिन के लिए उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत की गई कोई जानकारी, या बहियां, कागजपत्रों, अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा और उसके पश्चात् उन्हें उस व्यक्ति को जिसके द्वारा या जिसकी ओर से जानकारी या ऐसी बहियां, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे, वापस कर देगा :

परंतु ऐसी जानकारी या ऐसी बहियां, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख महानिदेशक द्वारा मंगाएं जा सकेंगे, यदि उनकी लिखित में आदेश द्वारा एक सौ अस्सी दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए पुनः आवश्यक पड़ती है :

परंतु यह और कि महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत की गई जानकारी या ऐसी बहियां, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां, जो लागू हो, उस पक्षकार या व्यक्ति को उपलब्ध कराई जा सकेंगी जिसकी ओर से सूचना, बहियां, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख अपने ही खर्च पर प्रस्तुत किए गए हैं ।

(6) महानिदेशक शपथ पर अन्वेषण किए जा रहे पक्षकार के कार्यकलापों के संबंध में निम्नलिखित की परीक्षा कर सकेगा—

(क) अन्वेषण किए जा रहे अधिकारियों में से किसी अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी और पक्षकार के अभिकर्ता; और

(ख) आयोग के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति, और तदनुसार शपथ दिलाएगा और उस प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो ।

(7) उपधारा (6) के अधीन परीक्षा लेखबद्ध की जाएगी और इस प्रकार परीक्षा किए गए व्यक्ति को पढ़ कर सुनाया जाएगा या उसके द्वारा

उसे पढ़ा जाएगा और उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा तथा उसके पश्चात् उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त किया जा सकेगा ।

(8) जहां अन्वेषण के दौरान, महानिदेशक के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी पक्षकार या व्यक्ति के या उससे संबंधित सूचना, बहियां, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख, नष्ट, विकृत, परिवर्तित किए जा सकेंगे या उनका मिथ्याकरण किया जा सकेगा या उन्हें गुप्त रखा जा सकेगा, वहां महानिदेशक ऐसी सूचना, बहियां, कागजपत्र अन्य दस्तावेज या अभिलेख के अभिग्रहण के किसी आदेश के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली को आवेदन कर सकेगा ।

(9) महानिदेशक, उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसको सहायता देने के लिए, केंद्रीय सरकार के किसी पुलिस अधिकारी या किसी अधिकारी की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा और प्रत्येक ऐसे अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षाओं का पालन करे ।

(10) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, दिल्ली, आवेदन पर विचार करने और महानिदेशक को सुनने के पश्चात्, आदेश द्वारा महानिदेशक को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेगा—

(क) ऐसी सहायता के साथ, जो अपेक्षित हो ऐसे स्थान या स्थानों पर जहां ऐसी सूचना, बहियां, कागजपत्र, अन्य दस्तावेज या अभिलेख रखे गए हैं, प्रवेश करने के लिए;

(ख) ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में स्थान और स्थानों की तलाशी करने के लिए; और

(ग) अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, सूचना, बहियों, कागजपत्रों, अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों को अभिग्रहण करने के लिए, यदि वह आवश्यक समझता है :

परंतु अभिग्रहण की गई, यथास्थिति, सूचना, बहियों, कागजपत्रों, अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां पक्षकार या व्यक्ति को उपलब्ध कराई जा सकेंगी जिनके स्थान या स्थानों पर ऐसे दस्तावेजों को इनके खर्च पर अभिग्रहण किया गया है ।

(11) महानिदेशक, इस धारा के अधीन अभिग्रहण की गई ऐसी सूचना, बहियों, कागजपत्र, अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों को ऐसी अवधि के लिए जो अन्वेषण की समाप्ति से बाद की नहीं होगी, जो वह आवश्यक समझे, और उसके पश्चात्, उस पक्षकार या व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से उन्हें अभिगृहीत किया गया था और ऐसी वापसी की जानकारी मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को दी जाएगी:

परंतु महानिदेशक, ऐसी जानकारी या ऐसी बहियों, कागजपत्रों, अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों को वापस करने से पूर्व उसका या उन पर स्थान पहचान चिह्न या उसके किसी भाग की प्रतियां या उसके उद्धरण ले सकेगा ।

(12) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी और अभिग्रहण उस संहिता के अधीन किए गए

तलाशी या अभिग्रहण से संबंधित, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा

1974 का 2

(ख) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी व्यक्ति के संबंध में “अभिकर्ता” से ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या कार्य करने के लिए तात्पर्यित व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत बैंककार और ऐसे व्यक्ति द्वारा लेखा परीक्षकों और विधिक सलाहकारों के रूप में नियोजित व्यक्ति भी हैं;

(ख) किसी कंपनी या निगमित निकाय के संबंध में “अधिकारी” से निगमित निकाय या ऐसी कंपनी के डिबेंचर धारकों के लिए कोई न्यासी अभिप्रेत है;

(ग) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों या अभिकर्ताओं के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, पूर्व या वर्तमान अधिकारी और अन्य कर्मचारी या अभिकर्ता के प्रति निर्देश है ।’।

धारा 42 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 42 में,—

(क) उपधारा (2) में, “अधिनियम की धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 42(क) और धारा 43(क) के अधीन निकाले गए आयोग के आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अननुपालन होता है दस करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जैसा आयोग अवधारित करे, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “अधिनियम की धारा 6, धारा 27, धारा 28, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 42(क), धारा 43क, धारा 44 और धारा 45 के अधीन निकाले गए आयोग के आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अननुपालन होता है दस करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जैसा आयोग अवधारित करे एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, शास्ति के लिए दायी होगा” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, “उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित जुर्माने का संदाय” शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, “उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित शास्ति का संदाय” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 42क का संशोधन

28. मूल अधिनियम की धारा 42क में, “धारा 27 के अधीन” शब्दों और अंकों के स्थान पर “धारा 6 और धारा 27 के अधीन” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 43 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 43 में, शब्द “जुर्माने से दंडित होगा” के स्थान पर “शास्ति के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 43क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 43क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“43क. यदि कोई व्यक्ति या उद्यम धारा 6 की उपधारा 2(क) या उपधारा (4) के अधीन आयोग को सूचना देने में असफल रहता है या धारा 6 की उपधारा (2) का उल्लंघन करता है या धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन किसी जांच के अनुसरण में जानकारी प्रस्तुत करता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति या उद्यम पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो कुल आवर्त या आस्तियों या धारा 5 के खंड (घ) में निर्दिष्ट संव्यवहार के मूल्य के एक प्रतिशत तक विस्तारित हो सकेगा, ऐसे समुच्चय में, जो भी अधिक हो :

समुच्चय के जानकारी को अकृत्य करने के लिए शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

परंतु यदि किसी व्यक्ति या उद्यम ने धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन कोई सूचना दे दी है और ऐसी सूचना धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन प्रारंभतः शून्य पाई गई है, तब धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना समुच्चय के अर्जनकर्ता या पक्षकारों द्वारा दी जा सके, जो भी लागू हो उस धारा की उपधारा (6) के अधीन आयोग के आदेश के तीस दिन की अवधि के भीतर दी जा सकेगी और इस धारा के अधीन ऐसी तीस दिनों की अवधि की समाप्ति तक आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

31. मूल अधिनियम की धारा 44 में, खंड (ख) में शब्द “एक करोड़ रुपए” के स्थान पर “पांच करोड़ रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 44 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 45 में,—

धारा 45 का संशोधन ।

(क) पार्श्वशीर्ष में, “अपराध” शब्द के स्थान पर “उल्लंघन” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) में,—

(i) “धारा 44” शब्द और अंकों के स्थान पर “धारा 6 की उपधारा (6) और धारा 44” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) “जुर्माने से दंडनीय” शब्दों के स्थान पर “शास्ति के लिए दायी” शब्द रखे जाएंगे ।

33. मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 46 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

“46. (1) आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यापार संघ में सम्मिलित किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता ने, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने धारा 3 का अतिक्रमण किया है, अभिकथित अतिक्रमण की बाबत पूर्ण सत्य प्रकटन किया है, और ऐसा प्रकटन महत्पूर्ण है, ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर इस अधिनियम के अधीन उस समय या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति से कम ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए :

लघु शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

परंतु आयोग द्वारा ऐसे मामलों में कम शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी जिनमें ऐसा प्रकटन करने से पूर्व धारा 26 के अधीन निदेशित अन्वेषण की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है:

परंतु यह और कि आयोग द्वारा व्यापार संघ में सम्मिलित ऐसे किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक व्यापारी या सेवा प्रदाता की बाबत जिसने इस धारा

के अधीन पूर्ण, सत्य और महत्वपूर्ण प्रकटन किया है कम शास्ति अधिरोपित की जाएगी :

परंतु यह भी कि आयोग द्वारा कम शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी यदि प्रकटन करने वाला व्यक्ति आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के पूरा होने तक आयोग का सहयोग करना जारी नहीं रखता है :

परंतु यह भी कि आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यापार संघ में सम्मिलित ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता ने,—

(क) कार्यवाहियों के दौरान उस शर्त का पालन नहीं किया था, जिस पर आयोग द्वारा कम शास्ति, अधिरोपित की गई थी; या

(ख) उसने मिथ्या साक्ष्य दिया था ; या

(ग) किया गया प्रकटन महत्वपूर्ण नहीं है,

और तदुपरांत ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता का ऐसे उल्लंघन के लिए विचारण किया जा सकेगा, जिसकी बाबत कम शास्ति अधिरोपित की गई थी और वह ऐसी शास्ति अधिरोपित किए जाने का भी दायी होगा जिसके लिए यदि कम शास्ति अधिरोपित नहीं की गई होती, तो वह दायी होता ।

(2) आयोग किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता जिसमें व्यापार संघ भी सम्मिलित है, इस धारा के अधीन कम शास्ति के लिए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपना आवेदन वापस ले सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक और आयोग इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, अपनी स्वीकृति के सिवाय, कम शास्ति के लिए अपने आवेदन में किसी उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किसी साक्ष्य को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए हकदार होगा ।

(4) जहां अन्वेषण के दौरान, कोई ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता जिसने उपधारा (1) के अधीन किसी व्यापार संघ को प्रकटित किया है, किसी ऐसे अन्य व्यापार संघ उपधारा (1) के अधीन पूर्व, सही और महत्वपूर्ण प्रकटन करता है की बाबत जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने धारा 3 का अतिरिक्त किया है, जो धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम दृष्टया राय बनाने के लिए आयोग को समर्थ बनाता है, तब नए प्रकटित व्यापार संघ के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कम शास्ति अभिप्राप्त करने वाले उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पहले ही अन्वेषण किए गए व्यापार संघ की बाबत आयोग ऐसे उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिरोपित कर सकेगा ।”।

34. मूल अधिनियम की धारा 47 के स्थान पर “शास्तियों” शब्द के पश्चात् “आयोग द्वारा विधिक लागत की वसूली” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

35. मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 47 का संशोधन ।

धारा 48 के स्थान पर नई धाराओं का अंतःस्थापन ।

कंपनियों द्वारा
उल्लंघन ।

‘48 (1) जहां इस अधिनियम या उसके द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, आदेश या जारी किए गए निदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उल्लंघन किए जाने के समय, कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही उस कंपनी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आयोग ऐसे व्यक्ति पर ऐसी शास्ति, जो वह ठीक समझे, पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए आय की औसत का दस प्रतिशत से अनधिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :

परंतु यदि धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई करार, किसी व्यापार संघ द्वारा किया गया है तो आयोग इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर ऐसा करार के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए आय की दस प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात, ऐसे किसी व्यक्ति को, किसी शास्ति का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम, विनियम के किसी उपबंध, किए गए आदेश या जारी किए गए निदेश का कोई उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो गया है कि ऐसा उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से किया गया है या उनकी ओर उस उल्लंघन का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, आयोग ऐसे व्यक्तियों पर ऐसी शास्ति, जो वह ठीक समझे, पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए आय की औसत का दस प्रतिशत से अनधिक अधिरोपित कर सकेगा :

परंतु यदि धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई करार, व्यापार संघ द्वारा किया गया है, आयोग, इस अधिनियम में जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए ऐसे व्यक्ति पर ऐसी संविदा के जारी रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए, जो वह ठीक समझे, आय की दस प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ;

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है;

(ग) व्यक्ति के संबंध में “आय” ऐसी रीति में अवधारित की जाएगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

परिनिर्धारण ।

48क. (1) कोई ऐसा उद्यम, जिसके विरुद्ध धारा 3 की उपधारा (4) या धारा 4 के उल्लंघन के लिए धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच आरंभ की गई है वह अभिकथित उल्लंघनों के लिए आरंभ की गई कार्यवाही का परिनिर्धारण करने के लिए आयोग को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन, धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक को रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय किंतु धारा 27 या धारा 28 के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व ऐसे समय से पहले, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(3) आयोग, उल्लंघनों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात पर विचार करने के पश्चात् आवेदक द्वारा ऐसे रकम की संदाय पर या परिनिर्धारण और मानीटरी के कार्यान्वयन के ऐसे अन्य निबंधन और रीति पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, परिनिर्धारण के प्रस्ताव पर सहमत हो सकेगा ।

(4) परिनिर्धारण के प्रस्ताव पर विचार करते समय आयोग, संबंधित पक्षकार, महानिदेशक को या किसी अन्य पक्षकार को, अपनी आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करेगा ।

(5) यदि आयोग की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्थापित परिनिर्धारण, परिस्थितियों में समुचित नहीं है या यदि आयोग और संबद्ध पक्षकार ऐसे समय के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए परिनिर्धारण के निबंधनों पर सहमत नहीं होते हैं, तो यह धारा 26 के अधीन आदेश द्वारा परिनिर्धारण के आवेदन नामंजूर करेगा और उसकी जांच करने के लिए अग्रसर होगा ।

(6) इस धारा के अधीन परिनिर्धारण की कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(7) इस धारा के अधीन आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 53ख के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।

(8) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गई सभी परिनिर्धारण रकम भारत की संचित निधि से जमा की जाएंगी ।

प्रतिबद्धता ।

48ख. (1) कोई ऐसा उद्यम जिसके विरुद्ध, यथास्थिति, धारा 3 की उपधारा (4) या धारा 4 के उल्लंघन के लिए धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच आरंभ की गई है तो वह आयोग को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन आयोग आदेश में कथित अभिकथित उल्लंघनों की बाबत टीका-टिप्पणियों का प्रस्ताव करते हुए लिखित में आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन टीका-टिप्पणियों के लिए कोई प्रस्थापना धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा पारित किए गए आदेश के पश्चात् किसी भी समय किंतु धारा 26 की उपधारा (4) के अधीन महानिदेशक की रिपोर्ट के पक्षकार द्वारा प्राप्त किए जाने से पहले ऐसे समय के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(3) आयोग, प्रस्तावित प्रतिबद्धताओं की प्रकृति, गंभीरता तथा अभिकथित उल्लंघनों और प्रभावित के समाघात पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निबंधनों

तथा कार्यान्वयन और मानीटरी की रीति पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रस्थापित प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करेगा ।

(4) प्रतिबद्धता पर विचार करते समय, आयोग, संबद्ध पक्षकार, महानिदेशक या किसी अन्य पक्षकार को, अपने आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करेगा ।

(5) यदि आयोग की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन प्रस्थापित प्रतिबद्धताएं, परिस्थितियों में समुचित नहीं हैं या यदि आयोग और संबद्ध पक्षकार प्रतिबद्धता के निबंधनों पर सहमत नहीं होते हैं, तो आयोग धारा 26 के अधीन प्रतिबद्धता आवेदन को नामंजूर करने वाला आदेश पारित करेगा और अपनी जांच करने के लिए अग्रसर होगा ।

(6) इस धारा के अधीन प्रस्तावित प्रतिबद्धताओं के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(7) इस धारा के अधीन आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध धारा 53ख के अधीन कोई अपील नहीं होगी ।

48ग. यदि आवेदक धारा 48क या धारा 48ख के अधीन पारित आदेश का पालन करने में असमर्थ रहता है या यदि आयोग की जानकारी में यह आता है कि आवेदक ने पूरा और सत्य प्रकटीकरण नहीं किया है या जहां तथ्यों में सारवान् परिवर्तन किया गया है, वहां, यथास्थिति, धारा 48क या धारा 48ख के अधीन पारित आदेश प्रतिसंहत हो जाएगा और वापस ले लिया जाएगा और ऐसा उद्यम आयोग द्वारा उपगत समुचित विधिक लागत का, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी, संदाय करने के लिए दायी होगा और आयोग जांच का प्रत्यावर्तन या प्रारंभ कर सकेगा जिसके संबंध में आदेश धारा 48क या धारा 48ख के अधीन पारित किया था ।'

परिनिर्धारण या प्रतिबद्धता आदेश और शास्ति का प्रतिसंहरण ।

36. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (3) में "प्रतिस्पर्धा समर्थन" शब्दों के पश्चात् "या संस्कृति" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।

धारा 49 का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 51 का संशोधन ।

"(ङ) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों में प्राप्त ऐसी सभी राशियां जिन पर सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए ।"

38. मूल अधिनियम की धारा 53क की उपधारा (1) के खंड (क) में "धारा 26 की उपधारा (2) और उपधारा (6)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 6 की उपधारा (6), धारा 26 की उपधारा (2) उपधारा (2क), उपधारा (6) और उपधारा (9)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 53क का संशोधन ।

39. धारा 53ख की उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

धारा 53ख का संशोधन ।

"परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई अपील, जिससे आयोग के आदेश के निबंधनानुसार किसी रकम का संदाय करना अपेक्षित है, अपील अधिकरण द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी ने उस रकम की ऐसी रीति में, जो अपील अधिकरण द्वारा निदेशित किया जाए, पच्चीस प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो ।"

धारा 53ड का
संशोधन ।

40. मूल अधिनियम की धारा 53ड में,—

(क) उपधारा (1) में, “अधिनियम की धारा 53थ की उपधारा (2) के अधीन उद्भूत होता है, और किसी उद्यम द्वारा किए गए अध्याय 2 के उपबंधों के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी उद्यम या किसी व्यक्ति को हुई किसी हानि या नुकसानी के लिए उस उद्यम से प्रतिकर की वसूली के लिए आदेश पारित करने के लिए”, शब्दों, कोष्ठकों, अंकों, और अक्षर के स्थान पर, “धारा 53थ की उपधारा (2) के अधीन या धारा 53न के अधीन अपील अधिकरण के निष्कर्षों के विरुद्ध अपील में उच्चतम न्यायालय के आदेश या धारा 48क के अधीन पारित परिनिर्धारण के लिए आदेश और किसी उद्यम द्वारा किए गए अध्याय 2 के उपबंधों के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी उद्यम या किसी व्यक्ति को हुई किसी हानि या नुकसानी के लिए उस उद्यम से प्रतिकर की वसूली के लिए आदेश पारित करने के लिए या आयोग द्वारा पारित परिनिर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में “आयोग के निष्कर्ष” शब्दों के पश्चात् “या अपील अधिकरण या उच्चतम न्यायालय या परिनिर्धारण के लिए आदेश” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (क) में, “आयोग या अपील अधिकरण” शब्दों के पश्चात् “या धारा 53न के अधीन अपील किए जाने पर उच्चतम न्यायालय” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, “या अपील अधिकरण” शब्दों के पश्चात् “या उच्चतम न्यायालय” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 53थ का
संशोधन ।

41. मूल अधिनियम की धारा 53थ में उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति किसी युक्तियुक्त आधार के बिना, अपील अधिकरण के किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो, वह धारा 53प के अधीन अवमानना कार्यवाही का भागी होगा ।”।

नई धारा 59क का
अंतःस्थापन ।

42. मूल अधिनियम की धारा 59 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“59क. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध केवल कारावास से या कारावास से और साथ ही जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध का नहीं है या तो किसी कार्यवाही के संस्थित किए जाने से पहले या उसके पश्चात्, अपील अधिकरण या न्यायालय जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही लंबित है, प्रशमन किया जा सकेगा ।”।

1974 का 2

कतिपय अपराधों
का प्रशमन ।

धारा 63 का
संशोधन ।

43. मूल अधिनियम की धारा 63 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) को उसके खंड (कड) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (कड) से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(क) ऐसे उद्यम की आस्तियों और आवर्तन का मूल्य जिनका धारा 5 के खंड (ड) के अधीन भारत में अर्जन किया गया है, नियंत्रण किया गया है, विलयन या समामेलन किया गया है ;

(कख) धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन छब्बीस प्रतिशत से अधिक मतदान अधिकारों का प्रतिशत ;

(कग) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन समुच्चय का मानदंड ;

(कघ) धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन मानदंड ;”;

(ii) खंड (डच) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(डछ) धारा 64ख की उपधारा (5) के अधीन, मार्गदर्शन के प्रकाशन का प्ररूप ;’।

44. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में,—

धारा 64 का संशोधन ।

(i) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ग) धारा 5 के खंड (घ) के अधीन भारत में सारवान् कारबार संक्रियाओं के अवधारण की रीति ;

(गक) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन समुच्चय के लिए सूचना हेतु प्ररूप और फीस ;

(गख) धारा 6क के खंड (क) के अधीन अर्जन की सूचना फाइल करने का समय और रीति ;

(गग) ऐसी रीति और परिस्थितियों जिनमें अर्जनकर्ता स्वामित्व या हिताधिकारी अधिकार अथवा शेयरों या संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियां, जिसमें मतदान अधिकार और लाभांशों की प्राप्ति या कोई अन्य वितरण, जो धारा 6क के खंड (ख) के अधीन अपवाद के रूप में शामिल है, हित का प्रयोग कर सकेगा ।”।

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(चक) ऐसे अन्य ब्यौरे जो धारा 26 की उपधारा (9) के अधीन ‘कारण बताओं’ नोटिस में उपदर्शित किए जाएं;

(चख) धारा 27 के खंड (ख) के स्पष्टीकरण के अधीन आवर्तन या आय अवधारित करने की रीति ;

(चग) वह रीति, जिसमें उपांतरण का धारा 29क की उपधारा (2) के अधीन आयोग को समुच्चय के पक्षकारों द्वारा प्रस्ताव किया जाए;”;

(iii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(छक) धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन उत्पादक, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर कम शास्ति अधिरोपित किया जाना;

(छख) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन कम शास्ति के लिए आवेदन वापस लेने की रीति और समय;

(छग) धारा 46 की उपधारा (4) के अधीन उत्पादक, विक्रेता,

वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता पर कम शास्ति अधिरोपित किया जाना ;

(छघ) धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के अधीन आय अवधारित करने की रीति ;

(छड) धारा 48क की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस, उपधारा (2) के अधीन समय तथा उपधारा (3) के अधीन कार्यान्वयन और मानीटरी के निबंधन और रीति और उपधारा (6) के अधीन परिनिर्धारण कार्यवाहियां संचालन करने के लिए प्रक्रिया;

(छच) धारा 48ख की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस, उपधारा (2) के अधीन समय तथा उपधारा (3) के अधीन कार्यान्वयन और मानीटरी के निबंधन और रीति और उपधारा (6) के अधीन प्रस्थापित प्रतिबद्धताओं के लिए प्रक्रिया ;

(छछ) धारा 64क के खंड (क) के अधीन लोक टीका-टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रारूप विनियमों और अवधि के साथ-साथ प्रकाशित किए जाने वाले अन्य ब्यौरे ;”।

नई धारा 64क और 64ख का अंतःस्थापन ।

विनियम जारी करने की प्रक्रिया ।

45. मूल अधिनियम की धारा 64 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“64क. आयोग, धारा 64 के अधीन विनियम बनाते समय, निम्नलिखित को करके पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा—

(क) ऐसे अन्य ब्यौरों, जो इसकी वेबसाइट पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रारूप विनियम प्रकाशित करके और विनियम जारी करने से पूर्व विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लोक टीका-टिप्पणियां आमंत्रित करके;

(ख) लोक टीका-टिप्पणियों के लिए अपने उत्तर के साधारण कथन का प्रकाशन करके जो विनियमों की अधिसूचना की तारीख के बाद का न हो;

(ग) ऐसे विनियम का आवधिक रूप में पुनर्विलोकन करके :

परंतु यह कि यदि आयोग की यह राय है कि कतिपय विनियम बनाए जाने अपेक्षित हैं या विद्यमान विनियमों का लोक हित में अत्यावश्यक रूप से संशोधन किया जाना अपेक्षित है या विनियम की विषय वस्तु एक मात्र रूप से आयोग को आंतरिक कार्यकरण से संबद्ध है तो वह ऐसा करने के लिए कारण लेखबद्ध करते हुए इस धारा में कथित उपबंधों का पालन किए बिना, यथास्थिति, विनियम बना सकेगा या विद्यमान विनियमों का संशोधन कर सकेगा ।

आयोग का मार्गदर्शन जारी करना ।

64ख. (1) आयोग इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों पर या तो व्यक्ति द्वारा या स्वप्रेरणा से मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रकाशित कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का, आयोग द्वारा उसके सदस्यों या अधिकारियों द्वारा तथ्य या विधि के किसी प्रश्न के अवधारण के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा और न ही वे आयोग उसके सदस्यों या अधिकारियों पर आबद्धकर होंगे ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग इस अधिनियम के उपबंध के किसी उल्लंघन के लिए किसी शास्ति की समुचित रकम के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रकाशित करेगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबंध के किसी उल्लंघन के लिए धारा 27 के खंड (ख) या धारा 43क या धारा 48 के अधीन शास्ति अधिरोपित करते समय, आयोग, उपधारा (3) के अधीन मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर विचार करेगा और ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्तों से किसी विचलन की दशा में कारण बताएगा ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन मार्गदर्शी सिद्धान्त ऐसे प्ररूप में प्रकाशित किए जाएंगे, जो विहित किया जाए ।”।

जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 18)

[11 अगस्त, 2023]

जीवन यापन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की
और वृद्धि करने के लिए अपराधों का निरापराधीकरण और
सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का
संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन)
अधिनियम, 2023 है।

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना
द्वारा नियत करें और अनुसूची में वर्णित विभिन्न अधिनियमितियों से संबंधित
संशोधनों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिनियमितियों का उस सीमा तक और
रीति में, जो उसके स्तंभ (5) में उल्लिखित हैं, संशोधन किया जाता है ।

कतिपय
अधिनियमितियों
का संशोधन ।

जुर्माने
शास्तियों
पुनरीक्षण ।

और
का

3. अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियों में विभिन्न उपबंधों के अधीन उपबंधित जुर्माने और शास्तियों में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, उसके लिए विहित, यथास्थिति, जुर्माने या शास्ति की न्यूनतम रकम में दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।

व्यावृत्ति ।

4. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का संशोधन या निरसन किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें संशोधित या निरसित अधिनियमिति को लागू किया गया है, सम्मिलित किया गया है या निर्दिष्ट किया गया है ;

और यह अधिनियम पहले ही की गई या हुई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, जो पहले ही अर्जित कर लिया गया है, उद्भूत हुआ है या उपगत हुआ है, को या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता से किसी निर्मुक्ति या उसका उन्मोचन, दायित्व, दावे या मांग या किसी क्षतिपूर्ति, जो पहले ही अनुदत्त है या किसी पूर्व कृत्य या चीज के सबूत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा ;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, किसी अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान रुढ़ि, प्रथा, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी कि उसकी क्रमशः किसी रीति में पुष्टि की गई है या मान्यता दी गई है या किसी अन्य अधिनियमिति, जिसका संशोधन या निरसन किया गया है, द्वारा उद्भूत की गई है, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ;

न ही इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का किसी संशोधन या निरसन या किसी अधिकारिता, पद, रुढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य मामले या चीज, जो विद्यमान नहीं है या प्रवृत्त नहीं है, को पुनर्जीवित या प्रत्यावर्तित करेगा ।

अनुसूची
(धारा 2 देखिए)

क्र.सं.	वर्ष	सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1867	25	प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867	(अ) धारा 8ग में,— (i) उपधारा (1) में, “धारा 8ख के अधीन” शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात् “या धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा आदेश को निलंबित करने या रद्द करने वाले आदेश से या धारा 13 के अधीन या धारा 19ट के अधीन शास्तियां अधिरोपित करने की” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ; (ii) उपधारा (2) में, “मजिस्ट्रेट से अभिलेखों” शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या प्रेस रजिस्ट्रार से अभिलेखों” शब्द रखे जाएंगे । (आ) धारा 12 से धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— “12. रजिस्ट्रेशन के प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्द किया जाना— (1) प्रेस रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, किसी समाचारपत्र के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा, यदि— (क) प्रकाशक समाचारपत्र को निरन्तर प्रकाशित करने में असफल रहता है ; स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि समाचारपत्र अपने अंकों के आधे से कम का प्रकाशन करता है जैसा कि धारा 5 के नियम (6) के अधीन अपेक्षित है तो ऐसे समाचारपत्र के बारे में यह समझा जाएगा कि वह निरन्तर प्रकाशन करने में असफल रहता है ; या (ख) किसी समाचारपत्र के प्रकाशक ने वार्षिक विवरण में मिथ्या विशिष्टियां दी हैं ; या (ग) किसी समाचारपत्र का प्रकाशक उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है जिसके लिए वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाने थे । (2) प्रेस रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को वहां रद्द कर सकेगा, जहां— (i) कोई समाचारपत्र चौबीस मास से अधिक की अवधि के लिए प्रकाशन से प्रविरत रहा है ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ii) किसी समाचारपत्र का प्रकाशक उस अवधि के अवसान के पश्चात् भी वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है जिसके दौरान रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निलंबित किया गया था ; (iii) रजिस्ट्रीकरण मिथ्या अभ्यावेदन या किसी तात्त्विक तथ्य को छिपाने के आधार पर अभिप्राप्त किया गया था ; (iv) समाचारपत्र का शीर्षक किसी अन्य समाचारपत्र के स्वामी द्वारा पहले से ही धारित उसी भाषा में भारत में कहीं भी या किसी अन्य भाषा में उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में वही और समान हक रखता है । (3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रद्द करने का कोई आदेश, यथास्थिति, समाचारपत्र के प्रकाशक या स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा । (4) इस धारा के अधीन पारित निलंबन या रद्द करने के आदेश की प्रति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जाएगी । 13. कतिपय उल्लंघनों के लिए शास्ति— प्रेस रजिस्ट्रार ऐसी शास्ति,— (i) जो दस हजार रुपए से अधिक की न हो, जहां प्रकाशक धारा 3 में अंतर्विष्ट उपबंधों की अनुरूपता से अन्यथा भिन्न कोई पुस्तक या पत्र मुद्रित करता है या प्रकाशित करता है ; (ii) जो दस हजार रुपए से अधिक की न हो, जहां प्रेस कीपर धारा 4 में अंतर्विष्ट उपबंधों की अनुरूपता में घोषणा करने और अभिदाय करने में असफल रहता है ; (iii) जो बीस हजार रुपए से अधिक की न हो, जहां प्रकाशक धारा 19घ के खंड (क) के अधीन यथा अपेक्षित वार्षिक विवरण उस वित्तीय वर्ष के अन्त से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है जिसके संबंध में वार्षिक विवरण का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था ; (iv) जो बीस हजार रुपए से अधिक की न हो, जहां व्यक्ति जो अब किसी समाचार पत्र का मुद्रक या प्रकाशक नहीं रहा है या धारा 8 के उपबंधों के अनुपालन में कोई घोषणा करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है ; (v) पुस्तकों का परिदान करने में या धारा 9 में निर्दिष्ट मानचित्र सहित मुद्रण की आपूर्ति न करने के लिए दो हजार रुपए से अनधिक ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(vi) जो दो हजार रुपए से अधिक न हो, जहां समाचारपत्र का कोई मुद्रक धारा 11क और धारा 11ख के उपबंधों के अनुपालन में समाचारपत्र की प्रतियों का परिदान करने में उपेक्षा करता है।”।
				(इ) धारा 15क से धारा 17 का लोप किया जाएगा।
				(ई) धारा 19ट के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—
				“19ट. धारा 19घ या धारा 19ड के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि किसी समाचारपत्र का प्रकाशक—
				(क) धारा 19घ के खंड (ख) या धारा 19ड के उपबंधों का अनुपालन करने से इंकार करता है या उसकी उपेक्षा करता है ; या
				(ख) किसी समाचारपत्र से संबंधित किन्हीं विशिष्टियों को धारा 19घ के खंड (ख) के अनुसरण में समाचारपत्र में प्रकाशित करता है, जिसके मिथ्या होने के बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है,
				तो वह शास्ति से, जो दस हजार रुपए से अधिक का न हो, दायी होगा।
				(उ) धारा 19ठ का लोप किया जाएगा।
2.	1898	6	भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898	अध्याय 10 का लोप किया जाएगा।
3.	1923	5	बायलर अधिनियम, 1923	(अ) धारा 22 में,—
				(क) खंड (iii) में, “धारा 16” शब्दों और अंकों के स्थान पर “धारा 16 या” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
				(ख) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
				“(iv) किसी बायलर या बायलर घटक में हुई किसी दुर्घटना को रिपोर्ट करने से, जब धारा 18 के अधीन ऐसा करना अपेक्षित हो,” ;
				(ग) दीर्घ पंक्ति में “जुर्माने से दंडनीय” शब्दों के स्थान पर “शास्ति का दायी” शब्द रखे जाएंगे ;
				(आ) धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—
				“23. बायलर के अवैध उपयोग के लिए शास्तियां—किसी बायलर का कोई ऐसा स्वामी जो—
				(क) ऐसी किसी दशा में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन बायलर के उपयोग के लिए प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश की अपेक्षा की गई है, बायलर का या तो किसी ऐसे प्रमाणपत्र या प्रवृत्त आदेश के बिना या उसके द्वारा अनुज्ञात उच्च दबाव से अधिक दबाव करता है ; या

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ख) किसी बायलर का उपयोग करेगा या उपयोग करने की अनुज्ञा देगा, जो धारा 6 के खंड (ख) की अपेक्षानुसार रिपोर्ट किए गए ऐसे अंतरण के बिना एक राज्य से दूसरे राज्य को अंतरित किया गया है ; या (ग) धारा 7 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार बायलर पर स्थायी रूप से चिन्हित किए जाने वाले इस अधिनियम के अधीन बायलर को रजिस्टर संख्यांक आबंटित करवाने में असफल रहेगा, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी और निरंतर उल्लंघन या असफलता की दशा में, अतिरिक्त शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहता है, एक हजार रुपए तक की हो सकेगी ।”; (इ) धारा 24 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) का लोप किया जाएगा । (ई) धारा 25 की उपधारा (1) में, “जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा दंडित किया जाएगा” शब्द रखा जाएगा । (उ) धारा 26 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— “26क. न्यायनिर्णयन—(1) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन धारा 22, धारा 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के अधीन शास्तियों को अवधारित के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित रीति में जांच करने के लिए और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकेगा । (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने के लिए या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो, और यदि ऐसी जांच किए जाने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति धारा 22, धारा 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है, वह शास्ति अधिरोपित कर सकेगा : परंतु ऐसी कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				26ख. अपील—(1) जो कोई न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा धारा 26क के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित है, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सचिव के पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी को, जो अपील प्राधिकारी होगा, जिसे इस निमित्त उस सरकार या प्रशासन द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है, आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपील कर सकेगा । (2) किसी अपील को साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था । (3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे । (4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील का निपटारा अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा ।”। (ऊ) धारा 27 में, “प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या” शब्दों का लोप किया जाएगा । (ऋ) धारा 28क की उपधारा (1क) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— “(गक) धारा 26क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ; (गख) धारा 26ख की उपधारा (1) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति ;”। (ए) धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— “(जक) धारा 26क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ; (जख) धारा 26ख की उपधारा (1) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति ;”। (ऐ) धारा 30 में,— (i) “प्रथम अपराध की दशा में, जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “प्रथम उल्लंघन की दशा में, शास्ति जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी का दायी” शब्द रखे जाएंगे ; (ii) “पश्चात्पूर्ती अपराध की दशा में, ऐसे जुर्माने से” शब्दों के स्थान पर, “पश्चात्पूर्ती उल्लंघन की दशा में ऐसी शास्ति से” शब्द रखे जाएंगे ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	1927	16	भारतीय वन अधिनियम, 1927	(अ) धारा 26 में,— (i) उपधारा (1) के खंड (घ) और खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ; (ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “(1क) कोई व्यक्ति, जो किसी आरक्षित वन में— (क) पशुओं से अतिचार कराता है या उन्हें चराता है या पशुओं द्वारा अतिचार किया जाना अनुज्ञात करता है, धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा यथावधारित वन को किए गए नुकसान के लिए ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, शास्ति का दायी होगा, जो पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी; (ख) किसी वृक्ष को गिराने या कटाई करने या किसी काष्ठ की खिंचाई करने में उपेक्षा द्वारा कोई नुकसान कारित करता है, धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा यथावधारित वन को किए गए नुकसान के लिए ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी ।”। (आ) धारा 33 में,— (i) उपधारा (1) के खंड (ङ), खंड (च) और खंड (छ) का लोप किया जाएगा ; (ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “(1क) कोई व्यक्ति, जो संरक्षित वन में निम्नलिखित में से कोई भी अपराध कारित करता है, अर्थात्:— “(क) धारा 30 के अधीन किसी आरक्षित वृक्ष के आस-पास उसके द्वारा सुलगाई किसी आग को जलती हुई छोड़ देता है चाहे वह खड़ा हुआ हो या गिरा हुआ हो या किसी संरक्षित वन का बन्द भाग हो ; (ख) किसी वृक्ष को इस प्रकार गिराता है या किसी काष्ठ को खींचता है जिससे कि पूर्वोक्त किसी आरक्षित वृक्ष को नुकसान पहुंचाया जा सके, वह धारा 68 के अधीन सशक्त वन अधिकारी द्वारा यथावधारित वन को किए गए नुकसान के लिए ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी ।”। (इ) धारा 68 में,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :— “अपराधों का शमन और शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति” ; (ii) उपधारा (1) में,— (I) खंड (क) में, “और” शब्द के स्थान पर, “या” शब्द रखा जाएगा ; (II) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “(कक) धारा 26 की उपधारा (1क) और धारा 33 की उपधारा (1क) के उल्लंघन में शास्ति या प्रतिकर के रूप में किसी व्यक्ति से धनराशि स्वीकार करना ; और”।
5.	1937	1	कृषि (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937	उपज और निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “(छक) धारा 5ग की उपधारा (1) के अधीन जांच करना और शास्ति अधिरोपित करना ; (छख) धारा 5घ की उपधारा (1) के अधीन अपील करना ।”; (आ) धारा 4 में, “कारावास से दंडनीय, जो अधिक से अधिक छह माह तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी” शब्द रखे जाएंगे । (इ) धारा 5 में, “कारावास से दंडनीय, जो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पंद्रह लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी” शब्द रखे जाएंगे । (ई) धारा 5क में, “कारावास से दंडनीय, जो अधिक से अधिक छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो तीन लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी” शब्द रखे जाएंगे । (उ) धारा 5ख की उपधारा (4) में, “कारावास से, जो अधिक से अधिक छह मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पांच लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी” शब्द रखे जाएंगे । (ऊ) धारा 5ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				“5ग. न्यायनिर्णायक अधिकारी—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 4, धारा 5, धारा 5क और धारा 5ख के अधीन शास्तियां अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार के उपसचिव की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी या राज्य सरकार के उपसचिव की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी : परंतु केन्द्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने अपेक्षित हो । (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी किसी व्यक्ति को, जो साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो, समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी हो या उससे सुसंगत हो और यदि, ऐसी जांच पर उसका यह समाधान हो जाता है कि संबद्ध व्यक्ति धारा 4, धारा 5, धारा 5क और धारा 5ख के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह शास्ति अधिरोपित कर सकेगा : परंतु संबद्ध व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी । 5घ. अपील—(1) जो कोई धारा 5ग के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश से व्यथित है, कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार को आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा । (2) किसी अपील को तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी, कृषि विपणन सलाहकार का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण था । (3) कृषि विपणन सलाहकार, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे । (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृषि विपणन सलाहकार अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा । 5ड. वसूली—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, धारा 5ग के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या धारा 5घ के अधीन कृषि विपणन सलाहकार के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो वह रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	1940	23	ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940	(अ) धारा 29 में, “जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ; (आ) धारा 30 की उपधारा (2) में, “कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा” शब्द रखे जाएंगे ; (इ) धारा 32ख की उपधारा (1) में, “धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षरों के पश्चात् “धारा 27 के खंड (घ) और धारा 27क के खंड (ii)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
7.	1944	18	लोक ऋण अधिनियम, 1944	धारा 27 का लोप किया जाएगा ।
8.	1947	24	रबड़ अधिनियम, 1947	(अ) धारा 11 की उपधारा (3) में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी या धारा 14 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या दोनों से” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (आ) धारा 13 की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा । (इ) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (xxiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— “(xxiii) धारा 26ख की उपधारा (1) के अधीन जांच करने की और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ; (xxiiiख) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ;”। (ई) धारा 26 की उपधारा (1) के अंत में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे । (उ) धारा 26क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— “26ख. शास्तियों का न्यायनिर्णयन--(1) धारा 11 की उपधारा (3) और धारा 26 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए कार्यपालक निदेशक, यथास्थिति, बोर्ड के सचिव या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति कार्यपालक निदेशक को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा । (3) साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी कार्यपालक निदेशक का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के उसके पास पर्याप्त कारण था । (4) किसी अपील का तब तक निपटारा नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो । (5) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का उसे फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा । (6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है, तो उसकी भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”।
9.	1948	8	भेषजी अधिनियम, 1948	(अ) धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— “(झ) धारा 43क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ; (ज) धारा 43क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति ;”। (आ) धारा 26क की उपधारा (3) में, “कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा,” शब्दों के स्थान पर “शास्ति का दायी होगा जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे । (इ) धारा 41 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— “(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य के रजिस्टर में, उस समय दर्ज नहीं है, मिथ्या रूप से यह बहाना करता है कि उसका नाम इस प्रकार से दर्ज किया गया है या अपने नाम या पदनाम के संबंध में ऐसे शब्दों या अक्षरों का प्रयोग करता है, जो युक्तियुक्त रूप से यह सुझाव देने के लिए परिकल्पित है कि उसका नाम इस प्रकार दर्ज किया गया है, तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				परंतु यह प्रतिवाद होगा यदि व्यक्ति का नाम किसी अन्य राज्य के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और यह कि दावा करते समय राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया गया था ।”। (ई) धारा 42 की उपधारा (2) में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या एक हजार रुपए के अनधिक के जुर्माने से, या दोनों से,” शब्दों के स्थान पर, “कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से” शब्द रखे जाएंगे । (उ) धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— “(43क) शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 26क के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार उस राज्य परिषद् के अध्यक्ष को, जहां अभिकथित उल्लंघन किया गया है, धारा 18 के अधीन यथाविहित रीति में जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्राधिकृत करेगी । (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अध्यक्ष, केन्द्रीय परिषद् को ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर धारा 18 के अधीन यथाविहित प्ररूप और रीति में अपील कर सकेगा । (3) अध्यक्ष, केन्द्रीय परिषद् पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने से पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था । (4) किसी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हो । (5) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा फाइल करने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा । (6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।”।
10.	1951	65	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951	(अ) धारा 24 की उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :— “वह शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपए तक की हो सकेगी ।”।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

(आ) धारा 24क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“24क. न्यायनिर्णयण—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 24 के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को यथा विहित रीति में जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी होने के लिए प्राधिकृत करेगी।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी साक्ष्य देने या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत है, के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और उसे हाजिर करा सकेगा और यदि ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ है तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो धारा 24 के उपबंधों के अनुसार ठीक समझे :

परंतु ऐसी किसी शास्ति को संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

24ख. अपील—(1) जो कोई धारा 24क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित है वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी, जो अपील प्राधिकारी होगा, को आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(2) तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील का निपटारा फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा।

24ग. वसूली—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, धारा 24क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी या धारा 24ख के अधीन अपील प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को, यदि जमा नहीं किया जाता है तो रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।”।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(इ) धारा 27 का लोप किया जाएगा ।
				(ई) धारा 28 में “अभियोजित” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति अधिरोपित” शब्द रखे जाएंगे ।
				(उ) धारा 29 और धारा 29क का लोप किया जाएगा ।
				(ऊ) धारा 30 में,—
				(i) उपधारा (2) के खंड (तत) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
				“(ततक) धारा 24क की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;
				(ततख) धारा 24ख की उपधारा (1) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति ;
				(ii) उपधारा (3) में, “दंडनीय” शब्द के स्थान पर, “शास्ति का दायी” शब्द रखे जाएंगे ।”।
11.	1952	37	चलचित्र अधिनियम, 1952	(अ) धारा 7 में,—
				(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—
				“(1) यदि कोई व्यक्ति,—
				(क) बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के (जिसको साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा) किसी फिल्म में, उसके प्रमाणित किए जाने के पश्चात् किसी भी ढंग से परिवर्तन करता है या बिगाड़ सकता है, तो वह ‘कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा या दोनों से, दंडनीय होगा ;
				(ख) किसी फिल्म को किसी स्थान पर प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित किए जाने की अनुमति देता है—
				(i) जिसे बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है ; या
				(ii) जिसे, प्रदर्शित किए जाने पर, बोर्ड के विहित चिह्न द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है ; या
				(iii) जिसे, बोर्ड के चिह्न द्वारा प्रदर्शित किए जाने पर, चिह्न को नियत किए जाने के पश्चात् उसमें परिवर्तन या बिगाड़ दिया गया है,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक की अवधि का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और अपराध जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ; (ग) खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों के उल्लंघन में कोई वीडियो फिल्म किसी स्थान में प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा और अपराध जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ; (घ) किसी ऐसी फिल्म को किसी अवयस्क को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित किए जाने के लिए अनुमति देता है, जिसे इस अधिनियम के अर्थ के भीतर "वयस्क" के रूप में बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो ऐसे प्रत्येक प्रदर्शन के लिए प्रति व्यक्ति दस हजार रुपए से अनधिक होगी और जिसे ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उद्गृहीत की जाएगी ; (ङ) किसी फिल्म में किसी ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी वृत्ति या वर्ग का सदस्य नहीं है को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित किए जाने के लिए अनुमति देता है, जिसे इस अधिनियम के अर्थ के भीतर "विशेष" के रूप में बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है, तो वह ऐसे प्रत्येक प्रदर्शन के लिए प्रति व्यक्ति दस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा, जो ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उद्गृहीत की जाएगी ; (च) धारा 6क में अंतर्विष्ट उपबंध या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा केन्द्रीय सरकार या बोर्ड को प्रदत्त शक्तियाँ या कृत्याँ में से किसी शक्तियाँ कृत्य का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह पांच लाख रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा, जो ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उद्गृहीत की जाएगी :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

परंतु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया है, खंड (क) से खंड (ग) के अधीन इस भाग के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति पर पांच हजार रुपए से अधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा :

परंतु यह और कि कोई वितरक या प्रदर्शक या किसी चलचित्र गृह का स्वामी या कर्मचारी चेतावनी जिसे इस भाग के अधीन “अनिर्बंधित वयस्क” के रूप में प्रमाणित किया गया है के पृष्ठांकन की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए दंड का दायी नहीं होगा ।

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4) उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) या धारा 14 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।”।

(आ) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गग) प्राधिकृत अधिकारी और धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) के निबंधनों में उसके द्वारा उद्गृहीत शास्ति की रीति ;

(गघ) अपील करने की अवधि, प्ररूप, रीति और धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अपील प्राधिकारी;”।

(इ) धारा 14 में “जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और अपराध जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त शास्ति से, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(ई) धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				“15. अनुज्ञप्ति वापस लेने या निलंबित करने की शक्ति—(1) जहां अनुज्ञप्ति धारक धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, तो अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा वापस ली जा सकेगी। (2) जहां किसी अनुज्ञप्ति धारक पर धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) से खंड (च) या धारा 14 के अधीन उल्लंघन के लिए शास्ति अधिरोपित की गई है, तो अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए निलंबित की जा सकेगी : परंतु तीन वर्ष की अवधि के दौरान तीन से अधिक उल्लंघनों की दशा में, अनुज्ञापन प्राधिकारी, लेखबद्ध किए जाएं उन कारणों से जो अनुज्ञप्ति को, आदेश द्वारा वापस ले सकेगा : परंतु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।”।
12.	1953	29	चाय अधिनियम, 1953	(अ) धारा 38 से धारा 40 तक का लोप किया जाएगा। (आ) धारा 41 की उपधारा (1) में, “कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे। (इ) धारा 42 में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, तथा जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी तथा पश्चात्पूर्ती उल्लंघन के लिए, शास्ति के लिए, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। (ई) धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— “42क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 41 की उपधारा (1) या धारा 42 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड का उपाध्यक्ष, यथास्थिति, बोर्ड के सचिव या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, जांच करने और शास्ति अधिरोपित के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(2) जो कोई न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित है ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, बोर्ड के उपाध्यक्ष को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा । (3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता, उपाध्यक्ष का यह समाधान करा देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था । (4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो । (5) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का, उसे फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटान किया जाएगा । (6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम का, यदि संदाय नहीं किया गया है तो उसकी भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जा सकेगी ।”। (उ) धारा 49 की उपधारा (2) में, खंड (भ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— “(भक) धारा 42क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति; (भख) धारा 42क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति ;”।
13.	1957	14	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957	धारा 68 का लोप किया जाएगा ।
14.	1958	44	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958	(अ) धारा 436 में,— (क) उपधारा (2) की सारणी में, स्तंभ (1) के अधीन उल्लिखित क्रम संख्यांक के सामने, स्तंभ (2) के अधीन अपराधों के संबंध में, स्तंभ 3 के अधीन धाराओं से संबंधित और स्तंभ 4 के अधीन शास्तियां यथा उपबंधित रीति में क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
क्र.सं. अपराध उस अधिनियम की वह धारा, जिसमें अपराध के प्रति निर्देश है				शास्ति
16				“दो लाख रुपए तक की शास्ति ।”।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			29	“दो लाख रुपए तक की शास्ति ।”।
			35	“दो लाख रुपए तक की शास्ति ।”।
			43	“दो लाख रुपए तक की शास्ति ।”।
			44	“पचास हजार रुपए तक की शास्ति ।”।
		57(क)		“फलक पर छोड़ी गई उसकी सभी संपत्तियां या उनका कोई भाग तथा उसके द्वारा तब तक अर्जित मजदूरी और, यदि अभित्यजन ऐसे किसी स्थान पर किया जाता है जो भारत में नहीं है तो, ऐसी कुल मजदूरी या उसका कोई भाग जो वह ऐसे किसी अन्य पोत पर, जिस पर उसे उसके भारत लौटने पर्यन्त नियोजित किया जाए, उपार्जित कर सके, समपहत किए जाने पर दायित्वाधीन होगी, और यह नाविक या शिक्षु उतनी अधिक रकम की पूर्ति करने के दायित्वाधीन भी होगा जो उस पोत के, जिस पोत का उसने अभित्यजन किया है, मास्टर या स्वामी उसके स्थान पर नियोजित किए गए उसके प्रतिस्थानी को मजदूरी की उसकी दर से उच्चतर पर देनी पड़े, जिस दर पर ऐसे नाविक या शिक्षु को मजदूरी का संदाय करने के लिए अनुबंध किया गया था;”।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			57(ख)	“यदि उल्लंघन अभित्यजन नहीं है तो ऐसा नाविक या शिशु जिसकी मजदूरी में से दो दिन से अनधिक को मजदूरी के बराबर राशि और उसके अतिरिक्त, अनुपस्थिति के प्रत्येक चौबीस घंटे की अवधि के लिए या तो छह दिन की मजदूरी से न अनधिक राशि, या ऐसे कोई व्यय, जो प्रतिस्थानी को रखने पर समुचित रूप से उपगत किए जाएं, उसकी मजदूरी में से समपहत किए जाने के दायित्वाधीन होंगे।”।
			59 (iv) धारा 194 का खंड (घ)	194(घ) “तीन मास तक का कारावास या पांच सौ रुपए तक जुर्माना या दोनों।”।
			(ivक) धारा 194 का खंड (ड)	194(ड) “एक मास तक का कारावास और प्रत्येक चौबीस घंटे की ऐसी अवज्ञा या उपेक्षा के लिए दो दिन की मजदूरी से अनधिक राशि का जो छह दिन की वेतन से अनधिक राशि की उसकी मजदूरी या किन्हीं ऐसे व्ययों का जो उसके प्रतिस्थानी को रखने पर समुचित रूप से उपगत किए जाएं।”।
			60	“एक लाख रुपए तक शास्ति।”।
			65	“दो लाख रुपए तक शास्ति।”।
			66(क)	“दो लाख रुपए तक शास्ति।”।
			68	“पचास हजार रुपए तक शास्ति।”।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			72	“दो लाख रुपए तक शास्ति ।”।
			84	“प्रथम अपराध के लिए एक लाख रुपए और प्रत्येक पश्चात्पूर्ति अपराध के लिए पांच लाख रुपए तक शास्ति ।”।
			108(ख)	“मास्टर या स्वामी या अभिकर्ता, ऐसी शास्ति के लिए जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और पोत को भी निरुद्ध किया जा सकेगा ।” ।
			109	“पांच लाख रुपए तक शास्ति ।”।
			115घ(ii)	“अपराधी ऐसी शास्ति से, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।”।
			133	“ऐसी शास्ति के लिए जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा ।”।
			135	“पांच हजार रुपए तक शास्ति ।”।
			137	“एक लाख रुपए तक शास्ति और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा ।”।
			137ब	“एक लाख रुपए तक शास्ति और जलयान को भी निरुद्ध किया जा सकेगा ।”।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(3) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए विहित शास्ति वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाएगी:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				परंतु इस धारा के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हो । (4) जो कोई, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रधान अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसा आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर महानिदेशक को ऐसे प्ररूप और रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अपील कर सके । (5) महानिदेशक पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, उपधारा (4) के अधीन अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, समुचित आदेश पारित कर सकेगा । (6) इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन, जिसके लिए शास्ति विहित की गई है, का उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रधान अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचित किया जाए, पहले उल्लंघन के लिए शमन हो सकेगा : परंतु जहां किसी ऐसे उल्लंघन का शमन किया गया है, वहां राशि किसी दशा में उस शास्ति, जो ऐसे उल्लंघन के लिए अधिरोपित की जा सकेगी, की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी । (7) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, उपधारा (3) के अधीन वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा या उपधारा (5) के अधीन महानिदेशक के आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है तो, रकम को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाएगा ।” । (ख) धारा 436 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “436क नियम बनाने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, धारा 436 की उपधारा (4) के अधीन वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के प्रधान अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का प्ररूप और रीति विहित करने वाले नियम बना सकेगी ।”।
15.	1961	47	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961	धारा 47 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— “(2) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई बही, लेखा या अन्य दस्तावेज पेश करने में या कोई ऐसा विवरण या जानकारी प्रस्तुत करने जिसे पेश करना या देना इस अधिनियम के अधीन उसका कर्तव्य है में असफल रहता है, तो वह शास्ति से, जो प्रत्येक ऐसी असफलता के संबंध में जो एक लाख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				पचास हजार रुपए तक हो सकेगी, और असफलता के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त शास्ति, जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी पहली असफलता के पश्चात् असफलता जारी रहती है, सात हजार पांच सौ रुपए, का दायी होगा । (3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए, निगम व्यक्ति पर यह अपेक्षा करते हुए कारण बताओ नोटिस तामील करेगा कि क्यों न नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम अधिरोपित किया जाए और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का भी युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा । (4) इस धारा के अधीन निगम द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति उस तारीख से, जिसको राशि का मांग करने वाला नोटिस निगम द्वारा व्यक्ति पर तामील किया जाता है से चौदह दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी और ऐसी अवधि के भीतर राशि का संदाय करने में किसी व्यक्ति की असफल होने की दशा में, ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर है जिसमें ऐसा व्यक्ति निवास करता है जहां व्यक्ति स्थित है, किए गए आदेश या निदेश के संबंध में उद्गृहीत की जा सकेगी : परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश या निदेश, जो निगम द्वारा या इस निमित्त उसके प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय को किए गए आवेदन पर ही किया जा सकेगा अन्यथा नहीं । (5) ऐसे न्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन आदेश या निदेश देता है उस व्यक्ति द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र वैसी ही रीति में जो मानो यह सिविल वाद में न्यायालय द्वारा की गई डिक्री प्रवर्तनीय होगा । (6) किसी न्यायालय में किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद फाइल नहीं किया जाएगा जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन निगम द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई है । (7) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया गया है, वहां उपधारा (2) के अधीन उस व्यक्ति पर किसी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं की जाएंगी ।”।
16.	1962	58	भांडागारण निगम अधिनियम, 1962	धारा 38 का लोप किया जाएगा ।
17.	1964	37	खाद्य निगम अधिनियम, 1964	धारा 41 का लोप किया जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	1970	39	पेटेंट 1970	अधिनियम, (अ) धारा 120 में, “वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “वह ऐसे शास्ति का, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, संदाय करने का दायी होगा और दावा चालू रहने की दशा में, प्रथम बार जिसके दौरान दावा चालू रहता है के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। (आ) धारा 121 का लोप किया जाएगा। (इ) धारा 122 में,— (i) उपधारा (1) में, दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:— “वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी” शब्दों के स्थान पर, “वह ऐसी शास्ति जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी का दायी होगा और इंकार या असफलता जारी रहने की दशा में, प्रथम बार जिसके दौरान इंकार या असफलता जारी रहती है के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे ;”। (ii) उपधारा 2 में “वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “वह ऐसे व्यक्ति के, यथास्थिति, लेखापरीक्षित खातों में यथासंगणित कारबार के या वृत्ति की सकल प्राप्तियों के कुल विक्रय या आवर्त के आधा प्रतिशत के बराबर राशि या पांच करोड़ रुपए के बराबर राशि, जो भी कम हो, की शास्ति का दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे ।” (ई) धारा 123 में, “वह जुर्माने से, जो प्रथम अपराध की दशा में एक लाख रुपए तक का और दिवतीय या पश्चात्वर्ती अपराधों की दशा में, पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “वह ऐसी शास्ति, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा और जारी रहने वाले व्यतिक्रम की दशा में, प्रथम बार जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति, का दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे । (उ) धारा 124 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “124क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) नियंत्रक, आदेश द्वारा, धारा 73 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को जांच करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसी रीति में जो विहित की जाए ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				124ख. अपील (1) धारा 124क के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को, आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, अपील कर सकेगा जो न्यायनिर्णयन अधिकारी से कम से कम एक रैंक ऊपर का अधिकारी होगा, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे। (2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीति में की जाएगी जो विहित किया जाए। (3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था। (4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो। (5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी, अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा। (6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 124क के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश या इस धारा के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का ऐसे आदेश के नब्बे दिन के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह शास्ति के अतिरिक्त एक लाख रुपए के जुर्माने या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों से दंडनीय होगा।”। (ऊ) धारा 159 की उपधारा (2) के खंड (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(xiii) धारा 124क के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की रीति; “(xiiiख) धारा 124ख की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति;”।
19.	1972	13	सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972	(अ) धारा 20 में, उपधारा (3) में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति के लिए जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा आदेश दिया गया था, के मूल्य के दुगुने के समतुल्य रकम, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। (आ) धारा 23 में, “जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो दस हजार रुपए तक हो सकेगी”।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

(इ) धारा 24 और धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएगी, अर्थात्:—

“24. प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने और बहियां तथा अभिलेख पेश करने में असफल रहने के लिए शास्तियां—कोई व्यक्ति—

(क) जो अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी सदस्य को या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी अथवा केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(ख) किसी लेखा-बही या अन्य अभिलेख को, जो उसके नियंत्रण या अभिरक्षा में हो, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसी अपेक्षा की जाने पर उस बही या अभिलेख को पेश करने में असफल रहेगा, वह ऐसी शास्ति के लिए जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

25. अन्य शास्तियां—जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का, उन उपबंधों को छोड़कर जिनके उल्लंघन के लिए दण्ड या शास्ति का उपबन्ध धारा 20, धारा 23 और धारा 24 में किया गया है, उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसी शास्ति के लिए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा उल्लंघन किया गया था, के मूल्य के समतुल्य रकम से अनधिक जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा और पूर्वोक्त उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसी शास्ति के लिए जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगी या ऐसे माल जिसकी बाबत ऐसा उल्लंघन किया गया था, के मूल्य के दुगने के समतुल्य रकम, जो भी अधिक हो, के लिए दायी होगा ।

25क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- (1) धारा 20 की उपधारा (3), धारा 23, धारा 24 के खंड (ख) और धारा 25 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष, यथास्थिति, प्राधिकरण के सचिव या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, जांच करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी होने के लिए नियुक्त करेगा तथा इस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, शास्ति अधिरोपित करेगा।
				(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा।
				(3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकार की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अध्यक्ष का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।
				(4) किसी भी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।
				(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी, अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा।
				(6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम का यदि संदाय नहीं किया जाता है तो उसे भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूला जाएगा।”।
				(ई) धारा 33 की उपधारा (2) में खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
				“(थक) धारा 25क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने तथा शास्ति अधिरोपित करने की रीति;
				“(थख) धारा 25क की उपधारा (2) के अधीन अपील करने का प्ररूप और रीति;”।
20.	1978	11	उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण अधिनियम, 1978)	निरसित।
21.	1981	14	वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981	(अ) धारा 21 की उपधारा (1) में निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:— “(1) कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या प्रचालन तब तक नहीं करेगा जब तक वह इस धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन के अनुसरण में राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त न की गई हो : परन्तु केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से इस उपधारा के उपबंधों को लागू करने से औद्योगिक संयंत्रों के कतिपय प्रवर्गों को छूट प्रदान कर सकेगी।”।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

(आ) धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“21क. दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति,—

(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, वायु प्रदूषण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र को स्थापित करने या प्रचालित करने के लिए किसी भी राज्य बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान करने, इंकार करने, या रद्द करने से संबंधित मामलों पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जिनमें धारा 21 के अधीन किए गए आवेदन के निपटान की समय-सीमा के लिए तंत्र या ऐसी सहमति की विधिमान्य अवधि भी सम्मिलित है ।

(2) प्रत्येक राज्य बोर्ड, धारा 21 के अधीन सहमति को प्रदान करने, इंकार करने या रद्द करने के प्रयोजन के लिए, उपधारा (1) के अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा ।”।

(इ) धारा 37 से धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“37. धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों के अनुपालन में असफलता—(1) जो कोई धारा 22 के उपबंधों या धारा 31क के अधीन जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करता है या अनुपालन नहीं करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के संबंध में ऐसी शास्ति के संदाय के लिए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पचास लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा :

(2) जहां किसी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन करना जारी रखता है, तो वह अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसे उल्लंघन के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए होगी, के लिए दायी होगा ।

38. (1) कतिपय अधिनियमों के लिए शास्तियां—जो कोई—

(क) बोर्ड के प्राधिकार से या उसके अधीन भूमि पर लगे किसी स्तम्भ, थम्ब या खूंटे को या लगाई गई, अन्तर्लिखित या रखी गई किसी सूचना या अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटाएगा या क्षति पहुंचाएगा या उसे विरूपित करेगा ; या

(ख) बोर्ड के आदेशों या निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में बाधा डालेगा ; या (ग) बोर्ड के किसी संकर्म या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा ; या (घ) बोर्ड को या बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा, जिसकी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बोर्ड या ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपेक्षा करे ; या (ङ) राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों से अधिक वातावरण में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन की घटना या ऐसी घटना होने की आशंका की सूचना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप में राज्य बोर्ड और अन्य विहित प्राधिकरणों या अभिकरणों को देने में असफल रहेगा ; या (च) कोई ऐसी जानकारी देने में असफल रहेगा, जिसका दिया जाना उससे इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, ऐसा कथन करेगा, जिसकी कोई महत्वपूर्ण विशिष्टि मिथ्या है ; वह ऐसी शास्ति के लिए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, का दायी होगा : (2) जहां ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन किया जाना जारी रहता है, तो वह अतिरिक्त शास्ति, जो ऐसे उल्लंघन के जारी रहने के प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए होगी, के लिए दायी होगा । 38क. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति— (1) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभागाध्यक्ष एक मास के अपने मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का दायी होगा : परंतु वह ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या निदेशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो अधिकारी एक मास के अपने मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का दायी होगा : परंतु वह उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				39. इस अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निदेश का, जिसके लिए इस अधिनियम में किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा तो वह शास्ति के लिए, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी, किन्तु पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वहां वह किसी ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, के लिए दायी होगा । 39क. न्यायनिर्णायक अधिकारी—(1) केन्द्रीय सरकार धारा 37, धारा 38, धारा 38क और धारा 39 के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उस रीति में जो विहित की जाए कोई जांच करने के लिए और शास्ति का अधिरोपण करने के लिए किसी ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के किसी सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा : परन्तु केन्द्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों । (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत हो, साक्ष्य देने या किसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा और उसे हाजिर करा सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो और यदि ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसी शास्ति, जो यथास्थिति, धारा 37, धारा 38, धारा 38क या धारा 39 के उपबंधों के अधीन उचित समझता है, निर्धारित कर सकेगा : परन्तु कोई शास्ति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी । (3) धारा 37, धारा 38, धारा 38क और धारा 39 के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व के अतिरिक्त होगी । 39ख. अपील—(1) धारा 37, धारा 38, धारा 38क या धारा 39 के अधीन किसी न्यायनिर्णायन अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन की प्रत्येक अपील, उस तारीख से जिसको न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के प्रति व्यथित व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी। (3) अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को पुष्ट करने, उपांतरित करने या अपास्त करने वाला आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे। (4) जहां कोई अपील उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध की गई हो, वहां इसे अधिकरण द्वारा तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति ने न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम का दस प्रतिशत अधिकरण के पास जमा न कर दी गई हो। 39ग. पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा की जाने वाली रकम की शास्ति—जहां कोई न्यायनिर्णयन अधिकारी, यथास्थिति, धारा 37, धारा 38, धारा 38क या धारा 39 के अधीन शास्ति या अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित करता है वहां पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण (संरक्षण) निधि में जमा करेगी। 39घ. धारा 21 के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए तथा शास्ति के संदाय में असफलता के लिए अपराध—(1) जो कोई, धारा 21 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष और छह मास से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु छह वर्ष तक की हो सकेगी, तथा असफलता जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम ऐसी असफलता की दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, के लिए पचास हजार रुपए तक हो सकेगी। (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट असफलता, दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् एक वर्ष की कालावधि से आगे जारी रहती है तो अपराधी कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से अन्यून नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, दंडनीय होगा। (3) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, यथास्थिति, अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का ऐसे अधिरोपण से नब्बे दिन की अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो उस पर अधिरोपित शास्ति या अतिरिक्त शास्ति की रकम के दुगुने तक का हो सकेगा या

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

दोनों से दंडनीय होगा ।

(4) जहां कोई अपराध उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाते समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का सीधे और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने की दायी होंगे :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात का ऐसे किसी व्यक्ति को, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की, सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उसी अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” के अन्तर्गत कोई निगमित निकाय, फर्म, न्यास, सोसाइटी और कोई अन्य व्यक्तियों का संगम भी हैं ;

(ख) “निदेशक” के अन्तर्गत, यथास्थिति, कंपनी का निदेशक, फर्म का भागीदार, सोसाइटी का सदस्य या न्यास या व्यक्तियों के किसी संगम का सदस्य भी हैं ।”;

(ई) धारा 43 की उपधारा (1) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(कक) न्यायनिर्णायक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ;”;

(उ) धारा 53 की उपधारा (1) में, खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ज) धारा 39क की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायन अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्तियां अधिरोपित करने की रीति ।”।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	1981	61	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981	धारा 56 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— “(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी बहीलेखा या अन्य दस्तावेज को पेश करने में या कोई विवरण या जानकारी देने में असफल रहता है, जो, जिसे देना या पेश करना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसका कर्तव्य है, असफल रहेगा तो वह शास्ति के लिए, जो प्रत्येक असफलता के लिए एक लाख पचास हजार रुपए तक हो सकेगी और जारी रहने वाली असफलता की दशा में अतिरिक्त शास्ति, जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता ऐसी पहली असफलता के पश्चात् जारी रहती है, के लिए सात हजार पांच सौ रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा। (3) उपधारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक शास्ति के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय बैंक उस व्यक्ति पर सूचना तामील करेगा, जिससे यह कारण बताने की अपेक्षा की जाती है कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम को शास्ति के रूप में अधिरोपित क्यों नहीं किया जाए और ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी क्यों नहीं प्रदान किया जाए। (4) इस धारा के अधीन राष्ट्रीय बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति उस तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी जिस दिन राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी नोटिस में रकम के संदाय की मांग की जाएगी और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी अवधि के भीतर राशि का संदाय की असफलता की दशा में, उस क्षेत्र में, जहां वह व्यक्ति स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय किए गए निदेश पर उद्गृहीत की जा सकेगी : परंतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा या इस निमित्त राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन के सिवाय न्यायालय को कोई निदेश नहीं किया जाएगा। (5) न्यायालय जो उपधारा (4) के अधीन निदेश करता है, व्यक्ति द्वारा संदेय रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी प्रकार से प्रवृत्तनीय होगा मानो वह किसी सिविल वाद में न्यायालय द्वारा की गई डिक्री में किया गया हो। (6) किसी व्यतिक्रम या चूक के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई शिकायत फाइल नहीं की जाएगी जिसके संबंध में राष्ट्रीय बैंक द्वारा उपधारा (2) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की गई है। (7) जहां कोई शिकायत उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के उल्लंघन या चूक के बाबत किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति के विरुद्ध फाइल की गई है, तो उपधारा (2) के अधीन व्यक्ति पर कोई शास्ति अधिरोपित करने की कोई कार्यवाही

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				आरंभ नहीं की जाएगी ।
23	1986	10	मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986	(अ) धारा 26 में, “जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा”, शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का दायी होगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती असफलता के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, का दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे । (आ) धारा 27 में, दीर्घ पंक्ति में, “वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा”, शब्दों के स्थान पर, “शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे । (इ) धारा 28 का लोप किया जाएगा । (ई) धारा 29 में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा”, शब्दों के स्थान पर, “शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, से दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे । (उ) धारा 30 में, “वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा”, शब्दों के स्थान पर, “शास्ति, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए शास्ति, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी, का दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे । (ऊ) धारा 30 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— “30क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन—(1) धारा 26, धारा 27, धारा 29 और धारा 30 के अधीन शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए बोर्ड का सचिव, यथास्थिति, बोर्ड में निदेशक की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी जांच को करने के लिए और संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी होने के लिए नियुक्त करेगा । (2) जो कोई न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित होता है, बोर्ड के सचिव को ऐसे आदेश की प्राप्ति की

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा। (3) साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी बोर्ड के सचिव का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे। (4) किसी अपील का तब तक निपटान नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है। (5) उपधारा (2) के अधीन अपील का फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा। (6) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम, यदि संदत्त नहीं की जाती है, तो उसकी भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी।”। (ऋ) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— ‘(डक) धारा 30क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ; (डख) धारा 30क की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ।’।
24.	1986	29	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	(अ) धारा 2 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— ‘(गक) “निधि” से धारा 16 के अधीन स्थापित की गई पर्यावरणीय संरक्षण निधि अभिप्रेत है ;’। (आ) धारा 10 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी अर्थात्:— “(2) किसी परिसंकटमय पदार्थ की संभलाई का कोई उद्योग संचालन या प्रक्रिया करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त व्यक्ति को इस उपधारा के अधीन कार्यों को करने के लिए, जो अपेक्षित हों, सहायता प्रदान करेगा, और यदि वह बिना किसी उचित कारण के ऐसा करने में असफल रहता है तो वह धारा 14ख के अधीन उपबंधित शास्ति का दायी होगा। (3) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति को उसके उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कृत्यों के निर्वहन में विलंब करता है या व्यवधान उत्पन्न करता है, वह धारा 14ख के अधीन उपबंधित शास्ति का दायी होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध, जहां तक वह तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं, इस धारा के अधीन उस संहिता की धारा 94 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे।”।

(इ) धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“14क. धारा 7 और धारा 8 के उल्लंघन के लिए शास्ति—

(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 7 या धारा 8 या तद्धीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए शास्ति का दायी होगा, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी किंतु पन्द्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन ऐसा उल्लंघन करना जारी रखता है, वहां वह प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।

14ख. धारा 9, धारा 10 और धारा 11 के उल्लंघन के लिए शास्ति,—(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 9, धारा 10 या धारा 11 के उपबंधों का या उन धाराओं के अधीन जारी आदेशों या निदेशों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के संबंध में शास्ति का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किंतु जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है, वहां वह प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।”

(ई) धारा 15 से धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“15. अधिनियम, नियमों, आदेशों और निदेशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निदेशों का उल्लंघन करता है या पालन नहीं करता है, जिनके लिए किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, वहां वह ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए शास्ति का दायी होगा, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु जो पन्द्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी।

(2) जहां ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखता है वहां वह प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				15क. कंपनियों द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई कंपनी इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करती है वहां ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए शास्ति का दायी होगी, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु जो पन्द्रह लाख रुपए तक की हो सकेगी । (2) जहां ऐसी कोई कंपनी उपधारा (1) के अधीन उल्लंघन जारी रखती है वहां कंपनी प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, एक लाख रुपए की अतिरिक्त शास्ति की दायी होगी । 15ख. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति— (1) जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया गया है तो विभागाध्यक्ष एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का दायी होगा : परंतु ऐसा विभागाध्यक्ष ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की किसी अनावधानी के कारण हुआ है तो ऐसा अधिकारी एक मास के उसके मूल वेतन के समतुल्य शास्ति का दायी होगा : परंतु ऐसा अधिकारी उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह साबित कर देता है कि उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी । 15ग. न्यायनिर्णायक अधिकारी—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए जांच करने और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में शास्ति अधिरोपित करने के लिए, भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी : परंतु केन्द्रीय सरकार उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगी, जो अपेक्षित हों । (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी— (क) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने या पालन न करने के लिए अभिकथित किया गया है या जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी रखता है, बुला सकेगा ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ख) ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके कब्जे में किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या किसी अन्य ऐसे दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में विषय-वस्तु के लिए सुसंगत हो सके, प्रस्तुत करे । (3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, किसी व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, और यदि, ऐसी जांच पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है या उनका अननुपालन नहीं किया है तो वह, यथास्थिति धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क या धारा 15ख के उपबंधों के अनुसार ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे । (4) न्यायनिर्णायक अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय, निम्नलिखित का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:— (क) ऐसे उल्लंघन या अननुपालन के कारण संघातित या प्रभावित जनसंख्या और क्षेत्र; (ख) ऐसे उल्लंघन या अननुपालन की आवृत्ति और कालावधि; (ग) वर्ग के ऐसे व्यक्तियों की भेद्यता, जिनके ऐसे उल्लंघन या अननुपालन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है; (घ) ऐसे उल्लंघन या अननुपालन, यदि कोई हो, के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को हुए या होने के लिए संभावित नुकसान, (ङ) ऐसे उल्लंघन या अननुपालन से व्युत्पन्न अनुचित अभिलाभ; और (च) ऐसा अन्य कारक, जो विहित किया जाए । (5) यथास्थिति, धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क या धारा 15ख के उपबंधों के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 17 के साथ पठित धारा 15 के अधीन अनुतोष या प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व के अतिरिक्त होगी । 15घ. अपील—(1) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील कर सकेगा । (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, साठ दिन के

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				भीतर फाइल की जाएगी।
				(3) अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को पुष्ट करने या उपांतरित करने या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।
				(4) जहां उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की गई है, वहां ऐसी अपील अधिकरण द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक ऐसे व्यक्ति ने न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम की दस प्रतिशत रकम अधिकरण के पास जमा न कर दी हो।
				15ड. पर्यावरण (संरक्षण) निधि में जमा की जाने वाली शास्ति रकम—जहां धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क या धारा 15ख के अधीन, यथास्थिति, कोई शास्ति या अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जाती है, वहां ऐसी शास्ति की रकम धारा 16 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षण निधि में जमा की जाएगी।
				15च. शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का संदाय करने के लिए असफलता के लिए अपराध—(1) जहां कोई व्यक्ति धारा 14क, धारा 14ख, धारा 15, धारा 15क या धारा 15ख के अधीन, यथास्थिति, शास्ति या अतिरिक्त शास्ति का ऐसे अधिरोपण के नब्बे दिन के भीतर संदाय करने में असफल रहता है वहां वह ऐसे कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो शास्ति की रकम के दुगुने तक का हो सकेगा या दोनों के लिए दायी होगा।
				(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के समय, कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का सीधे तौर पर भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए और दण्डित किए जाने का दायी होगा :
				परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, उपधारा (1) में उपबंधित किसी दंड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दायी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।
				(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” के अन्तर्गत निगमित निकाय, फर्म, न्यास, सोसाइटी और व्यक्तियों का कोई अन्य संगम आता है;

(ख) “निदेशक” के अन्तर्गत, यथास्थिति, कंपनी का निदेशक, फर्म का भागीदार, सोसाइटी या न्यास के सदस्य या व्यक्तियों के किसी संगम का सदस्य आते हैं।’

(3) अध्याय 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“अध्याय 3क

निधि, लेखा और संपरीक्षा

16. पर्यावरण संरक्षण निधि—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पर्यावरण संरक्षण निधि नामक निधि की स्थापना कर सकेगी।

(2) निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(क) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम;

(ख) निधि से किए गए विनिधानों में से प्राप्त ब्याज या अन्य आय; और

(ग) ऐसे स्रोतों से कोई अन्य रकम, जो विहित की जाए।

(3) निधि निम्नलिखित के लिए उपयोजित की जाएगी—

(क) पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता, शिक्षा और अनुसंधान का संवर्धन;

(ख) वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और इस अधिनियम के अधीन उद्देश्यों और प्रयोजनों के प्राप्ति के लिए खर्च;

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विहित किए जाए।

(4) केन्द्रीय सरकार, निधि के प्रशासन के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य विषयों के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रशासक अधिसूचित करेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(5) केन्द्रीय सरकार, शास्तियों की ऐसी रकम की पचहत्तर प्रतिशत रकम राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को आबंटित करेगी जिसे निधि में जमा किया गया है । 16क. निधि के लेखा और उसकी संपरीक्षा—(1) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण निधि के संबंध में पृथक लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखेगी और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी। (2) निधि के लेखे भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा अवधारित किए जाएं, संपरीक्षित किए जाएंगे और उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित ऐसे संपरीक्षित लेखे केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से अग्रेषित किए जाएंगे । 16ख. वार्षिक रिपोर्ट—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण संरक्षण निधि के संबंध में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें इस अधिनियम के अधीन परिभाषित अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा इस प्रकार से तैयार किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उसे रखवाएगी । (ऊ) धारा 19 में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “(कक) न्यायनिर्णायक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ;”; (ऋ) धारा 24 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— “24. अन्य विधियों का प्रभाव—इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध या इसके अधीन किए गए आदेशों को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।”। (ए) धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— “(छक) धारा 15ग की उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति और उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन शास्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए अन्य कारक ; (छख) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन अन्य रकम ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(छग) धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन अन्य प्रयोजन के लिए ; (छघ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन निधि के प्रशासन ; (छड) धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन निधि के लेखा के रखरखाव और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप ; (छच) धारा 16ख के अधीन निधि की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप ;”।
25.	1987	53	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987	(अ) धारा 33ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— “33ग. लेखापरीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति—जहां कोई लेखापरीक्षक, धारा 33 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तब रिजर्व बैंक सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी अस्तित्व के लेखा परीक्षक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन करने से एक समय पर अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए हटा या वर्जित कर सकेगा ।”। (आ) धारा 49 में,— (i) उपधारा (2) और उपधारा (2ख) का लोप किया जाएगा; (ii) उपधारा (3) के खंड (कक) का लोप किया जाएगा; (iii) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा । (इ) धारा 52क में,— (I) पार्श्व शीर्ष में, “जुर्माना” शब्द के स्थान पर, “शास्ति” शब्द रखा जाएगा; (II) उपधारा (1) में,— (i) खंड (क) में, “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर, “पच्चीस हजार” शब्द रखे जाएंगे; (ii) खंड (ख) में,— (क) “या खंड (कक)” शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ; (ख) “पांच लाख” शब्दों के स्थान पर, “दस लाख” शब्द रखे जाएंगे; (ग) “पच्चीस हजार” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख” शब्द रखे जाएंगे;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(III) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
				“(1क) यदि कोई व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान, जो एक कंपनी है, कोई बही, लेखा या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई कथन या सूचना देने में असफल रहता है, तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान का कर्तव्य है कि वह प्रस्तुत करे या दे, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान पर प्रत्येक उल्लंघन या चूक के संबंध में ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी और जहां ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहती है, वहां प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो सात हजार पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगी।
				(1ख) जहां कोई लेखापरीक्षक, धारा 33 के अधीन, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो उस पर दस लाख रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।
				(1ग) यदि (लेखापरीक्षक से भिन्न) कोई व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान, जो कंपनी है, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक द्वारा, अध्याय 5 के किसी उपबंध के अधीन दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक ऐसे व्यक्ति या आवास वित्त संस्थान पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो दस लाख रुपए से अनधिक या ऐसे उल्लंघन या चूक में अंतर्विष्ट रकम की दोगुनी होगी ; जहां रकम मात्रात्मक है, जो भी अधिक हो और जहां ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहती है, वहां पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपए तक की अतिरिक्त शास्ति हो सकेगी।
				(1घ) जहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन किया जाता है या इस अधिनियम की किसी अन्य अपेक्षा या इसके अधीन अधिरोपित किसी आदेश, विनियम या निदेश के अनुपालन में चूक की जाती है, यथास्थिति, राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, , ऐसे उल्लंघन या चूक का दोषी है, किसी व्यक्ति या आवास वित्तीय संस्थान, जो एक कंपनी है पर प्रत्येक उल्लंघन या चूक के लिए एक लाख रुपए से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और यदि यह सतत प्रकृति की है तो ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या चूक के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहती है पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।”;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(IV) उपधारा (2) में,— (i) “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर “यह धारा” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ; (ii) “आवास वित्त संस्था” शब्द, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, के स्थान पर “व्यक्ति या आवास वित्त संस्था” शब्द रखे जाएंगे ; (V) उपधारा (3) में,— (i) “आवास वित्त संस्था पर तामील” शब्दों के स्थान पर “व्यक्ति या आवास वित्त संस्था पर तामील” शब्द रखे जाएंगे ; (ii) “आवास वित्त संस्था का ऐसी अवधि के भीतर उस धनराशि का संदाय करने में असफल रहने की दशा में”, शब्दों के स्थान पर, “व्यक्ति या आवास वित्त संस्था के ऐसी अवधि के भीतर उस धनराशि का संदाय करने में असफल रहने की दशा में”, शब्द रखे जाएंगे ; (iii) “जहां आवास वित्त संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय”, शब्दों के स्थान पर, “यथास्थिति, जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है या जहां आवास वित्त संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय” शब्द रखे जाएंगे ; (VI) उपधारा (4) में, “वित्त संस्था द्वारा संदेय”, शब्दों के स्थान पर, “वित्त संस्था या व्यक्ति द्वारा संदेय” शब्द रखे जाएंगे ।
26.	1988	59	मोटर यान अधिनियम, 1988	(अ) धारा 192क की उपधारा (1) में,— (i) “और दस हजार रुपए का जुर्माना” शब्दों के स्थान पर “या दस हजार रुपए का जुर्माना या दोनों” शब्द रखे जाएंगे ; (ii) परंतुक का लोप किया जाएगा । (आ) धारा 200 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— (1) धारा 177, धारा 177क, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 181, धारा 182, 182क की उपधारा (1) या उपधारा (3) या उपधारा (4), 182ख, धारा 183 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 184 के स्पष्टीकरण का खंड (ग), धारा 186, धारा 189, धारा 190 की उपधारा (2), धारा 192, धारा 192क, धारा 192ख की उपधारा (3), धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194ङ, धारा 194च, धारा 196, धारा 198 और धारा 201 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किया गया हो या पश्चात् किया गया हो, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रकम के लिए जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् शमन किया जा सकेगा ।” (इ) धारा 215 की उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				“परंतु जहां राज्य सरकार ने जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित नहीं की है, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले के लिए समिति का गठन कर सकेगी जो एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य जो यह आवश्यक समझे तथा ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो अवधारित की जाएं, से मिलकर बनेगी।
27.	1989	24	रेल अधिनियम, 1989	धारा 144 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “(2) किसी व्यक्ति को रेल के किसी सवारी डिब्बे में या रेल के किसी भाग पर भीख मांगना अनुज्ञात नहीं होगा।”।
28.	1991	6	लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991	(अ) धारा 2 में,— (i) खंड (जक) को उसके खंड (जख) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (जक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— ‘(जक) "संपत्ति" में परिसंकटमय पदार्थों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेज, भंडारण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, नाश, संपरिवर्तन, अंतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण किसी इकाई या उपक्रम के द्वारा प्रभावित या क्षति की गई कोई प्राइवेट संपत्ति या लोक संपत्ति सम्मिलित है।”। (ii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(ट) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों में हैं।”; (आ) धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “(1) जहां किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप (कर्मकार से भिन्न) किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे क्षति पहुंचती है या संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है वहां स्वामी ऐसी रकम या ऐसे अन्य अनुतोष जो विहित किए जाएं, को प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा— (क) घातक दुर्घटना के कारण मृत्यु; (ख) पूर्ण रूप से या आंशिक निःशक्तता के कारण उपगत चिकित्सीय व्यय; (ग) आंशिक निःशक्तता के कारण मजदूरी की हानि; (घ) अन्य क्षति या बीमारी; (ङ) प्राइवेट संपत्ति की क्षति; या

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

(च) ऐसा अन्य नुकसान या क्षति जो विहित की जाए।”।

(इ) धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

“(1) किसी उपक्रम का प्रत्येक स्वामी किसी परिसंकटमय पदार्थ का रखरखाव प्रारम्भ करने के पूर्व किसी उपक्रम या इकाई के लिए एक या अधिक बीमा पालिसियां लेगा जिसमें या जिनमें ऐसे बीमा की संविदाओं के लिए उपबन्ध होगा जिसके द्वारा वह ऐसा अनुतोष देने या धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी रकम की प्रतिपूर्ति करने की देयता के लिए बीमाकृत है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित के अधीन प्रचालन के लिए पृथक सहमति रखते हुए कोई उपक्रम—

(i) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6); और

(ii) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14),

पृथक इकाई के रूप में समझा जाएगा:

परंतु जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से तत्काल पूर्व किसी परिसंकटमय पदार्थ के रखरखाव को करने वाला कोई स्वामी यथासंभवशीघ्र तथा उस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी बीमा पॉलिसी या पॉलिसियां लेगा।”;

(ख) उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(2क) किसी उपक्रम या इकाई के लिए किसी स्वामी द्वारा ली गई या नवीकृत कराई गई कोई भी बीमा पालिसी उस रकम के लिए होगी जो किसी परिसंकटमय पदार्थ को हथालने वाले उस उपक्रम या इकाई के स्वामी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उपक्रम की समादत्त पूंजी की रकम से कम रकम की नहीं होगी और ऐसी रकम तक हो सकेगी, जो विहित की जाए किन्तु पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक की नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी स्वामी के संबंध में जो कंपनी नहीं है “समादत्त पूंजी” से बीमा की संविदा की तारीख पर उपक्रम की सभी आस्तियों और स्टॉक का बाजार मूल्य अभिप्रेत है।”।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ई) धारा 6 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “(1क) जहां कोई क्षति ऐसे परिसंकटमय पदार्थ के विनिर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेज, भंडारण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, नाश, संपरिवर्तन, अंतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण किसी लोक संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को कारित हुई है, तो ऐसी संपत्ति के पुनःसंग्रहण के दावे के लिए आवेदन को कलेक्टर को ऐसी संपत्ति के स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा, जैसा विहित किया जाए।”। (उ) धारा 7 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “(9) जहां ऐसे परिसंकटमय पदार्थों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेज, भंडारण, पारेषण, प्रयोग, संग्रहण, नाश, संपरिवर्तन, अंतरण या ऐसी अन्य प्रक्रियाओं के कारण पर्यावरण प्रभावित होता या उसकी क्षति होती है, तो केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए आवेदन पर उस रीति में जो विहित की जाए इस प्रकार कारित क्षति के प्रत्यावर्तन के लिए पर्यावरण अनुतोष निधि से निधि आवंटित कर सकेगी।”। (ऊ) धारा 7क में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “(1क) उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनुतोष निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा,— (क) धारा 4 की उपधारा (2ग) में निर्दिष्ट रकम; (ख) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम; (ग) निधि से किए गए विनिधानों से प्राप्त ब्याज या अन्य आय; (घ) ऐसे अन्य संसाधनों से कोई अन्य रकम, जो विहित की जाए;”; (ऋ) धारा 14 और धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:— “14. उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) के किन्हीं उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है, वह बीमा पॉलिसी के वार्षिक प्रीमियम की रकम के बराबर शास्ति के लिए दायी होगा और जिसे ऐसे प्रीमियम की रकम के दुगुने तक बढ़ाया जा सकेगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन निरंतर हुआ हो, ऐसे न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी, जो प्रत्येक माह या उस अवधि के दौरान जिसमें उल्लंघन निरंतर हुआ हो, के लिए संदत्त की जाने वाली प्रीमियम की रकम से अधिक नहीं होगी।”। 15. आदेशों का अनुपालन करने के लिए शास्ति—(1) जहां कोई व्यक्ति धारा 12 के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किन्तु जिसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा। (2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निरंतर अननुपालन करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली ऐसी अतिरिक्त शास्ति के लिए दायी होगा जो प्रतिदिन दस हजार रुपए से कम नहीं होगी जिसके दौरान ऐसा अननुपालन लगातार हुआ हो। (3) जहां कोई स्वामी धारा 9 के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करता है या धारा 10 या धारा 11 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगी किन्तु जिसे पन्द्रह लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा। (4) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अननुपालन जारी रखता है, तो वह प्रतिदिन दस हजार रुपए की अतिरिक्त शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा जिसके दौरान ऐसा अननुपालन जारी रहता है। 15क. न्यायनिर्णायक अधिकारी—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 14 या धारा 15 के अधीन शास्तियां अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट को या भारत सरकार के निदेशक के पद से अन्यून पंक्ति के अधिकारी को या राज्य सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारी को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी : परंतु केन्द्रीय सरकार, कई न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जैसा अपेक्षित हो। (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन भेज सकेगा और उपस्थिति को प्रवृत्त कर सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी हो सकता है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				या सुसंगत हो सकता है और यदि ऐसी जांच पर उसका यह समाधान हो जाता है कि संबद्ध व्यक्ति, धारा 4 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (2क) या उपधारा (2ग) और धारा 12 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह धारा 14 और धारा 15 के अधीन ऐसी शास्ति को अवधारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे : परंतु कोई ऐसी शास्ति संबद्ध व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी । 15ख. अपील—(1) कोई व्यक्ति, जो धारा 15क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश द्वारा व्यथित है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 के अधीन स्थापित किए गए राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील प्रस्तुत कर सकेगा । (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से साठ दिनों के भीतर फाइल की जाएगी जिस दिन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति व्यथित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है । (3) अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को संपुष्ट करने, उपांतरित करने या अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे । (4) जहां उपधारा (1) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, ऐसी अपील पर अधिकरण द्वारा विचार तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने अधिकरण को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति की रकम का दस प्रतिशत जमा नहीं किया है ।”। (ए) धारा 16 का लोप किया जाएगा । (ऐ) धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— “17. सरकारी विभाग द्वारा उल्लंघन के लिए शास्ति— (1) जहां इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है वहां विभाग का प्रमुख उसके मूल वेतन के एक मास के वेतन के बराबर शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा : परंतु वह ऐसे उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी या अनुदेशों के बिना किया था या उसने उस उल्लंघन को किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई उल्लंघन विभाग के प्रमुख से भिन्न, किसी अधिकारी की उपेक्षा के कारण हुआ है, वहां वह मूल वेतन के एक मास के वेतन के बराबर शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा : परंतु वह उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि उसने उस उल्लंघन को किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी । 17क. शास्ति रकम का पर्यावरण राहत कोष में जमा किया जाना—यथास्थिति, जहां कोई शास्ति या अतिरिक्त शास्ति, धारा 14 या धारा 15 या धारा 17 के अधीन अधिरोपित की जाती है, वहां ऐसी शास्ति की रकम धारा 7क के अधीन स्थापित पर्यावरण राहत कोष में जमा की जाएगी । 17ख. शास्ति या अतिरिक्त शास्ति के संदाय की असफलता के लिए अपराध—(1) जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित के अधिरोपण के लिए शास्ति या अतिरिक्त शास्ति के संदाय में असफल रहता है— (क) यथास्थिति, धारा 14 या धारा 17 के अधीन उल्लंघन या निरंतर उल्लंघन ; (ख) धारा 15 के अधीन जारी निदेशों का अननुपालन, ऐसे अधिरोपण के नब्बे दिनों के भीतर, वह कारावास का, जो तीन वर्ष तक हो सकेगा या शास्ति से जो पन्द्रह लाख रुपए तक हो सकेगी या दोनों का दायी होगा । (2) जहां अपराध उपधारा (1) के अधीन किसी कंपनी द्वारा किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय पर जब अपराध किया गया, प्रत्यक्षतः कंपनी का सीधे प्रभारी था और कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था, साथ ही कंपनी को, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध तदनुसार कार्रवाई और दंडित किए जाने का दायी होगा : परंतु इस उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में उपबंधित किसी अपराध का उत्तरदायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था । (3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से सहमति या मौनानुकूलता या किसी उपेक्षा के कारण है, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी ऐसे अपराध का दोषी समझा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				जाएगा और उसके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही और दंडित किए जाने का दायी होगा । स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— (क) “कंपनी” से कोई भी कारपोरेट अभिप्रेत है और इसमें फर्म या अन्य व्यष्टियों का संगम भी है ; (ख) “निदेशक” के अन्तर्गत कंपनी का निदेशक भी है और फर्म के संबंध में, फर्म में भागीदार है ; (ओ) धारा 23 की उपधारा (2) में,— (i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— “(क) धारा 4 की उपधारा (2क) के अधीन ऐसी रकम ;”; (ii) खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— “(डक) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन रकम या अनुतोष और कोई अन्य हानि या क्षति ; (डख) धारा 6 की उपधारा (1क) के अधीन ऐसा अन्य व्यक्ति ; (डग) धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए निधि के आबंटन की रीति ; (डघ) धारा 7क की उपधारा (1क) के खंड (घ) के अधीन अन्य स्रोतों से कोई अन्य रकम ; (डड) धारा 15क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;”; (औ) अनुसूची का लोप किया जाएगा।
29.	1995	7	केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995	(अ) अध्याय 4 के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा

"अध्याय 4

शास्तियां

16. इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति—

(1) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह—

(क) प्रथम उल्लंघन के लिए सलाह या परिनिंदा या चेतावनी या किसी शास्ति से, जो बीस हजार रुपए तक की हो सकेगी, या दोनों से ;

(ख) तीन वर्षों की अवधि के भीतर प्रत्येक पश्चात्तुर्वर्ती उल्लंघन के लिए सलाह या परिनिंदा या चेतावनी या किसी शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, या दोनों सहित,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				ऐसे पदाभिहित अधिकारी द्वारा दायी होगा, जो विहित किया जाए । (2) पदाभिहित अधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकेगा : परन्तु तीन वर्षों से अधिक अवधि के दौरान तीन से अधिक बार उल्लंघनों के मामले में पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त, अभिलिखित कारणों से आदेश द्वारा अनुदत्त किए गए रजिस्ट्रेशन को निलंबित या प्रतिसंहत कर सकेगा : परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी द्वारा कोई आदेश, सुनवाई किए जाने के युक्तियुक्त अवसर को प्रदान किए बिना, नहीं किया जाएगा । (3) उपधारा (2) के अधीन आदेश द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति से व्यथित कोई व्यक्ति भारत सरकार के सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को अपील कर सकेगा : परन्तु ऐसी कोई अपील ऐसे किसी आदेश की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगी : परंतु यह और कि कोई अपील तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण की जा सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील प्रस्तुत करने से किसी पर्याप्त कारण से निवारित था ।”। (आ) धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (घक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(घख) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी ;”।
30.	1999	47	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	(अ) धारा 106 का लोप किया जाएगा । (आ) धारा 107 की उपधारा (2) में, “कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे व्यक्ति के संपरीक्षित लेखों में यथा संगणित, कारबार के, यथास्थिति, कुल विक्रय या आवर्त अथवा वृत्ति की सकल प्रतियों के आधे प्रतिशत के बराबर राशि या पांच लाख रुपए के बराबर राशि, इनमें से जो भी कम हो, की शास्ति का दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे । (इ) धारा 108 और धारा 109 का लोप किया जाएगा । (ई) धारा 112 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “112क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- रजिस्ट्रार, किसी आदेश द्वारा, धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस रीति में जो विहित की जाए जांच करने और उस पर शास्ति अधिरोपित करने तक के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				112ख. अपील- (1) जो कोई धारा 112क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित है, ऐसे अपील प्राधिकारी को, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील कर सकेगा, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की पंक्ति से कम से कम एक रैंक से अधिक वाला अधिकारी होगा । (2) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीति में की जाएगी जो विहित की जाए । (3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकृत की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील नहीं करने का उसके पास पर्याप्त कारण दिया गया था । (4) किसी अपील का तब तक निपटान नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो । (5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी अपील को फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा । (6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति धारा 112क के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश या इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी के किसी आदेश का अनुपालन करने में विफल होता है, तो ऐसे आदेश के नब्बे दिन के भीतर शास्ति के अतिरिक्त एक लाख रुपए के जुर्माने या ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।”। (उ) धारा 140 में उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “(3) आयातकर्ता या उसका अभिकर्ता, चौदह दिन के भीतर यथापूर्वोक्त अपेक्षा का अनुपालन करेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह दस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा : परंतु इस धारा के अधीन शास्ति ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन उद्गृहीत और वसूल की जाएगी ।”। (ऊ) धारा 157 की उपधारा (2) में, खंड (xxxiii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “(xxxiii) धारा 112क के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति; (xxxiiiख) धारा 112ख की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ;”।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	1999	48	माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	(अ) धारा 37 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— “37क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन- रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस रीति में जो विहित की जाए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच करने के लिए और शास्ति अधिरोपित करने के लिए, धारा 3 में निर्दिष्ट अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकेगा । 37ख. अपील- (1) जो कोई, धारा 37क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित है आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की रैंक से कम से कम एक रैंक ऊपर होगा, जैसा केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे । (2) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीति में की जाएगी जो विहित की जाए । (3) कोई अपील साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वीकृत की जा सकेगी यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त हेतुक था । (4) किसी अपील का तब तक निपटान नहीं किया जाएगा जब तक अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो । (5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी अपील को फाइल करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा । (6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति धारा 37क के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश या इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश का अनुपालन करने में विफल होता है, ऐसे आदेश के नब्बे दिन के भीतर शास्ति के अतिरिक्त एक लाख रुपए के जुर्माने या ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।”। (आ) धारा 42 की उपधारा (2) में, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसे व्यक्ति के संपरीक्षित लेखों में यथा संगणित कारबार में, यथास्थिति, कुल विक्रयों या आवर्त अथवा वृत्ति में सकल प्राप्तियों के आधे प्रतिशत के बराबर राशि या पांच लाख रुपए के बराबर राशि, जो भी कम हो, की शास्ति का दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(इ) धारा 43 और धारा 44 का लोप किया जाएगा।
				(ई) धारा 87 की उपधारा (2) में, खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
				“ (णक) धारा 37क के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;
				(णख) धारा 37ख की उपधारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ।”।
32.	2000	21	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	(अ) धारा 33 की उपधारा (2) में, “कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे।
				(आ) धारा 44 में,—
				(i) खंड (क) में, “एक लाख पचास हजार” शब्दों के स्थान पर “पंद्रह लाख” शब्द रखे जाएंगे;
				(ii) खंड (ख) में, “पांच हजार” शब्दों के स्थान पर “पचास हजार” शब्द रखे जाएंगे;
				(iii) खंड (ग) में, “दस हजार” शब्दों के स्थान पर “एक लाख” शब्द रखे जाएंगे;
				(इ) धारा 45 में,—
				(i) “नियमों या विनियमों” शब्दों के स्थान पर “नियमों, विनियमों, निदेशों या आदेशों” शब्द रखे जाएंगे;
				(ii) “पच्चीस हजार रुपए से अनधिक के प्रतिकर का संदाय करने या पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की शास्ति” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
				“ऐसे उल्लंघन से प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के अतिरिक्त एक लाख रुपए से अनधिक शास्ति, जो कि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—
				(क) मध्यवर्ती, कंपनी या निगमित निकाय द्वारा दस लाख रुपए ; या
				(ख) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में एक लाख रुपए ।”
				(ई) धारा 46,—
				(i) उपधारा (1) में, “इस अध्याय के अधीन” शब्दों के स्थान पर “इस अधिनियम के अधीन” शब्द रखे जाएंगे ;
				(ii) उपधारा (1क) में, “क्षति” शब्द का, दोनों स्थान पर जहां वह आता है, लोप किया जाएगा।
				(उ) धारा 66क का लोप किया जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ऊ) धारा 67ग की उपधारा (2) में, “कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे। (ऋ) धारा 68 की उपधारा (2) में, “कारावास का, जिसकी अवधि दो वर्ष से अधिक की नहीं होगी या एक लाख रुपए से अनधिक के जुर्माने का या दोनों का दायी होगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे। (ए) धारा 69ख की उपधारा (4) में, “कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा” शब्दों के स्थान पर “कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे। (ऐ) धारा 70ख की उपधारा (7) में, “एक लाख” शब्दों के स्थान पर “एक करोड़” शब्द रखे जाएंगे। (ओ) धारा 72 में, “कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे। (औ) धारा 72क में,— (i) पार्श्वशीर्ष में, “दंड” शब्द के स्थान पर, “शास्ति” शब्द रखा जाएगा ; (ii) “वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपए तक हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ।
33.	2002	60	मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002	(अ) धारा 6 की उपधारा (2) में, खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “(छक) इस अधिनियम के अधीन शास्तियां उद्ग्रहण करना और संगृहीत करना ।”। (आ) धारा 59 की उपधारा (2) में,— “(i) “जुर्माने से दंडनीय होगा जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर “शास्ति का दायी होगा जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे ; (ii) “पांच सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “दस हजार रुपए” शब्द रखे जाएंगे ;”।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(इ) धारा 63 में, “यदि कोई यात्री, किसी मेट्रो रेलवे पदधारी द्वारा परिवारित रहने की चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी, किसी रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करेगा या किसी रेलगाड़ी के ऐसे भाग, जो यात्रियों के उपयोग के लिए आशयित नहीं है पर हठपूर्वक यात्रा करेगा या अपने शरीर का कोई भाग रेलगाड़ी के बाहर निकालेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “यदि कोई यात्री, किसी रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करेगा या रेलगाड़ी के ऐसे भाग, जो यात्रियों के उपयोग के लिए आशयित नहीं है पर हठपूर्वक यात्रा करेगा या अपने शरीर का कोई भाग रेलगाड़ी से बाहर निकालेगा तो वह शास्ति का जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे ।
				(ई) धारा 65 के दीर्घशेष में, “कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो छह हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर “कारावास से, जो दो वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो तीस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा” शब्द रखे जाएंगे ।
				(उ) धारा 69 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
				“(4) यदि उपधारा (1) में वर्णित अधिक प्रभार और किराया या उपधारा (2) में वर्णित अधिक प्रभार और किराए का कोई अंतर देने के दायित्वाधीन कोई यात्री उसकी मांग की जाने पर, उसे नहीं देता है या देने से इंकार करता है तो इस निमित्त मेट्रो रेलवे प्रशासन द्वारा प्राधिकृत कोई मेट्रो रेलवे पदधारी ऐसी संदेय राशि की वसूली के लिए, यथास्थिति, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, मानो वह जुर्माना हो ।”।
				(ऊ) धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
				“70. रेलगाड़ी के संचार साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना—यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति, यात्रियों और रेलगाड़ी के भारसाधक मेट्रो रेल पदधारी के बीच के संचार के लिए मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा रेलगाड़ी में व्यवस्थित किन्हीं साधनों का उपयोग या उनमें हस्तक्षेप, युक्तियुक्त और पर्याप्त कारण के बिना करेगा या मेट्रो रेल की चेतावनी घंटी या आपात स्टॉप पुश या आपात ट्रिप प्रणाली या आपात कॉल प्वाइंट का दुरुपयोग करेगा तो ऐसी शास्ति से, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।”।
				(ऋ) धारा 80 का लोप किया जाएगा ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)										
				(ए) धारा 82 की उपधारा (1) में, “धारा 65 से धारा 79” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 65 से धारा 68, धारा 71 से धारा 79” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।										
34	2003	15	धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002	अनुसूची के भाग क में,— (i) पैरा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :— “पैरा 21 व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन अपराध										
<table><tr><th>धारा</th><th>अपराध का वर्णन</th></tr><tr><td>“103</td><td>मिथ्या व्यापार चिह्न, पण्य विवरण आदि लगाने के लिए शास्ति ।</td></tr><tr><td>104</td><td>ऐसे माल का विक्रय या ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति, जिस पर मिथ्या व्यापार चिह्न या मिथ्या पण्य विवरण लगाया गया है ।</td></tr><tr><td>105</td><td>दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित शास्ति ।</td></tr><tr><td>120</td><td>भारत के बाहर किए गए कृत्यों के लिए भारत में दुष्प्रेरण का दंड ।”;</td></tr></table>					धारा	अपराध का वर्णन	“103	मिथ्या व्यापार चिह्न, पण्य विवरण आदि लगाने के लिए शास्ति ।	104	ऐसे माल का विक्रय या ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति, जिस पर मिथ्या व्यापार चिह्न या मिथ्या पण्य विवरण लगाया गया है ।	105	दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित शास्ति ।	120	भारत के बाहर किए गए कृत्यों के लिए भारत में दुष्प्रेरण का दंड ।”;
धारा	अपराध का वर्णन													
“103	मिथ्या व्यापार चिह्न, पण्य विवरण आदि लगाने के लिए शास्ति ।													
104	ऐसे माल का विक्रय या ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति, जिस पर मिथ्या व्यापार चिह्न या मिथ्या पण्य विवरण लगाया गया है ।													
105	दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित शास्ति ।													
120	भारत के बाहर किए गए कृत्यों के लिए भारत में दुष्प्रेरण का दंड ।”;													
(ii) पैरा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :— “पैरा 22 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन अपराध														
<table><tr><th>धारा</th><th>अपराध का वर्णन</th></tr><tr><td>“75</td><td>अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों या उल्लंघनों को लागू होना ।”;</td></tr></table>					धारा	अपराध का वर्णन	“75	अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों या उल्लंघनों को लागू होना ।”;						
धारा	अपराध का वर्णन													
“75	अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों या उल्लंघनों को लागू होना ।”;													
(iii) पैरा 25 का लोप किया जाएगा ; (iv) पैरा 27 का लोप किया जाएगा ।														
35.	2006	34	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006	(अ) धारा 59 के खंड (i) में, “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्दों के स्थान पर, “कारावास से जो तीन मास तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (आ) धारा 61 में,— (i) पार्श्वशीर्ष में “दंड” शब्द के स्थान पर, “शास्ति” शब्द रखे जाएंगे ;										

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ii) “कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे । (इ) धारा 63 में,— (i) पार्श्वशीर्ष में “दंड” शब्द के स्थान पर, “शास्ति” शब्द रखा जाएगा ; (ii) “कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “शास्ति का, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा” शब्द रखे जाएंगे ।
36.	2006	38	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006	धारा 30 में,— (i) उपधारा (1) में, “वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “बैंक पांच लाख रुपए या ऐसे उल्लंघन में अन्तर्वलित रकम के दुगने जहां रकम परिमाणात्मक है, जो भी उच्चतर हो, से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त शास्ति से जो पहले दिन के पश्चात् जिसके लिए ऐसा उल्लंघन जारी रहता है प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक हो सकेगी” शब्द रखे जाएंगे । (ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।
37.	2006	41	छावनी अधिनियम, 2006	(अ) धारा 156 का लोप किया जाएगा। (आ) धारा 185 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— “(1) किसी छावनी क्षेत्र में किसी बोर्ड के अधीन किसी आवश्यक सेवा में नियोजित कोई व्यक्ति किसी संविदा के अभाव में समुचित प्राधिकार के बिना युक्तियुक्त कारण के बिना त्यागपत्र नहीं देगा या इयूटी से स्वयं अनुपस्थित नहीं होगा और ऐसे त्यागपत्र या इयूटी से अनुपस्थिति की दशा में, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में, जो विहित की जाए, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी ।”। (इ) धारा 286 का लोप किया जाएगा । (ई) धारा 287 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— “287. धारा 285 के अधीन अपराधों के लिए व्यक्तियों की गिरफ्तारी, वस्तुओं का अभिग्रहण और अधिहरण—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी अथवा उत्पाद-शुल्क अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को जो धारा 285 के अधीन किसी अपराध को करता है और ऐसा कोई आसव लेकर या मादक द्रव्य, जिसकी बाबत धारा 285 के अधीन कोई अपराध किया गया है तथा ऐसे कोई बरतन या परिवेष्ठन, जिनमें वह लेकर या मादक द्रव्य रखा है, अभिगृहीत कर सकेगा और निरुद्ध कर सकेगा ।

(2) जहां धारा 285 के अधीन वाले अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति उस धारा के अधीन वाले अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया जा चुका है, वहां पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा से, छावनी के अंदर अथवा उस धारा के अधीन परिनिश्चित किन्हीं सीमाओं के अंदर ऐसा कोई आसव लेकर या मादक द्रव्य अभिगृहीत कर सकेगा और उसे निरुद्ध कर सकेगा, जो पश्चात्तवर्ती अपराध के अभिकथित, किए जाने के समय ऐसे व्यक्ति का था या उसके कब्जे में था ।

(3) वह न्यायालय जो किसी व्यक्ति को धारा 285 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि करता है, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिगृहीत किसी पूरी वस्तु या उसके भाग के अधिहरण का आदेश दे सकेगा ।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी कोई वस्तु, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अभिगृहीत की गई है और उपधारा (3) के अधीन समपहत नहीं की गई है, उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी, जिससे वह ली गई थी ।

(उ) धारा 289 की उपधारा (5) का लोप किया जाएगा ।

(ऊ) धारा 314 के परन्तुक के खंड (क) में “ऐसे किसी उपबंध के भंग की दशा में जो चौथी अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट है” शब्दों, अक्षर और अंक का लोप किया जाएगा ।

(ऋ) चौथी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“चौथी अनुसूची

(धारा 314 देखिए)

धारा	विषय
183(1)	किसी अस्पताल या औषधालय में उपस्थित होने में असफलता के लिए निष्कासन की सूचना के पश्चात् किसी छावनी में बने रहना या पुनःप्रवेश करना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			296	आग्नेयास्त्र आदि ऐसे छोड़ना कि खतरा पैदा हो जाए
			300	लैंगिक अनैतिकता के लिए चक्कर लगाना या दुराग्रह करना
			304(क)	निष्कासन की सूचना के पश्चात् छावनी में बने रहना या लौट कर आना ।
38.	2007	51	संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	(अ) धारा 26 में,— (i) उपधारा (3) में, “जुर्माने से, जो प्रत्येक अपराध के संबंध में दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और यदि वह लगातार ऐसे इंकार करता है, तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा” के स्थान पर “धारा 30 के उपबंध के अनुसार शास्ति के लिए दायी होगा” शब्द और अंक रखे जाएंगे ; (ii) उपधारा (6) में, “जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहने वाला है, वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा” के स्थान पर “धारा 30 के उपबंध के अनुसार शास्ति के लिए दायी होगा” शब्द और अंक रखे जाएंगे । (आ) धारा 30 में— (क) पार्श्वशीर्ष में “जुर्माने” शब्द के स्थान पर “शास्तियां” शब्द रखा जाएगा; (ख) उपधारा (1) में— (i) “उपधारा (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक के बाद “या उपधारा (3)” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे; (ii) “पांच लाख” शब्दों के स्थान पर “दस लाख” शब्द रखे जाएंगे ।
39	2009	7	सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008	(अ) धारा 9 की उपधारा (2) और उपधारा (3) में “अभियोजन” शब्द के स्थान पर “शास्ति” शब्द रखा जाएगा ; (आ) अध्याय 4 के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात् :—

“ अध्याय 4

शास्तियां और न्यायनिर्णयन”

“15. विशिष्टियां प्रदाय करने और अन्य उल्लंघनों की उपेक्षा या इंकार करने के लिए शास्ति—(1) जो कोई किसी लेखा बही, वाउचर, दस्तावेज या अन्य कारबार अभिलेख पेश करने में असफल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				रहता है अथवा जो कोई उसे दी गई या भेजी गई किसी सूचना अनुसूची या विवरणी में अपेक्षित विशिष्टियों को भरने या उनका प्रदाय करने में अपेक्षा करता है या इंकार करता है या जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन या उनके प्रयोजनों के लिए उससे संबंधित किसी प्रश्न या जांच का उत्तर देने में अपेक्षा करता है या इंकार करता है या इस अधिनियम के उपबंधों को या तद्धीन बनाए गए नियमों के या इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी अपेक्षा के उल्लंघन में कृत्य करता है या अनुपालन करने में असफल रहता है, शास्ति का जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी और कंपनी की दशा में ऐसी शास्ति जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा । (2) किसी व्यक्ति या कंपनी पर शास्ति का अधिरोपण उपधारा (1) के अधीन उसे या उसकी बाध्यताओं से अवमुक्त नहीं करेगी, और यदि शास्ति के अधिरोपण की तारीख से चौदह दिन के अवसान के पश्चात्, वह अपेक्षित विशिष्टियों को देने में असफल रहता है या रहती है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध की या इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी अपेक्षा की अपेक्षा या इंकार या उल्लंघन करता है, अतिरिक्त शास्ति जो एक हजार रुपए तक हो सकेगी और किसी कंपनी की दशा में, अतिरिक्त शास्ति से, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान वह अपेक्षा, इंकार या उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपये तक का हो सकेगी, दायी होगा । 15क न्यायनिर्णायक अधिकारी—(1) समुचित सरकार धारा 15 के अधीन शास्तियों को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए कोई जांच करने के लिए, किसी अधिकारी को, जिसे वह ठीक समझे, न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त कर सकेगी : परन्तु समुचित सरकार, उतने न्यायनिर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने अपेक्षित हों । (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी मामले के तथ्य और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को सक्ष्य देने के लिए या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा और उपस्थित होने के लिए बुला सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकेगा, और यदि ऐसी जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाए कि संबंधित व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह शास्ति अधिरोपित कर सकेगा : परन्तु ऐसी कोई शास्ति संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				15ख. अपील—(1) जो कोई इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित है, समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत न्यायनिर्णायक अधिकारी के रैंक से ऊपर के अपील प्राधिकारी को आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा । (2) किसी अपील को तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे । (3) अपील प्राधिकारी अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे । (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपील का निपटान अपील प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा । 15ग वसूली—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।”। (इ) धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (घक) में निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— “(घख) धारा 15क की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ; (घग) धारा 15ख की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ।”।
40	2010	1	विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009	(अ) धारा 25 में, “जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी” शब्दों के स्थान पर “जुर्माने से, जो एक लाख रुपए और द्वितीय अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (आ) धारा 27 की दीर्घशीर्ष में, “जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से,” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तथा द्वितीय अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो चार लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(इ) धारा 28 में, “वह जुर्माने से ,जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से,” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए और दूसरे अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (ई) धारा 29 में, “जुर्माने से ,जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “दूसरे अपराध के लिए पचास हजार रुपए और ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (उ) धारा 31 में, “जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी” शब्दों के स्थान पर, “पच्चीस हजार रुपए और द्वितीय अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और तृतीय तथा पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (ऊ) धारा 34 में, “जुर्माने से ,जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा ,किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से ,जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा तृतीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (ऋ) धारा 35 में, “जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास से ,जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से” शब्दों के स्थान पर, “जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और द्वितीय अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा तृतीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा” शब्द रखे जाएंगे । (ए) धारा 48 में,—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में, “धारा 27 से धारा 39” दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, शब्दों और अंकों के स्थान पर, “धारा 27 से धारा 39, धारा 41” शब्द और अंक रखे जाएंगे। (ख) उपधारा (3) में, “धारा 33 से धारा 37” शब्दों और अंकों के पश्चात् “धारा 41” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।”।
41.	2012	12	फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011	(अ) धारा 21 और धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— “21. शास्तियां—यदि धारा 19 के अधीन किसी फेक्टर द्वारा प्राप्तव्यों के समनुदेशन और प्राप्तव्यों की वसूली के किसी संव्यवहार की विशिष्टियां फाइल करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है, तो ऐसी कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रम करने वाला व्यक्ति है, ऐसी शास्ति से जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा और अपराध जारी रहने की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, जो कि धारा 22 की उपधारा (2) से उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी। 22. रिजर्व बैंक के निदेश का अनुपालन न करने के लिए शास्ति— (1) यदि कोई फेक्टर धारा 6 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश का अनुपालन करने से असफल रहता है या धारा 19 के अधीन प्राप्तव्यों के किसी संव्यवहार और प्राप्तव्यों की वसूली की विशिष्टियां फाइल करने में असफल रहता है, तो रिजर्व बैंक ऐसी शास्ति जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी और असफलता जारी रहने की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा। (2) रिजर्व बैंक उपधारा (1) या धारा 21 के अधीन शास्ति अधिनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए, फेक्टर को उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील करेगा कि सूचना में विनिर्दिष्ट रकम अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए और ऐसे फेक्टर को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाएगा। (3) इस धारा या धारा 21 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति, उस तारीख से जिसको रिजर्व बैंक द्वारा राशि के संदाय की मांग करने संबंधी सूचना की फेक्टर पर तामील की जाती है, चौदह दिन की

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				अवधि के भीतर संदेय होगी और फेक्टर द्वारा उस अवधि के भीतर राशि का संदाय करने में असफल रहने की दशा में, उस क्षेत्र में, जहां फेक्टर का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; अथवा किसी फेक्टर के भारत के बाहर निगमित होने की दशा में, जहां भारत में उसके कारबार का मुख्य स्थान स्थित है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निदेश पर उद्गृहीत की जा सकेगी : परंतु ऐसा कोई निदेश रिजर्व बैंक या इस निमित्त रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा न्यायालय को किए गए आवेदन के सिवाय नहीं दिया जाएगा : परंतु यह और कि रिजर्व बैंक व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के चालू खाता, यदि कोई हो, से नामें द्वारा या व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के जमा रखी प्रतिभूतियों के परिसमापन द्वारा शास्ति की रकम वसूल कर सकेगा । (4) वह न्यायालय, जो उपधारा (3) के अधीन कोई निदेश देता है, फेक्टर द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति में प्रवर्तनीय होगा, मानो वह किसी न्यायालय द्वारा सिविल वाद में की गई कोई डिक्री हो ।”।
42.	2016	18	आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016	धारा 41 में, “कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कंपनी की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।” शब्दों के स्थान पर “शास्ति से, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगी या कंपनी की दशा में, शास्ति से, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।” रखा जाएगा ।

भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024

(2024 का अधिनियम संख्यांक 16)

[11 दिसम्बर, 2024]

वायुयान की डिजाइन, विनिर्माण, अनुरक्षण, कब्जा, उपयोग, प्रचालन,
विक्रय, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण के लिए
तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का
उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 है ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह निम्नलिखित पर लागू होता है—
 - (क) भारत के नागरिक, वे जहां कहीं भी हों ;
 - (ख) भारत में पंजीकृत वायुयान और वायुयान में सवार व्यक्ति, वे जहां कहीं भी हों ;

संक्षिप्त नाम,
विस्तार, लागू
होना और
प्रारंभ ।

(ग) भारत से बाहर पंजीकृत वायुयान, किन्तु जो तत्समय भारत में हो या भारत के ऊपर हो और वायुयान पर सवार व्यक्ति; और

(घ) ऐसे व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है किन्तु उसके कारबार का मुख्य स्थान या स्थायी निवास भारत में है, द्वारा प्रचालित कोई वायुयान ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “विमान क्षेत्र” से कोई निश्चित या सीमित स्थल या जल क्षेत्र अभिप्रेत है जो पूर्णतः या भागतः वायुयान के उतरने, उसके प्रस्थान करने और सतह संचलन के लिए आशयित है और इसके अन्तर्गत उस पर स्थित और उससे संबद्ध सभी भवन, शेड, जलयान, प्रस्तम्भ और अन्य संरचनाएं सम्मिलित हैं;

(2) किसी विमान क्षेत्र के संबंध में, “विमान क्षेत्र निर्देश बिन्दु” से वह अभिहित बिन्दु अभिप्रेत है जो वायुयान के प्रस्थान करने या उतरने के लिए आरक्षित विमान क्षेत्र के उस भाग के ज्यामितीय केन्द्र पर या उसके समीप क्षैतिज समतल में स्थापित किया जाए;

(3) “वायुयान” से ऐसी कोई मशीन अभिप्रेत है जो पृथ्वी की सतह पर वायु की प्रतिक्रियाओं से भिन्न, वायु की प्रतिक्रियाओं से वायुमंडल में आलंब प्राप्त कर सकती है;

(4) “वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो” से धारा 7 के अधीन गठित वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो अभिप्रेत है;

(5) “नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो” से धारा 5 के अधीन गठित नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो अभिप्रेत है;

(6) “डिजाइन” से आंकड़ों और सूचना का ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है, जो उड़न-योग्यता के अवधारण के प्रयोजन के लिए किसी वैमानिक उत्पाद प्रकार उसके संबंधित भाग और यंत्रों को परिभाषित करता है;

(7) “नागर विमानन महानिदेशालय” से धारा 3 के अधीन गठित नागर विमानन महानिदेशालय अभिप्रेत है;

(8) “निर्यात” से भारत से बाहर ले जाना अभिप्रेत है;

(9) “आयात” से भारत में लाना अभिप्रेत है;

(10) “अनुरक्षण” से किसी वायुयान, इंजन, नोदक या संबंधित भाग पर कार्यों का किया जाना अभिप्रेत है, जो वायुयान, इंजन, नोदक या संबंधित भाग की उड़न-योग्यता की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जिसके अंतर्गत पूरी तरह से मरम्मत, निरीक्षण, बदलना, त्रुटि सुधार, और परिवर्तन या मरम्मत का प्रतिरूप भी सम्मिलित है;

(11) “विनिर्माण” से ऐसे कार्यों का किया जाना अभिप्रेत है जिनमें आदिप्ररूप सहित वायुयान, इंजन, नोदक या संबंधित भागों और उसकी प्रयोज्य डिजाइन की अनुरूपता में यंत्र भी है, का संमजन या उत्पादन सम्मिलित है;

(12) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

नागर विमानन महानिदेशालय

1934 का 22

3. (1) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन गठित नागर विमानन महानिदेशालय, इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता, केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए नागर विमानन महानिदेशक के रूप में पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

नागर विमानन
महानिदेशालय।

(2) नागर विमानन महानिदेशालय, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में, सुरक्षा अन्वेक्षा और विनियामक कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) नागर विमानन महानिदेशालय का प्रशासन, नागर विमानन महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि नागर विमानन महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली कोई शक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी।

4. (1) नागर विमानन महानिदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी, समय-समय पर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत, धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ड), खंड (छ), खंड (झ), खंड (ज), खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ड), खंड (ढ़), खंड (ण), खंड (त), खंड (थ), खंड (द), खंड (ध), खंड (ब), खंड (यख), खंड (यग), खंड (यघ), और खंड (यच) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में, ऐसी किसी दशा में, जब नागर विमानन महानिदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी का समाधान हो जाता है कि भारत की सुरक्षा के हित में या वायुयानों के प्रचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, किसी विमान क्षेत्र का उपयोग करने वाले या वायुयान प्रचालनों, वायु यातायात नियंत्रण, विमान क्षेत्र का अनुरक्षण और प्रचालन, संचार, संचालन, निगरानी और वायु यातायात प्रबंध कार्यों के विरुद्ध तथा विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा में लगे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, निदेश जारी कर सकेगा।

नागर विमानन
महानिदेशक की
निदेश जारी
करने की
शक्ति।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक आदेश का अनुपालन, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसको ऐसा निदेश जारी किया गया है।

अध्याय 3

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो

1934 का 22

5. (1) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन गठित नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए नागर विमानन महानिदेशक के रूप में पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

नागर विमानन
सुरक्षा ब्यूरो।

(2) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित विषयों के बारे में, विनियामक और अन्वेक्षा कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का प्रशासन, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक में निहित होगा।

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी, कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली कोई शक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी ।

6. (1) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी, समय-समय पर आदेश द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत, धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (झ), खंड (ज), खंड (ण), खंड (यड) और खंड (यछ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में, उस दशा में, जहां नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या ऐसे अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की सुरक्षा के हित में या नागर विमानन प्रचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ऐसा करना आवश्यक है, किसी विमान क्षेत्र का उपयोग करने वाले, या वायुयान प्रचालनों, वायु यातायात नियंत्रण, विमान क्षेत्र को अनुरक्षण और प्रचालन या विधि विरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन सुरक्षा में नियोजित किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, निदेश जारी कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी किया जाता है, ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा ।

अध्याय 4

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो

7. (1) वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन गठित वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो, इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया समझा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक के रूप में पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

(2) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट वायुयान दुर्घटनाओं या घटनाओं के अन्वेषण से संबंधित विषयों के बारे में, कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का प्रशासन, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक में निहित होगा ।

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली कोई शक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी ।

अध्याय 5

केंद्रीय सरकार की शक्तियां

8. नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो का अधीक्षण केंद्रीय सरकार में निहित होगा, जिसे क्रमशः धारा 3 की उपधारा (2), धारा 5 और धारा 7 के अधीन आने वाले किन्हीं विषयों पर, इनमें से प्रत्येक संगठन को, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, निदेश जारी करने की शक्ति होगी ।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक की निदेश जारी करने की शक्ति ।

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो ।

1934 का 22

केंद्रीय सरकार का अधीक्षण ।

9. (1) जहां केंद्रीय सरकार, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, वहां वह किसी व्यक्ति से अभ्यावेदन की प्राप्ति पर या अन्यथा धारा 4 के अधीन नागर विमानन महानिदेशक द्वारा या धारा 6 के अधीन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी और इस प्रकार पारित आदेश को विखंडित या उपांतरित करने के लिए संबद्ध महानिदेशक को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह उपयुक्त समझे।

केंद्रीय सरकार की धारा 4 या धारा 6 के अधीन पारित आदेशों के पुनर्विलोकन की शक्ति।

(2) यथास्थिति, नागर विमानन महानिदेशक या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक निदेश का पालन करेगा और धारा 4 या धारा 6 के अधीन अपने द्वारा इस प्रकार पारित किए गए आदेश को, यथास्थिति, या तो विखंडित या उपांतरित करेगा।

10. (1) धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वायुयान या वायुयान के वर्ग के डिजाइन, विनिर्माण, अनुरक्षण, कब्जा, उपयोग, प्रचालन, विक्रय, आयात या निर्यात का विनियमन करने वाले और वायुयानों के प्रचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

(क) वे प्राधिकारी, जिनके द्वारा इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग किया जाना है;

(ख) वायु परिवहन सेवाओं का विनियमन और वायुयान का ऐसी सेवाओं में प्रयोग का प्रतिषेध सिवाय सेवा की स्थापना को प्राधिकृत करने वाली अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन और उसके अनुसार हो;

(ग) नागर विमानन और वायु परिवहन सेवाओं का आर्थिक विनियमन, जिसके अन्तर्गत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट टैरिफ से भिन्न, वायु परिवहन सेवाओं के प्रचालकों के टैरिफ का अनुमोदन, अननुमोदन या पुनरीक्षण है; वे अधिकारी या प्राधिकारी, जो इस निमित्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे; ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और वे बातें जिन्हें वे ध्यान में रखेंगे; ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध केंद्रीय सरकार को अपीलें और ऐसे टैरिफ से संबंधित अन्य सभी विषय।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “टैरिफ” के अन्तर्गत यात्रियों या माल के वायु परिवहन के लिए किराया, दरें मूल्यांकन प्रभार और अन्य प्रभार, ऐसे किराए, रेट, मूल्यांकन प्रभारों और अन्य प्रभारों को प्रभावित करने वाले नियम, विनियम, पद्धतियां या सेवाएं और यात्री या स्थौरा विक्रय अभिकर्ताओं को संदेय कमीशन की दरें, निबंधन और शर्तें सम्मिलित हैं ;

(घ) जो वायु परिवहन सेवा की स्थापना को प्राधिकृत करने वाली अनुज्ञप्ति के आवेदक या धारक द्वारा ऐसे प्राधिकारियों को प्रदान की जाने वाली सूचना, जो नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ङ) विमान क्षेत्रों का अनुज्ञापन, निरीक्षण और विनियमन, वे शर्तें जिनके अधीन विमान क्षेत्रों का अनुरक्षण किया जा सकेगा और अनुज्ञप्त-रहित विमान क्षेत्रों के उपयोग का प्रतिषेध या विनियमन;

(च) वह फीस, जो उन विमान क्षेत्रों पर प्रभारित की जा सकेगी, जिन पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 या भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 लागू नहीं होता है या लागू नहीं किया गया है;

1994 का 55

2008 का 27

(छ) वायुयान की डिजाइन, विनिर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण का और ऐसे स्थानों का निरीक्षण और नियंत्रण जहां वायुयानों की डिजाइन, विनिर्माण या मरम्मत की जा रही है या जहां वे रखे गए हैं;

(ज) वायुयान का पंजीकरण और चिह्नांकित करना;

(झ) वे शर्तें, जिनके अधीन वायुयान उड़ाया जा सकेगा या यात्री, डाक या माल ले जा सकेगा अथवा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकेगा और वायुयान में रखे जाने वाले प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्तियां या दस्तावेज;

(ञ) इस अधिनियम के और इसके अधीन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए वायुयान या वायुयान की डिजाइन, विनिर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन के लिए किसी सुविधा का निरीक्षण;

(ट) वायुयान के प्रचालन, विनिर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण में नियोजित व्यक्तियों का अनुज्ञापन;

(ठ) वायु यातायात नियंत्रण में लगे व्यक्तियों का अनुज्ञापन;

(ड) वायुयान और सहबद्ध उपकरणों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए रेडियो टेलीफोन या टेलीग्राफ के प्रचालन में लगे हुए कार्मिकों का प्रमाणीकरण और अनुज्ञप्तिकरण;

(ढ) संचार, संचालन और निगरानी तथा वायु यातायात प्रबंध सुविधाओं का प्रमाणन, निरीक्षण तथा विनियमन;

(ण) विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कार्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा के उपाय ;

(त) वायु संचालन सेवाओं, जो कि वैमानिक सूचना सेवाएं, वैमानिक चार्ट और मानचित्र सेवाएं, वैमानिक मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं, तलाशी और बचाव सेवाएं, वायु संचालन सेवाओं के लिए प्रक्रिया और वायुयान प्रचालन, जो खंड (ढ) में निर्दिष्ट से भिन्न हैं तथा वायु संचालन सेवाओं से संबंधित किसी अन्य विषय का विनियमन ;

(थ) वे वायुमार्ग, जिनसे और वे शर्तें, जिनके अधीन वायुयान भारत में प्रवेश कर सकेंगे या भारत से प्रस्थान कर सकेंगे अथवा भारत के भीतर या ऊपर उड़ सकेंगे और वे स्थान जहां वायुयान उतरेंगे या उड़ान भरेंगे ;

(द) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, या तो पूर्णतया या विनिर्दिष्ट समयों पर या विनिर्दिष्ट शर्तों और अपवादों के अधीन वायुयान की उड़ान का प्रतिषेध ;

(ध) वायुमार्ग के संकेत-दीपों, विमान क्षेत्र के प्रकाश और विमान क्षेत्रों पर या उसके आसपास या वायुमार्गों पर या उसके आसपास, प्रकाश का प्रदाय, पर्यवेक्षण और नियंत्रण;

(न) विमान क्षेत्रों के आसपास या वायुमार्गों पर या उसके आसपास निजी संपत्ति पर, ऐसी संपत्ति के स्वामियों या अधिभोगियों द्वारा प्रकाश का प्रतिष्ठापन और उनका अनुरक्षण, ऐसे प्रतिष्ठापन और अनुरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा संदाय, तथा ऐसे प्रतिष्ठापन और अनुरक्षण का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, जिसके अन्तर्गत ऐसे प्रयोजनों के लिए संपत्ति तक पहुंच का अधिकार भी सम्मिलित है;

(प) वायुयान द्वारा या उसको संसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले संकेत और संकेत भेजने में लगाए जाने वाले उपकरण;

(फ) वायुयान में किसी विनिर्दिष्ट वस्तु, खतरनाक माल या पदार्थ के वहन का प्रतिषेध और विनियमन;

(ब) जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ किए जाने वाले उपाय और ले जाए जाने वाले उपकरण;

(भ) लॉग बुक जारी करना और उसे रखना;

(म) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन के जारी करने या उसके नवीकरण की रीति और शर्तें, उससे संबंधित दी जानी वाली परीक्षाएं और परीक्षण, ऐसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन या किसी लॉग बुक का प्ररूप, अभिरक्षा, प्रस्तुत करना, पृष्ठांकन, रद्दकरण, निलंबन या समर्पण;

(य) इस अधिनियम के अधीन किए गए, जारी किए गए या नवीकरण किए गए किसी निरीक्षण, परीक्षा, परीक्षण, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या अनुमोदन के संबंध में प्रभारित की जाने वाली फीस;

(यक) वायुयान या वायुयान के प्रचालन, विनिर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण के लिए नियोजित व्यक्तियों की अर्हताओं के संबंध में भारत से अन्यत्र जारी किए गए अनुज्ञप्तियों और प्रमाणपत्रों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता देना;

(यख) विमान क्षेत्र निर्देश बिन्दु से दस किलोमीटर के त्रिज्या के भीतर पशुओं का वध करने और खाल उतारने का तथा कूड़ा, गंदगी और अन्य प्रदूषित एवं हानिकर पदार्थ डालने का प्रतिषेध;

(यग) विमान क्षेत्र के आसपास की सतहों या संसूचना और संचालन सेवा सुविधा को सीमित करने वाली बाधाओं के नियंत्रण का विनियमन;

(यघ) बचाव अन्वेक्षा और विनियामक कृत्य;

(यङ) सुरक्षा अन्वेक्षा और उसके विनियामक कृत्य;

(यच) वह क्षेत्र और रीति, जिसमें नागर विमानन महानिदेशक बचाव अन्वेक्षा और विनियामक कृत्यों के लिए निदेश जारी कर सकेंगे और ऐसे निदेशों के अनुपालन से छूट प्रदान कर सकेंगे;

(यछ) वह क्षेत्र और रीति, जिसमें नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक सुरक्षा अन्वेक्षा कृत्यों के लिए निदेश जारी कर सकेंगे और ऐसे निदेशों के अनुपालन से छूट प्रदान कर सकेंगे;

(यज) धनीय शास्ति की रकम का अवधारण;

(यझ) इस उपधारा में निर्दिष्ट विषयों के समनुषंगी या आनुषंगिक कोई विषय।

11. (1) धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी विषय जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित, समय-समय पर यथासंशोधित, अभिसमय (जिसमें अन्तरराष्ट्रीय मानकों और सिफारिश की गई पद्धतियों से संबंधित, उसका कोई उपाबन्ध भी है) को क्रियान्वित करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों।

अभिसमय को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

(2) दूर-संचार अधिनियम, 2023 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अंतरराष्ट्रीय दूर-संचार अभिसमय के लागू उपबंधों के अनुसार ऐसे नियम बना सकेगी, जो वायुयान के प्रचालन और अनुरक्षण में नियोजित व्यक्तियों को रेडियो दूरभाष प्रचालक (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

2023 का 44

केंद्रीय सरकार की दुर्घटनाओं का अन्वेषण करने के लिए नियम बनाने की शक्ति।

12. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए—

(क) भारत में या भारत के ऊपर किसी भी वायुयान; या

(ख) भारत में कहीं भी पंजीकृत वायुयान के,

संचालन से उद्भूत या उसके दौरान किसी दुर्घटना या घटना के अन्वेषण का उपबंध करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम—

(क) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि ऐसी रीति में और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी दुर्घटना या घटना की सूचना दी जाएगी;

(ख) दुर्घटना या घटना के अन्वेषण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध ऐसे अन्वेषण के प्रयोजनार्थ उपांतरण सहित या रहित लागू कर सकेंगे;

(ग) अन्वेषण के लंबित रहने तक ऐसे वायुयान तक पहुंचने और हस्तक्षेप करने का प्रतिषेध कर सकेंगे, जिससे कोई दुर्घटना या घटना हुई है और जहां तक अन्वेषण के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, किसी व्यक्ति को यह प्राधिकार दे सकेंगे कि वह ऐसे किसी वायुयान तक पहुंच सकेगा, उसकी परीक्षा कर सकेगा, उसे हटा सकेगा, उसके परिरक्षण के लिए उपाय कर सकेगा, या अन्य कार्यवाही कर सकेगा; और

(घ) जब अन्वेषण से यह प्रतीत हो कि अनुज्ञप्ति पर कार्यवाही की जानी चाहिए तब इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त या मान्यताप्राप्त किसी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र के रद्दकरण, निलम्बन, पृष्ठांकन या अभ्यर्पण को प्राधिकृत या अपेक्षित कर सकेंगे और ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसी किसी अनुज्ञप्ति को प्रस्तुत करने का उपबंध कर सकेंगे।

केंद्रीय सरकार की लोक स्वास्थ्य की संरक्षा के लिए नियम बनाने की शक्ति।

13. केंद्रीय सरकार, धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विमान क्षेत्र पर आने वाले या वहां स्थित वायुयान से लोक स्वास्थ्य को किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के प्रवेश या प्रसार से होने वाले संकट को रोकने के लिए और किसी विमान क्षेत्र से प्रस्थान करने वाले किसी वायुयान के माध्यम से संक्रमण या संसर्ग के प्रवहण को रोकने के लिए और विशिष्ट रूप से और इस उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी वायुयान और विमान क्षेत्र या किसी विनिर्दिष्ट विमान क्षेत्र के संबंध में उन विषयों का उपबंध करने वाले नियम बना सकेगी, जिनके लिए भारतीय पतन अधिनियम, 1908 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (त) के उपखंड (i) से उपखंड (viii) तक के अधीन यानों और पतनों के विषय में नियम बनाए जा सकेंगे।

1908 का 15

केंद्रीय सरकार की लोक स्वास्थ्य की संरक्षा के लिए आपातकालीन शक्तियां।

14. (1) यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत या उसके किसी भाग में कोई खतरनाक महामारी फैली हुई है या फैलने की आशंका है और वायुयान के माध्यम से लोक स्वास्थ्य को उस रोग के प्रवेश या फैलने से होने वाले संकट को रोकने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के साधारण उपबंध अपर्याप्त हैं, तो केंद्रीय सरकार ऐसे संकट को रोकने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

(2) ऐसे किसी मामले में केंद्रीय सरकार, धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वायुयान और उसमें यात्रा करने वाले व्यक्तियों या उसमें ले जाई जाने वाली वस्तुओं और विमान क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे अस्थायी नियम बना सकेगी, जो वह उन परिस्थितियों में आवश्यक समझे।

(3) धारा 34 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन नियम बनाने की शक्ति, इन शर्तों के अधीन नहीं होगी कि नियमों को पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाया जाए, किन्तु ऐसे नियम अधिसूचना की तारीख से तीन मास से अधिक समय तक प्रवृत्त नहीं रहेंगे:

परन्तु यह कि केंद्रीय सरकार, विशेष आदेश द्वारा इन्हें अतिरिक्त अवधि या अवधियों के लिए प्रवृत्त कर सकेगी, जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक की नहीं होगी।

15. (1) यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोक संरक्षा या प्रशान्ति के हित में निम्नलिखित आदेशों में से सभी या किसी का जारी किया जाना समीचीन है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

केंद्रीय सरकार की आपात में आदेश देने की शक्ति।

(क) इस अधिनियम के अधीन जारी सभी या किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अध्वधीन, जिन्हें वह आदेश में विनिर्दिष्ट करना ठीक समझे, रद्द या निलंबित कर सकेगी;

(ख) सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग के ऊपर सभी या किसी वायुयान या वायुयान के वर्ग की उड़ान का या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अध्वधीन, जिन्हें वह आदेश में विनिर्दिष्ट करना ठीक समझे, प्रतिषेध कर सकेगी अथवा उसे ऐसी रीति में विनियमित कर सकेगी, जो आदेश में अन्तर्विष्ट हो;

(ग) किसी विमान क्षेत्र, वायुयान सुविधा, उड़्डयन प्रशिक्षण संगठन या वह स्थान, जहां वायुयान या उनका कोई वर्ग या प्रकार डिजाइन किए जाते हैं, विनिर्मित किए जाते हैं, मरम्मत किए जाते हैं या रखे जाते हैं, के परिनिर्माण, अनुरक्षण या उपयोग को पूर्ण रूप से या सशर्त प्रतिषिद्ध कर सकेगी या विनियमित कर सकेगी; और

(घ) यह निदेश दे सकेगी कि कोई वायुयान या वायुयान का वर्ग या कोई विमान क्षेत्र, वायुयान सुविधा, उड़्डयन प्रशिक्षण संगठन या वह स्थान, जहां वायुयान डिजाइन किए जाते हैं, विनिर्मित किए जाते हैं, मरम्मत किए जाते हैं या रखे जाते हैं, साथ ही साथ वायुयान के डिजाइन प्रचालन, विनिर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण में प्रयुक्त कोई मशीन, संयंत्र, सामग्री या वस्तुएं या तो तुरन्त या विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे प्राधिकारी को और उस रीति में जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, लोक सेवा के लिए उस सरकार के व्ययनाधीन परिदत्त की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दिया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

(3) यदि किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के कारण कोई प्रत्यक्ष क्षति या हानि होती है तो उसे उतना प्रतिकर दिया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए।

(4) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश का अनुपालन कराने

के लिए ऐसे कदम उठाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हों ।

(5) जो कोई जानबूझकर, उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की अवज्ञा करता है, या उसका अनुपालन करने में असफल रहता है या उसके उल्लंघन में कोई कार्य करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा और वह न्यायालय, जिसके द्वारा वह दोषसिद्ध किया जाता है यह निदेश दे सकेगा कि वह वायुयान या वस्तु (यदि कोई हो) जिसके संबंध में वह अपराध किया गया है, या ऐसी वस्तु का कोई भाग, केंद्रीय सरकार को जब्त हो जाएगा ।

16. केंद्रीय सरकार, धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगी जिनमें उस संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा और पुनः परिदान सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे जो किसी विमान क्षेत्र पर अथवा किसी विमान क्षेत्र पर किसी वायुयान में उचित अभिरक्षा विहीन पाई जाती है और ऐसे किन्हीं नियमों में विशिष्टतः निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा—

(क) ऐसी किसी संपत्ति को उसके हकदार व्यक्ति को पुनः परिदान करने से पूर्व, उस संपत्ति के संबंध में प्रभारों का संदाय करना; और

(ख) जहां उसके हकदार व्यक्ति को, ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, पुनः परिदत्त नहीं की जाती है, उस दशा में उस संपत्ति का निपटारा करना ।

17. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी वायुयान को निरुद्ध कर सकेगा, यदि ऐसे प्राधिकारी की राय में—

(क) आशयित उड़ान की प्रकृति को देखते हुए, ऐसे वायुयान की उड़ान से उस वायुयान में सवार व्यक्तियों को या किसी अन्य व्यक्ति को या संपत्ति को खतरा हो सकता है; या

(ख) ऐसा अवरोधन, इस अधिनियम या ऐसे वायुयान को लागू होने वाले नियमों के किसी उपबंध का अनुपालन कराने के लिए आवश्यक है, या ऐसा अवरोधन, धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (थ) या खंड (द) के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन रोकने के लिए अथवा किसी न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है ।

(2) केंद्रीय सरकार, धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस शक्ति के प्रयोग के समनुषंगी या आनुषंगिक सभी मामलों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

18. (1) यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि वायुयान के प्रचालन की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा,—

(क) निदेश दे सकेगी कि विमान क्षेत्र निर्देश बिन्दु से बीस किलोमीटर से अनधिक ऐसी त्रिज्या के भीतर किसी भूमि पर जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी भवन या संरचना का निर्माण अथवा परिनिर्माण नहीं किया जाएगा, या वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा तथा यदि ऐसा कोई भवन, संरचना या वृक्ष ऐसी भूमि पर हो तो वह ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी कालावधि के भीतर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, ऐसे भवन या संरचना को तोड़ने अथवा ऐसे वृक्ष को काट देने का निदेश दे सकेगी ;

केंद्रीय सरकार की बिना दावा वाली संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा और पुनः परिदान सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति ।

वायुयान को निरुद्ध करने की शक्ति ।

केंद्रीय सरकार की भवन निर्माण, वृक्षारोपण और ऐसे ही कार्यों को प्रतिषिद्ध या विनियमन की शक्ति ।

(ख) निदेश दे सकेगी कि विमान क्षेत्र निर्देश बिन्दु से बीस किलोमीटर से अनधिक ऐसी त्रिज्या के भीतर किसी भूमि पर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उतनी ऊंचाई से अधिक ऊंचे किसी भवन या संरचना का निर्माण या परिनिर्माण नहीं किया जाएगा, अथवा ऐसा कोई वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा, जिसकी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऊंचाई से अधिक ऊंचा उगने की संभाव्यता है या जो साधारणतया ऐसी ऊंचाई से अधिक ऊंचा उगता है, और यदि ऐसी भूमि पर किसी भवन या संरचना या वृक्ष की ऊंचाई विनिर्दिष्ट ऊंचाई से अधिक हो तो वह ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी या उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के भीतर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी ऊंचाई कम करने का निदेश भी दे सकेगी, ताकि वह विनिर्दिष्ट ऊंचाई से अधिक न रहे ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन त्रिज्या विनिर्दिष्ट करते समय तथा उक्त खंड (ख) के अधीन किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई विनिर्दिष्ट करते समय, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी,—

(क) विमान क्षेत्र में प्रचालित या प्रचालन के लिए आशयित वायुयान की प्रकृति; और

(ख) वायुयान के प्रचालन को शासित करने वाले अन्तरराष्ट्रीय मानक और सिफारिश की गई पद्धतियां ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी को अथवा उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को ऐसे भवन या संरचना को तोड़ने या ऐसे वृक्ष को काटने का अथवा किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम करने का निदेश देने वाली कोई अधिसूचना जारी कर दी गई हो, वहां ऐसे निदेश को अन्तर्विष्ट करने वाली अधिसूचना की एक प्रति, यथास्थिति, भवन, संरचना या वृक्ष के स्वामी पर अथवा उस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति पर तामील की जाएगी,—

(क) ऐसे स्वामी या व्यक्ति को परिदत्त या निविदत्त करके; या

(ख) यदि वह इस प्रकार परिदत्त या निविदत्त नहीं की जा सकती है, तो ऐसे स्वामी या व्यक्ति के किसी अधिकारी को अथवा ऐसे स्वामी या व्यक्ति के परिवार के किसी वयस्क सदस्य को परिदत्त या निविदत्त करके अथवा अधिसूचना की एक प्रति उस परिसर के, जिसमें ऐसे स्वामी या व्यक्ति का अन्तिम बार निवास किया जाना अथवा कारबार चलाना अथवा अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है, बाहरी द्वार पर अथवा सहजदृश्य किसी भाग पर लगाकर; या डाक अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा परिदान करके; या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किन्हीं साधनों द्वारा सेवा की तामील में असफलता की दशा में डाक द्वारा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी निदेश का अनुपालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होगा ।

19. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करता है तो केंद्रीय सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, कोई निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा या अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को जारी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित या रद्द कर सकेगा ।

केंद्रीय सरकार की अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को निर्बंधित, निलंबित या रद्द करने की शक्ति।

(2) यह समाधान हो जाने पर कि क्रमशः इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए निदेशों का किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है तो अधिनियम, नियम या निदेश के संबंधित उपबंधों, जिनका उल्लंघन किया गया है, की प्रकृति और ऐसे निलंबन या रद्द करने या निर्बंधन अधिरोपित करने के कारणों का कथन करते हुए, केंद्रीय सरकार या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए,—

- (i) अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को निलंबित या रद्द कर सकेगा ; या
- (ii) अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन पर निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) केंद्रीय सरकार या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

(4) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों में उन आधारों को, जिन पर किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुमोदन को निलंबित किया जा सकेगा या वे परिस्थितियां, जिनके अधीन तुरंत प्रभाव से ऐसे निर्बंधनों को अधिरोपित किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

20. केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उसमें उपबंधित कारणों से किसी वायुयान या वायुयान के वर्ग और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकेगी या यह निदेश दे सकेगी कि वे ऐसे वायुयान या व्यक्तियों को ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

21. केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली शक्तियां (इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) महानिदेशक, नागर विमानन या महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेगी ।

अध्याय 6

हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर का संदाय

22. (1) यदि धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी निदेश के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कोई हानि या नुकसान होता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर दिया जाएगा जिसकी रकम, इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित रीति से और सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) जहां प्रतिकर की रकम सहमति से नियत की जा सकती है, वहां वह ऐसी सहमति के अनुसार संदत्त की जाएगी;

(ख) जहां ऐसी सहमति नहीं हो सकती है, वहां केंद्रीय सरकार, ऐसे व्यक्ति को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा इस रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त कर सकेगी;

(ग) केंद्रीय सरकार, किसी विशिष्ट मामले में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे प्रतिकर के हकदार व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान की प्रकृति के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो, नामनिर्देशन कर सकेगी और जहां ऐसा नामनिर्देशन किया जाता है वहां प्रतिकर का हकदार व्यक्ति भी उसी प्रयोजन के लिए एक असेसर नामनिर्दिष्ट कर

केंद्रीय सरकार की कुछ वायुयान को छूट देने की शक्ति ।

केंद्रीय सरकार की प्रत्यायोजित करने की शक्ति ।

हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के संदाय की रीति और अवधारण ।

सकेगा;

(घ) मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों के प्रारम्भ पर, केंद्रीय सरकार और वह व्यक्ति, जिसको प्रतिपूर्ति की जानी है, यह कथन करेंगे कि उनकी अपनी-अपनी राय में प्रतिकर की उचित रकम क्या है;

(ङ) विवाद की सुनवाई के पश्चात्, मध्यस्थ प्रतिकर की रकम, जो उसे न्यायसंगत प्रतीत हो, अवधारित करते हुए पंचाट करेगा और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करेगा जिसे या जिन्हें ऐसा प्रतिकर संदत्त किया जाएगा, और पंचाट करते समय वह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों का तथा निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा—

(i) प्रतिकर के हकदार व्यक्ति को उसके उपार्जनों में हुआ नुकसान;

(ii) यदि धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी निदेश के परिणामस्वरूप, ऐसी अधिसूचना के जारी होने के ठीक पश्चात् भूमि का बाजार मूल्य कम हो जाता है, तो ऐसे बाजार मूल्य में हुई कमी;

(iii) जहां किसी निदेश के अनुसरण में कोई भवन या संरचना तुड़वा दी गई हो या कोई वृक्ष कटवा दिया गया हो अथवा किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम कर दी गई हो तो ऐसे तुड़वाने, कटवाने या कम करने के परिणामस्वरूप प्रतिकर के हकदार व्यक्ति को हुआ नुकसान तथा ऐसे तुड़वाने, कटवाने या कम करने के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा उपगत व्यय;

(iv) यदि प्रतिकर के हकदार व्यक्ति को अपना निवास-स्थान या कारबार का स्थान परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़े तो वह युक्तियुक्त व्यय जो उसे ऐसे परिवर्तन के कारण उपगत करना पड़े;

(च) यदि प्रतिकर के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में कोई विवाद है, तो मध्यस्थ ऐसे विवाद का विनिश्चय करेगा और यदि मध्यस्थ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एक से अधिक व्यक्ति प्रतिकर के हकदार हैं तो वह प्रतिकर की रकम को ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रभाजित करेगा;

(छ) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की कोई बात इस धारा के अधीन मध्यस्थता को लागू नहीं होगी ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन मध्यस्थ द्वारा किए गए प्रत्येक पंचाट में, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों में उपगत खर्च की रकम, और खर्च किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में संदत्त किए जाएंगे, यह भी कथित होगा ।

23. कोई व्यक्ति, जो मध्यस्थ द्वारा धारा 22 के अधीन किए गए पंचाट से व्यथित है, ऐसे पंचाट की तारीख से तीस दिन के भीतर उस उच्च न्यायालय में, जिसकी अधिकारिता में विमान क्षेत्र स्थित हो, अपील कर सकेगा:

परन्तु यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील फाइल नहीं कर सका था तो वह उक्त तीस दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा ।

24. धारा 22 के अधीन नियुक्त मध्यस्थ को, इस अधिनियम के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियां करते समय, निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं, अर्थात् :—

प्रतिकर के संबंध में पंचाट की अपील ।

मध्यस्थ को सिविल न्यायालयों की कुछ शक्तियों का होना ।

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

25. (1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (फ) के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, जो वायुयान में आयुध, विस्फोटक या अन्य संकटकारी माल के वहन का प्रतिषेध या विनियमन करता है या जब उस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे किसी माल के बारे में सूचना देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी सूचना देता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, और यदि वह स्वामी नहीं है तो स्वामी भी (जब तक कि स्वामी यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी, सहमति या मौनानुकूलता के बिना किया गया था) कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने का भी, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, विमान क्षेत्र निर्देश बिंदु से दस किलोमीटर के त्रिज्या के भीतर पशुओं का वध करने और खाल उतारने तथा कूड़ा, गंदगी और अन्य प्रदूषित तथा घृणाजनक वस्तुएं डालने का प्रतिषेध करने वाले धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (यख) के अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपराध संज्ञेय होगा ।

2023 का 46

(4) धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 14 या धारा 17 के अधीन कोई अन्य नियम बनाते समय, केंद्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग करने पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

26. जो कोई किसी वायुयान को जानबूझकर ऐसी रीति से उड़ाता है जिससे भूमि या जल या वायु में किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति को संकट कारित हो, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

27. यदि कोई व्यक्ति, धारा 4 या धारा 6 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

संकटकारी उड़ान के लिए शास्ति ।

धारा 4 या धारा 6 के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति ।

28. (1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 18 के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी निदेश के अनुसरण में, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, किसी भवन या संरचना को तुड़वाने में या किसी वृक्ष को कटवाने में असफल रहता है अथवा किसी भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम करने में असफल रहता है तो, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे भवन या संरचना को तुड़वाने या ऐसे वृक्ष को कटवाने अथवा ऐसे भवन, संरचना या वृक्ष की ऊंचाई कम करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति, धारा 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए होगी।

29. जो कोई, इस अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध को करने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करता है और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दशा में कोई कृत्य करता है वह अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड का दायी होगा।

30. (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जो केवल कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय है, यथास्थिति, महानिदेशक, नागर विमानन या महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किसी अभियोजन की संस्थिति के पूर्व या पश्चात् ऐसी रीति में और एक करोड़ रुपए से अनधिक रकम के लिए, जो विहित की जाए, शमन किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा, दूसरी बार या तत्पश्चात् समान अपराध कारित करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, जिसका पूर्व में शमन किया गया था या जिसके लिए व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराया गया था, कारित किसी अपराध को लागू नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, किसी अपराध का शमन करने के लिए, केंद्रीय सरकार के निदेश, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) किसी अपराध का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित किया जाए।

(5) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व किया जाता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा उस अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(6) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित होने के पश्चात् किया जाता है तो ऐसे शमन को उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के ध्यान में लिखित रूप में लाया जाएगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध के

धारा 18 के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

अपराधों के दुष्प्रेरण और प्रयत्न किए गए अपराधों के लिए शास्ति।

अपराधों का शमन।

शमन का ऐसा सूचना दिए जाने पर उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया जाता है, निर्मुक्त कर दिया जाएगा ।

(7) इस धारा के अधीन किसी अपराध के शमन का अभियुक्त की, जिसके लिए अपराध का शमन किया गया है, दोषमुक्ति का प्रभाव होगा ।

(8) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का शमन इस धारा में यथाउपबंधित के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

31. (1) कोई न्यायालय, यथास्थिति, नागर विमानन महानिदेशक या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक द्वारा या उसकी पूर्व लिखित अनुमति से किए गए परिवाद के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवाद, उस तारीख से जिसको अपराध, यथास्थिति, नागर विमानन महानिदेशक या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक या वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक के ज्ञान में आया है, एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा ।

2023 का 46

32. (1) धारा 25 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 14 या धारा 17 के अधीन किसी नियम को बनाने में, किसी नियम के उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपये से अनधिक की शास्ति, जो विहित की जाए, अधिरोपित करने के लिए उपबंध कर सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, भारत सरकार के उप सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारियों को ऐसी संख्या में, जितनी वह आवश्यक समझे, ऐसी रीति में, जैसा कि वह आवश्यक समझे, उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिनिर्णीत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों के रूप में नियुक्ति कर सकेगी ।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (2) के अधीन पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति करते समय उस आदेश में उनकी अधिकारिता भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(4) जहां ऐसे पदाभिहित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, उल्लंघन की प्रकृति का, नियमों के ऐसे उपबंध का, जिसका उल्लंघन किया गया है और ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए कारणों का कथन करते हुए ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परंतु पदाभिहित अधिकारी, कोई शास्ति अधिरोपित करने से पहले ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा:

परंतु यह और कि उपधारा (4) के अधीन पदाभिहित अधिकारी शास्ति अधिरोपित करने के लिए अग्रसर नहीं होगा यदि इस अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित करने से भिन्न कोई कार्यवाई समान हेतुक पर समान उपबंध का उल्लंघन करने के लिए संस्थित की गई है ।

33. (1) धारा 19 की उपधारा (2) या धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति, मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रथम अपील

अपराधों का संज्ञान ।

शास्तियों का न्यायनिर्णयन ।

अपील ।

अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो उस अधिकारी से पंक्ति में उच्चतर है जिसने आदेश पारित किया है।

(2) प्रथम अपील अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि करते हुए, उपांतरित करते हुए या अपास्त करके, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(3) प्रथम अपील अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति, मामले पर अधिकारिता रखने वाले द्वितीय अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रथम अपील अधिकारी से पंक्ति में उच्चतर है।

(4) द्वितीय अपील अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की पुष्टि करते हुए, उपांतरित करते हुए या अपास्त करके, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नागर विमानन महानिदेशक या नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो महानिदेशक द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अपील केंद्रीय सरकार को की जाएगी।

(6) जब उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश केंद्रीय सरकार द्वारा पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई और अपील नहीं की जाएगी।

(7) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे दस्तावेजों और यथाविहित फीस के साथ, जो विहित की जाए, पारित आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी:

परन्तु उक्त अवधि का, कारणों को लेखबद्ध करते हुए तीस दिन से अनधिक अतिरिक्त अवधि तक विस्तार किया जा सकेगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

34. इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की कोई शक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे :

परन्तु केंद्रीय सरकार, लोकहित में, लिखित आदेश द्वारा, किसी मामले में पूर्व प्रकाशन की शर्त से छूट दे सकेगी।

35. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

36. जहां किसी व्यक्ति को धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाता है, वहां वह न्यायालय, जिसके द्वारा वह सिद्धदोष ठहराया जाता है, यह निदेश दे सकेगा कि, यथास्थिति, वायुयान या वस्तु या

प्रकाशन के पश्चात् नियमों का बनाया जाना।

नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

न्यायालय की समपहरण का आदेश देने की शक्ति।

पदार्थ, जिसके संबंध में अपराध किया गया है, केंद्रीय सरकार को जब्त हो जाएगा ।

ध्वंस और
कबाड़ ।

37. (1) ध्वंस और कबाड़ से संबंधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग 13 के उपबंध समुद्र या ज्वारीय जल पर या उनके ऊपर के वायुयान को वैसे ही लागू होंगे जैसे पोतों को लागू होते हैं, और किसी वायुयान का स्वामी वायुयान द्वारा की गई कबाड़ सेवाओं के लिए युक्तियुक्त इनाम का वैसे ही हकदार होगा जैसे पोत का स्वामी होता है ।

1958 का 44

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वायुयान को लागू होने वाले उक्त उपबंधों में ऐसे उपान्तरण कर सकेगी, जैसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

भारत में पंजीकृत
नहीं किए गए
वायुयान पर,
पेटेन्टकृत
आविष्कार का
उपयोग ।

38. पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंध किसी वायुयान पर, जो भारत में पंजीकृत नहीं है, किसी आविष्कार के उपयोग पर उसी रीति से लागू होंगे जैसे वे विदेशी जलयान में आविष्कार के प्रयोग पर लागू होते हैं ।

1970 का 39

कुछ वादों का
वर्जन ।

39. किसी भी सिविल न्यायालय में अतिचार या न्यूसेन्स के संबंध में कोई वाद केवल इस कारण से नहीं लाया जाएगा कि वायुयान की भूमि से इतनी ऊंचाई के किसी संपत्ति के ऊपर उड़ान पर है, जो वायु, मौसम और मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए युक्तियुक्त है, या केवल ऐसी उड़ान से होने वाली सामान्य घटना के आधार पर है ।

सद्भावपूर्वक की
गई कार्रवाई का
संरक्षण ।

40. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

अधिनियम के
लागू होने की
व्यावृत्ति ।

41. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी आदेश या किसी नियम की कोई बात, जो धारा 13 या धारा 14 के अधीन बनाए गए नियम से भिन्न है, जो संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा गठित संघ के अन्य सशस्त्र बलों से संबंधित या उसके द्वारा अनन्यतः नियोजित किसी वायुयान को या उसके संबंध में अथवा ऐसे वायुयान के संबंध में नियोजित ऐसे बलों के किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी :

परंतु संघ की नौसेना, सेना या वायुसेना से भिन्न संघ के किसी सशस्त्र बल का कोई वायुयान, जिसके लिए अधिनियम, जिसका धारा 43 के अधीन निरसन कर दिया गया है और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध इस अधिनियम के आरंभ की तारीख को लागू थे, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस तारीख तक, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शासित होते रहेंगे ।

कठिनाइयों को
दूर करने की
शक्ति ।

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

1934 का 22

43. (1) वायुयान अधिनियम, 1934 का निरसन किया जाता है ।

निरसन और
व्यावृत्ति ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, की गई कोई बात या की गई या किए जाने के लिए आशयित कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत किसी नियम, विनियमन, अधिसूचना, निरीक्षण या आदेश का किया जाना या जारी किया जाना सम्मिलित है ; या अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, अनुमोदन, अनुज्ञा या छूट या निष्पादित कोई दस्तावेज या लिखत ; या जारी किया गया कोई निदेश ; या इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित शास्ति, दंड, जब्ती या जुर्माना, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

1897 का 10

(3) उपधारा (2) में विशिष्ट मामलों का वर्णन साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 की ऐसी अपील के प्रभाव के संबंध में साधारणतया लागू होने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा ।

बॉयलर अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 12)

[4 अप्रैल, 2025]

बॉयलरों के विनियमन, वाष्प-बॉयलरों के विस्फोट के खतरे से व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा देश में बॉयलरों के विनिर्माण, निर्माण तथा उपयोग के दौरान पंजीकरण और निरीक्षण में एकरूपता के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बॉयलर अधिनियम, 2025 है ।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।
- (3) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध सभी बॉयलरों और बॉयलर घटकों को लागू होंगे, जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों से संबंधित बॉयलर और बॉयलर घटक भी हैं ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ ।

(4) इस अधिनियम की कोई बात, निम्नलिखित को लागू नहीं होंगी—

(क) रेल से संबंधित या उसके नियंत्रण के अधीन लोकोमोटिव बॉयलर ;

(ख) (i) वाष्प द्वारा पूर्णतः या भागतः नोदित किसी जलयान का ;

(ii) सेना, नौसेना या वायुसेना से संबंधित या उसके नियंत्रण के अधीन ; या

(iii) यदि बॉयलर क्षमता में एक सौ लीटर से अधिक नहीं है, तो अस्पतालों या परिचर्या गृहों में प्रयुक्त विसंक्रामक या रोगाणुनाशक से संबंधित,

कोई बॉयलर या बॉयलर घटक ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “दुर्घटना” से बॉयलर या बॉयलर घटकों का ऐसा विस्फोट अभिप्रेत है, जो उसके सामर्थ्य को कमजोर करने के लिए उपयुक्त है या उससे जल या वाष्प का ऐसा अनियंत्रित बहाव होता है, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसको क्षति अथवा किसी संपत्ति को नुकसान कारित हो सकता है ;

(ख) “बोर्ड” से धारा 3 के अधीन गठित केंद्रीय बॉयलर बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) “बॉयलर” से ऐसा दबाव पात्र अभिप्रेत है जिसमें उसके स्वयं के बाह्य उपयोग के लिए ऊष्मा के अनुप्रयोग द्वारा वाष्प उत्पन्न की जाती है, जो वाष्प बंद कर दिए जाने पर पूर्णतः या भागतः दबाव में रहता है किंतु इसके अंतर्गत ऐसा दबाव पात्र नहीं है,—

(i) जो पच्चीस लीटर से कम क्षमता वाला है, ऐसी क्षमता को भरणरोधी वाल्व से मुख्य वाष्परोधी वाल्व तक मापा जाता है ; या

(ii) जो एक किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से कम डिजाइन गेज दबाव या क्रियाशील गेज दबाव वाला है ; या

(iii) जिसमें जल को एक सौ डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ऊष्मित किया जाता है ;

(घ) “बॉयलर घटक” से वाष्प नली, भरण नली, मितव्ययक, अतितापक, कोई मढ़ई या अन्य फिटिंग और किसी बॉयलर का कोई अन्य ऐसा बाह्य या आंतरिक भाग अभिप्रेत है जो एक किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर गेज से अधिक दबाव के अधीन है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए “अतितापक” पद से कोई ऐसा उपकरण अभिप्रेत है जो उस दबाव पर संतृप्ति तापमान से परे वाष्प के तापमान को बढ़ाने के प्रयोजन के लिए भागतः या पूर्णतः फ्लू गैसों के लिए खुला रहता है और उसमें पुनःतापक सम्मिलित है ;

(ड) “मुख्य निरीक्षक”, “उपमुख्य निरीक्षक” और “निरीक्षक” से धारा 5 के अधीन क्रमशः मुख्य निरीक्षक, उपमुख्य निरीक्षक तथा निरीक्षक नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) “सक्षम प्राधिकारी” से धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई संस्था अभिप्रेत है;

(छ) “सक्षम व्यक्ति” से ऐसी रीति में मान्यताप्राप्त कोई निरीक्षक या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विनियमों द्वारा विनिर्माण, निर्माण और उपयोग के दौरान बॉयलरों और बॉयलर घटकों के निरीक्षण तथा प्रमाणन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ज) “मितव्ययक” से भरण नली का कोई ऐसा भाग अभिप्रेत है जो अवशिष्ट ऊष्मा को एकत्रित करने के लिए फ्लू गैसों की क्रिया के लिए पूर्णतः या भागतः खुला रहता है ;

(झ) “भरण नली” से पूर्णतः या भागतः दबाव के अधीन कोई नली या संबद्ध फिटिंग अभिप्रेत है जिसके माध्यम से भरण जल सीधे बॉयलर में पहुंचता है और जो उसका अभिन्न भाग नहीं है ;

(ञ) “निरीक्षण प्राधिकारी” से विनिर्माण और निर्माण के दौरान बॉयलरों और बॉयलर घटकों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए ऐसी रीति में मुख्य निरीक्षक या मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ट) “विनिर्माण” से बॉयलर या बॉयलर घटकों या दोनों का विनिर्माण, सन्निर्माण और उसे गढ़ना अभिप्रेत है;

(ठ) “विनिर्माता” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बॉयलर, बॉयलर घटकों या दोनों के विनिर्माण में लगा हुआ है;

(ड) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ढ) “स्वामी” के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिसके पास उसके स्वामी के अभिकर्ता के रूप में बॉयलर का कब्जा है या उसका उपयोग करता है और किसी ऐसे बॉयलर का उपयोग करने वाला ऐसा व्यक्ति भी है जिसे उसने बॉयलर के स्वामी से भाड़े पर लिया है अथवा उधार के रूप में प्राप्त किया है ;

(ण) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(त) “विनियम” से धारा 40 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(थ) “राज्य सरकार” के अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भी है ;

(द) “वाष्प नली” से कोई ऐसी नली अभिप्रेत है, जिससे वाष्प निकलता है, यदि—

(i) वह दबाव, जिस पर ऐसी नली से होकर निकलने वाले वाष्प का दबाव, वायुमंडलीय दबाव से साढ़े तीन किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से अधिक हैं, या

(ii) ऐसी नली का आंतरिक व्यास दो सौ चौवन मिलीमीटर से अधिक है और वाष्प का दबाव वायुमंडलीय दबाव से एक किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से अधिक है,

और दोनों ही दशाओं में, वाष्प नली और भरण नली की संयोजित फिटिंग भी इसके अंतर्गत है ;

(ध) “संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण” से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—

- (i) बॉयलर या बॉयलर घटकों के डिजाइन में कोई परिवर्तन ;
 - (ii) बॉयलर या बॉयलर घटकों के किसी भाग का ऐसे भाग द्वारा प्रतिस्थापन, जो उसी विनिर्देश के अनुरूप नहीं है ; और
 - (iii) बॉयलर या बॉयलर घटकों के किसी भाग में कोई परिवर्धन ;
- (न) “तकनीकी सलाहकार” से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त तकनीकी सलाहकार अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

केंद्रीय बॉयलर बोर्ड

केंद्रीय
बोर्ड ।

बॉयलर

3. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा केंद्रीय बॉयलर बोर्ड के नाम से जात एक बोर्ड का गठन कर सकेगी ।

(2) बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) बोर्ड पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग का भारसाधक सचिव, भारत सरकार, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो उस राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी होगा, जो बॉयलरों के निरीक्षण और परीक्षण से अवगत हो ;

(ग) निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की समान संख्या में, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्य, अर्थात्:—

- (i) केंद्रीय सरकार ;
- (ii) भारतीय मानक ब्यूरो ;
- (iii) बॉयलर और बॉयलर घटक विनिर्माता ;
- (iv) राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं ;
- (v) इंजीनियरी परामर्श अभिकरण ;
- (vi) बॉयलरों के उपयोगकर्ता ; और
- (vii) ऐसे अन्य हित, जिनके बारे में केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनका बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए ;

(घ) तकनीकी सलाहकार, जो सदस्य-सचिव, पदेन होगा ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि और उनके नामनिर्देशन की रीति वह होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) बोर्ड, अपने द्वारा किए जाने वाले सभी कारबार के संचालन के लिए अपनी ही प्रक्रिया अवधारित कर सकेगा ।

(5) बोर्ड को अपने सदस्यों में से समितियों और उप-समितियों का गठन करने तथा ऐसी समितियों या उप-समितियों को अपनी किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी ।

(6) बोर्ड में किसी रिक्ति के होते हुए भी, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा ।

(7) बोर्ड के कृत्य, वाष्प-बॉयलरों के विस्फोट के खतरे से व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बॉयलर और बॉयलर घटकों के डिजाइन, विनिर्माण, निर्माण और उपयोग को विनियमित करने के लिए और पंजीकरण तथा निरीक्षण में एकरूपता के लिए तथा इन प्रयोजनों के लिए, ऐसे विनियम बनाने होंगे, जो वह ठीक समझे ।

4. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से एक तकनीकी सलाहकार नियुक्त करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

तकनीकी
सलाहकार ।

(2) तकनीकी सलाहकार का वेतन और भत्ता तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) तकनीकी सलाहकार, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन उसको समनुदेशित शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के अतिरिक्त, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो केंद्रीय सरकार और बोर्ड, उसे प्रत्यायोजित करें ।

अध्याय 3

निरीक्षण, प्रमाणन और पंजीकरण

5. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य के लिए उन व्यक्तियों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें वह उचित समझे और उन स्थानीय सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी, जिनके भीतर प्रत्येक निरीक्षक, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निरीक्षकों को प्रदत्त और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

मुख्य निरीक्षक,
उप मुख्य
निरीक्षक और
निरीक्षक ।

(2) राज्य सरकार, राज्य के लिए ऐसे व्यक्तियों को, उप मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें वह उचित समझे और उन स्थानीय सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी जिनके भीतर प्रत्येक उप मुख्य निरीक्षक, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अपने कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(3) उप मुख्य निरीक्षक, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और उसे अधिरोपित कर्तव्यों का पालन कर सकेगा तथा इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन मुख्य निरीक्षक को प्रदत्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा या उसे अधिरोपित ऐसे कर्तव्यों का पालन कर सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

(4) राज्य सरकार, राज्य के लिए किसी व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन मुख्य निरीक्षक को प्रदत्त

शक्तियों और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के अतिरिक्त उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षकों को इस प्रकार प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा उसे अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन कर सकेगा ।

(5) कोई व्यक्ति, मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव न हों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उन्हें अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो मुख्य निरीक्षक के साधारण अधीक्षण तथा नियंत्रण के अधीन होगा ।

(7) मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक, बॉयलर के उचित अनुरक्षण तथा सुरक्षित कार्यकरण के बारे में स्वामियों को ऐसी सलाह दे सकेंगे, जैसी वे ठीक समझें ।

(8) मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(9) मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2 के खंड (28) के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

2023 का 45

वेल्डर प्रमाणपत्र
प्रदान करने के
लिए सक्षम
प्राधिकारी ।

6. (1) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, बॉयलर या बॉयलर घटकों की वेल्डिंग के लिए वेल्डरों को प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए मान्यताप्राप्त संस्था होगी ।

(2) कोई व्यक्ति, जो किसी बॉयलर या बॉयलर घटक या दोनों से संसक्त या संबंधित किसी वेल्डिंग कार्य करने का आशय रखता है, सक्षम प्राधिकारी को, ऐसा वेल्डर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, वेल्डर प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा और उसे प्रदान करने के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (2) के अधीन वेल्डर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने वेल्डर प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की शर्तों का अनुपालन कर दिया है तो वह ऐसा प्रमाणपत्र, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस का भुगतान किए जाने पर जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, प्रदान करेगा :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, किसी व्यक्ति को ऐसा प्रमाणपत्र देने से तब तक इनकार नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

7. कोई व्यक्ति, बॉयलर या बॉयलर घटक या दोनों का तब तक विनिर्माण नहीं करेगा या नहीं कराएगा, जब तक कि,—

(क) ऐसे परिसरों या प्रसीमाओं में, जिसमें बॉयलर या बॉयलर घटकों या दोनों का विनिर्माण किया जाता है, डिजाइन और सन्निर्माण के लिए ऐसी सुविधाएं नहीं

बॉयलर और
बॉयलर घटकों के
विनिर्माण की पूर्व
शर्तें ।

है, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं ;

(ख) बॉयलर और बॉयलर घटकों का डिजाइन और रेखाचित्र का प्रमाणपत्र धारा 8 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त न कर दिया गया हो ;

(ग) ऐसे बॉयलर या बॉयलर घटक या दोनों की विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री, मढ़ाई और फिटिंग ऐसे विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप न हो, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ; और

(घ) बॉयलर या बॉयलर घटक की वेल्डिंग के लिए विनियोजित व्यक्ति के पास, धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वेल्डर प्रमाणपत्र न हो ।

8. (1) प्रत्येक विनिर्माता, किसी बॉयलर या बॉयलर घटकों का विनिर्माण प्रारंभ करने के पूर्व, विनिर्माण के ऐसे प्रक्रमों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण प्राधिकारी विनियोजित करेगा ।

विनिर्माण के दौरान निरीक्षण ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनियोजित निरीक्षण प्राधिकारी, बॉयलर या बॉयलर घटकों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(3) जहां निरीक्षण के पश्चात्—

(क) निरीक्षण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि बॉयलर या बॉयलर घटक का डिजाइन और रेखाचित्र ऐसे मानकों के अनुरूप है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, तो वह निरीक्षण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और बॉयलर या बॉयलर घटक या दोनों पर स्टाम्प लगाएगा ; या

(ख) निरीक्षण प्राधिकारी की यह राय है कि बॉयलर या बॉयलर घटक या दोनों ऐसे मानकों के अनुरूप नहीं हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, तो वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार कर सकेगा :

परन्तु किसी प्रमाणपत्र से तब तक इनकार नहीं किया जाएगा जब तक कि निरीक्षण प्राधिकारी ने, बॉयलर या बॉयलर घटक या दोनों के विनिर्माता को लिखित रूप में ऐसे उपान्तरण या सुधार करने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, निदेश नहीं दे दिया हो और निरीक्षण प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसे निदेश के बावजूद भी बॉयलर या बॉयलर घटक या दोनों के विनिर्माता ने ऐसे उपान्तरण या सुधार नहीं किए हैं ।

(4) निरीक्षण प्राधिकारी, इस धारा के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए, ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

9. (1) कोई स्वामी, जो धारा 12 के अधीन बॉयलर को रजिस्टर कराने का आशय रखता है, बॉयलर के निर्माण के प्रक्रम पर निरीक्षण करने के लिए किसी निरीक्षण प्राधिकारी को विनियोजित करेगा ।

परिनिर्माण के दौरान निरीक्षण ।

(2) निरीक्षण प्राधिकारी, बॉयलर या बॉयलर घटक या दोनों के निरीक्षण और प्रमाणन

के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) जहां निरीक्षण के पश्चात्,—

(क) निरीक्षण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि बॉयलर का निर्माण, ऐसे मानकों के अनुरूप है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, तो वह ऐसे प्रमाणपत्र में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, निरीक्षण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ; या

(ख) निरीक्षण प्राधिकारी की यह राय है कि बॉयलर का निर्माण ऐसे विनियमों के अनुसार नहीं किया गया है तो वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार कर सकेगा और बॉयलर या बॉयलर घटक के स्वामी और विनिर्माता को ऐसे इनकार के बारे में तत्काल संसूचित करेगा :

परन्तु ऐसे किसी प्रमाणपत्र से तब तक इनकार नहीं किया जाएगा जब तक कि निरीक्षण प्राधिकारी ने स्वामी को लिखित रूप में ऐसे उपान्तरण या सुधार करने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, निदेश न दे दिया हो और निरीक्षण प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसे निदेश के बाद भी स्वामी ने, ऐसे उपान्तरण या सुधार नहीं किए हैं ।

(4) निरीक्षण प्राधिकारी, इस धारा के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

10. (1) कोई व्यक्ति, किसी बॉयलर या बॉयलर घटकों या दोनों की मरम्मत तब तक नहीं करेगा या नहीं कराएगा, जब तक कि—

(क) उन परिसरों या प्रसीमाओं में, जिनमें बॉयलर या बॉयलर घटकों या दोनों का उपयोग किया जा रहा है, मरम्मत के लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था न कर ली गई हो, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) बॉयलर या बॉयलर घटकों का डिजाइन और रेखाचित्र और ऐसे बॉयलर या बॉयलर घटकों की मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री, मढ़ाई और फिटिंग, ऐसे विनिर्देशों के अनुरूप न हो, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ग) वेल्डिंग में लगे व्यक्ति, धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त वेल्डर प्रमाणपत्र धारण न करता हो ;

(घ) वह उपयोगकर्ता, जिसके पास बॉयलर या बॉयलर घटकों की मरम्मत के लिए आंतरिक सुविधाएं नहीं हैं, किसी ऐसे बॉयलर मरम्मतकर्ता को नियोजित नहीं करता है ;

(ङ) वह उपयोगकर्ता, आंतरिक या मरम्मतकर्ताओं द्वारा की जाने वाली मरम्मतों के अनुमोदन के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को विनियोजित नहीं करता है ;

(च) ऐसे उपाय करके, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी बॉयलर के भीतर कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करता है ।

(2) कोई बॉयलर मरम्मतकर्ता ऐसा प्रमाणपत्र, ऐसी रीति में अभिप्राप्त करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

बॉयलर और
बॉयलर घटकों की
मरम्मत करने की
पूर्व शर्तें ।

11. (1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बाँयलर का कोई भी स्वामी उस बाँयलर का उपयोग तब तक नहीं करेगा या उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा,—

रजिस्टर न किए
गए या
अप्रमाणित
बाँयलरों के
उपयोग पर रोक।

(क) जब तक उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्टर न किया गया हो ;

(ख) कोई ऐसा बाँयलर जिसका एक राज्य से दूसरे राज्य को अन्तरण किया गया है जब तक उक्त अन्तरण की रिपोर्ट ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, न कर दी गई हो ;

(ग) जब तक स्वामी के पास बाँयलर का उपयोग प्राधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश न हो ;

(घ) ऐसे दबाव पर जो उक्त प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश में अभिलिखित दबाव से अधिक दबाव हो;

(ङ) जहां केंद्रीय सरकार ने यह अपेक्षा करने वाले नियम बनाए हों कि बाँयलर, दक्षता या क्षमता का प्रमाणपत्र धारण करने वाले ऐसे व्यक्तियों के भारसाधन में हों जब तक बाँयलर ऐसे नियमों द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र धारण करने वाले किसी व्यक्ति के भारसाधन में न हो :

परंतु निरसित किए जाने वाले किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत बाँयलर या प्रमाणित या अनुज्ञप्त बाँयलर को, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत या प्रमाणित समझा जाएगा ।

(2) दक्षता या सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के आशय रखने वाले व्यक्तियों की अर्हता और अनुभव, ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए फीस और ऐसी प्रक्रिया वह होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

12. (1) ऐसे बाँयलर का स्वामी, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पंजीकृत नहीं किया गया है, बाँयलर को पंजीकरण किए जाने के लिए निरीक्षक को ऐसे रेखाचित्र, विशिष्टि, प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ, ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए ।

पंजीकरण ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, निरीक्षक, ऐसी बाँयलर की परीक्षा के लिए, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, तीस दिन के भीतर या ऐसी लघुतर अवधि, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, तारीख नियत करेगा और उसके स्वामी को इस प्रकार नियत की गई तारीख की कम से कम दस दिन की सूचना देगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार नियत की गई तारीख को, निरीक्षक, अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि बाँयलर को उसके परिनिर्माण के स्थल विनिर्माण के स्थान से निर्माण के स्थल तक अभिवहन के दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बाँयलर का निरीक्षण करेगा और दस्तावेजों के साथ निरीक्षण की रिपोर्ट को सात दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक को भेजेगा ।

(5) मुख्य निरीक्षक, उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर—

(क) बॉयलर को रजिस्टर करे और उसे या तो तुरंत या अपना यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बॉयलर या उससे संलग्न किसी वाष्प नली में का कोई संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण, जिसको वह आवश्यक समझे, उसके लिए एक रजिस्टर संख्यांक निश्चित कर सकेगा ; या

(ख) बॉयलर को रजिस्टर करने से इनकार कर सकेगा :

परंतु जहां मुख्य निरीक्षक किसी बॉयलर को रजिस्टर करने से इनकार करता है वहां तुरंत बॉयलर के स्वामी को अपने इनकार करने की संसूचना उसके कारणों सहित देगा ।

(6) मुख्य निरीक्षक, बॉयलर को रजिस्टर करने पर, स्वामी को ऐसे प्ररूप में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक प्रमाणपत्र देगा इस प्रमाणपत्र में बॉयलर का उपयोग ऐसी अवधि जो बारह मास से अधिक की न हो ऐसे अधिकतम दबाव पर करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परंतु जहां कोई मितव्ययक या कोई अज्वलित बॉयलर, जो ऐसे प्रसंस्करण संयंत्र का अनिवार्य भाग है, जिसमें वाष्प जनित करने के लिए तेल, एस्फाल्ट या बिटुमिन का एक मात्र उपयोग ऊष्मा के माध्यम के रूप में किया जाता है, वहां मुख्य निरीक्षक ऐसे बॉयलर का चौबीस मास से अनधिक अवधि के लिए उपयोग किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा ।

(7) निरीक्षक तुरंत बॉयलर के स्वामी को मुख्य निरीक्षक के आदेश को संसूचित करेगा और तदनुसार स्वामी को ऐसा प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा जिसमें ऐसा अनुदान किए जाने का आदेश किया गया है ।

(8) बॉयलर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, स्वामी, बॉयलर पर रजिस्टर संख्यांक को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, स्थायी रूप से अंकित करवाएगा ।

(9) किसी राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बॉयलरों के अन्तरण को ऐसी रीति में रिपोर्ट किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

प्रमाणपत्र का
नवीकरण ।

13. (1) किसी बॉयलर के उपयोग को प्राधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र निम्नलिखित दशाओं में प्रवृत्त नहीं रहेगा,—

(क) उस अवधि की समाप्ति पर, जिसके लिए यह दिया गया था ; या

(ख) जब बॉयलर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है ; या

(ग) जब बॉयलर को हटाया जाता है तो हटाए जाने वाला बॉयलर, खड़ा बॉयलर के सिवाय और ऊष्मा सतह बीस वर्ग मीटर से कम हो या कोई वहनीय या यानीय बॉयलर है ; या

(घ) धारा 17 में यथा उपबंधित के सिवाय, जब किसी बॉयलर में या उस पर कोई संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण किया जाता है ; या

(ङ) यदि मुख्य निरीक्षक किसी विशिष्ट मामले में ऐसा निदेश देता है जब किसी बॉयलर से संलग्न किसी वाष्प नली में या उसके लिए कोई संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण किया जाता है ; या

(च) मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक द्वारा बॉयलर के स्वामी को ऐसा आदेश संसूचित किए जाने पर जिसमें बॉयलर का उपयोग इस आधार पर प्रतिषिद्ध किया गया है कि वह या उससे संलग्न बॉयलर घटक खतरनाक स्थिति में है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन किए गए आदेश में वे आधार अंतर्विष्ट होंगे जिनके आधार पर आदेश किया गया है और उनकी संसूचना स्वामी को दी जाएगी ।

(3) जब कोई प्रमाणपत्र प्रवृत्त नहीं रहता है तब बॉयलर का स्वामी उसके नवीकरण के लिए सक्षम व्यक्ति को ऐसी रीति में और ऐसे दस्तावेजों तथा ऐसी फीस के साथ, जो नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, आवेदन कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम व्यक्ति ऐसी प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर ऐसी रीति में बॉयलर का निरीक्षण करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(5) यदि सक्षम व्यक्ति,—

(क) का यह समाधान हो जाता है कि बॉयलर और उससे संलग्न बॉयलर घटक अच्छी स्थिति में है तो वह उतनी अवधि के लिए, जितनी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा ;

(ख) की यह राय है कि बॉयलर या बॉयलर घटक या दोनों ऐसे मानकों के अनुरूप नहीं हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, वह, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं ऐसा प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से इनकार कर सकेगा :

परंतु किसी प्रमाणपत्र से तब तक इनकार नहीं किया जाएगा जब तक निरीक्षण प्राधिकारी ने बॉयलर या बॉयलर घटकों या दोनों के स्वामी को लिखित रूप में ऐसे उपांतरण या सुधार करने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, निदेश न दे दिया हो और सक्षम व्यक्ति की यह राय है कि ऐसे निदेश के वाबजूद भी बॉयलर या बॉयलर घटकों या दोनों के स्वामी ने ऐसे उपांतरण या सुधार नहीं किए हैं :

परंतु यह और कि सक्षम व्यक्ति उपधारा (4) के अधीन निरीक्षण करने के अड़तालीस घंटे के भीतर, बॉयलर या बॉयलर घटकों या दोनों के स्वामी को अपनी राय में जो कोई त्रुटि हो या कमी हो उसको और उसके कारणों को सूचित करेगा और मुख्य निरीक्षक को तुरंत ऐसी त्रुटि या खामी के बारे में सूचित करेगा ।

(6) मुख्य निरीक्षक, उपधारा (5) के अधीन किसी सूचना की प्राप्ति पर, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रमाणपत्र के नवीकरण का ऐसे निबंधनों और शर्तों पर आदेश कर सकेगा, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या उसके नवीकरण करने से इनकार कर सकेगा :

परंतु जहां मुख्य निरीक्षक किसी प्रमाणपत्र का नवीकरण करने से इनकार कर देता है तो वह अपने इनकार को कारणों सहित बॉयलर के स्वामी को तुरंत संसूचित करेगा ।

(7) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह बॉयलर के स्वामी को प्रमाणपत्र के चालू रहने के दौरान किसी भी समय बॉयलर के लिए नवीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने से रोकती है ।

अनंतिम आदेश ।

14. (1) जहां निरीक्षक धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन मुख्य निरीक्षक को किसी बॉयलर के मामले की रिपोर्ट करता है, वहां वह, यदि ऐसे बॉयलर या उसके घटकों का उपयोग धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन खतरनाक स्थिति में होने के कारण प्रतिसिद्ध नहीं होता है, उसके स्वामी को ऐसे अधिकतम दबाव से अनधिक दबाव पर, जो वह ठीक समझे और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, मुख्य निरीक्षक के आदेश होने तक बॉयलर को उपयोग करने के लिए अनुज्ञात करने वाला लिखित में एक अनंतिम आदेश दे सकेगा ।

(2) ऐसा अनंतिम आदेश प्रवृत्त नहीं रहेगा —

(i) जिसको वह मंजूर किया गया है उस तारीख से छह मास की समाप्ति पर ; या

(ii) मुख्य निरीक्षक के आदेशों की प्राप्ति पर ; या

(iii) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) में निर्दिष्ट मामलों में से किसी मामले में,

और इस प्रकार प्रवृत्त न रहने पर निरीक्षक को सौंप दिया जाएगा ।

प्रमाणपत्र मंजूर
किए जाने तक
बॉयलर का
उपयोग ।

15. धारा 14 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब किसी बॉयलर से संबंधित प्रमाणपत्र की कालावधि समाप्त हो गयी है तब स्वामी इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसने प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए अवधि की समाप्ति से पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन कर दिया है, धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन नवीकरण आवेदन पर आदेश जारी होने तक उस प्रमाणपत्र में दर्ज किए गए अधिकतम दबाव पर बॉयलर का उपयोग करने के लिए हकदार होगा ।

प्रमाणपत्र या
अनंतिम आदेश
का प्रतिसंहरण ।

16. मुख्य निरीक्षक किसी भी समय किसी निरीक्षक की रिपोर्ट पर या अन्यथा, किसी प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश को वापस ले सकेगा या उसका प्रतिसंहरण कर सकेगा,—

(क) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश को कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया है या उसे गलती से या पर्याप्त परीक्षा के बिना अनुदत्त किया गया है ; या

(ख) यदि बॉयलर, जिसके संबंध में उसे अनुदत्त किया गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है ; या

(ग) यदि बॉयलर किसी ऐसे व्यक्ति के भारसाधन में है, जिसके पास धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट दक्षता या सक्षमता प्रमाणपत्र नहीं है ।

बॉयलर में
परिवर्तन और
नवीकरण ।

17. इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी बॉयलर में या उससे संबंधित कोई भी संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण को मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत न कर दिया गया हो :

परंतु ऐसा प्राधिकार वहां अपेक्षित नहीं होगा, जहां संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण को किसी सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किया जाता है ।

18. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी बाँयलर का स्वामी, बाँयलर से संलग्न किसी वाष्प नली या उसके संबंध में अन्य घटकों में कोई भी संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण का आशय रखता है तो वह अपने आशय की रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक को लिखित में प्रस्तुत करेगा और उसके साथ प्रस्तावित परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण की ऐसी विशिष्टियां भेजेगा, जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

वाष्प नली या बाँयलर घटकों का परिवर्तन और नवीकरण।

(2) किसी संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण को सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन बाँयलर मरम्मतकर्ता प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

19. (1) इस अधिनियम के अधीन बाँयलर या बाँयलर घटकों या दोनों की परीक्षा के लिए नियत तारीख पर उसका स्वामी,—

परीक्षा के समय स्वामी का कर्तव्य।

(क) सक्षम व्यक्ति को परीक्षा के लिए सभी युक्तियुक्त सुविधाएं और ऐसी जानकारी देने के लिए, जो उसे युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो;

(ख) बाँयलर या बाँयलर घटकों या दोनों को उचित रूप से बनाए रखने तथा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, परीक्षा हेतु तैयार रखने के लिए ; और

(ग) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन बाँयलर के पंजीकरण के लिए आवेदन की दशा में, सक्षम व्यक्ति को ऐसे रेखाचित्र, विनिर्देश, प्रमाणपत्र और अन्य विशिष्टियां, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उपलब्ध कराने के लिए,

आबद्ध होगा।

(2) यदि स्वामी, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो सक्षम व्यक्ति जांच करने से इनकार कर सकेगा और मामले की रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक को कर सकेगा, जो जब तक उसके विरुद्ध पर्याप्त कारण दर्शित न किया जाए, स्वामी से बाँयलर के उपयोग के लिए पंजीकरण या प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु नया आवेदन करने की अपेक्षा करेगा और उसे बाँयलर का उपयोग करने के लिए निषिद्ध कर सकेगा।

20. किसी बाँयलर का स्वामी, जिसके पास बाँयलर संबंधी प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश है, उस कालावधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समयों पर, जिसके लिए प्रमाणपत्र या आदेश प्रवृत्त है, उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा जिसमें बाँयलर उस समय अवस्थित है या मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक या कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा विशेष रूप में लिखित रूप में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश की मांग किए जाने पर उसे प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध होना होगा।

प्रमाणपत्र और अनंतिम आदेश प्रस्तुत करना।

21. जहां कोई अन्य व्यक्ति, उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए बाँयलर से संबंधित प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश प्रवृत्त है, बाँयलर का स्वामी हो जाता है तो पूर्ववर्ती स्वामी या उसके विधिक उत्तराधिकारी उसे प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश को हस्तांतरित करने के लिए आबद्ध होंगे।

प्रमाणपत्र और अनंतिम आदेश का अन्तरण।

निरीक्षक की प्रवेश
करने की
शक्तियाँ ।

22. कोई निरीक्षक, किसी बॉयलर या उससे संलग्न वाष्प नली की परीक्षा करने के प्रयोजनों के लिए या इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, सभी युक्तियुक्त समयों पर, उस क्षेत्र की परिसीमाओं के भीतर जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है किसी ऐसे स्थान या भवन में, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी बॉयलर का उपयोग किया जा रहा है, प्रवेश कर सकेगा ।

दुर्घटना की
रिपोर्ट ।

23. (1) यदि कोई बॉयलर या बॉयलर घटक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसका स्वामी या भारसाधक व्यक्ति दुर्घटना के चौबीस घंटे के भीतर निरीक्षक को उसकी लिखित रिपोर्ट करेगा ।

(2) ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में दुर्घटना की प्रकृति और उससे बॉयलर या बॉयलर घटकों या किसी व्यक्ति को हुई क्षति, यदि कोई हो, का सही वर्णन अन्तर्विष्ट होगा और उसे ऐसी रीति में वर्णित किया जाएगा, जिससे निरीक्षक दुर्घटना की गंभीरता को समझ सके ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति निरीक्षक द्वारा दुर्घटना के कारण, प्रकृति या विस्तार के संबंध में लिखित रूप में उससे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपनी सर्वोत्तम जानकारी और योग्यता के अनुसार सही रूप से देने के लिए आबद्ध होगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन दुर्घटना के संबंध में जांच ऐसी रीति में की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु जहां किसी बॉयलर या बॉयलर घटकों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कोई मृत्यु हो जाती है तो जांच, ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति में की जा सकेगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

अध्याय 4

अपील

मुख्य निरीक्षक को
अपील ।

24. (1) कोई व्यक्ति जो,—

(क) किसी निरीक्षक द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किए गए किसी आदेश से ; या

(ख) निरीक्षक द्वारा किए गए किसी ऐसे आदेश से या कोई ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान करने के इनकार से, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जिसे देने या प्रदान करने के लिए उससे अपेक्षा की जाए या प्रदान करने के लिए सशक्त हों,

व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको ऐसा आदेश या इनकार उसे संसूचित किया गया है, आदेश या इनकार के विरुद्ध मुख्य निरीक्षक को अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी रीति में की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

25. (1) धारा 24 के अधीन मुख्य निरीक्षक द्वारा—केंद्रीय सरकार
को अपील ।

(क) किसी बॉयलर को पंजीकृत करने या किसी बॉयलर के संबंध में प्रमाणपत्र प्रदान करने या नवीकरण करने से इनकार करने वाले ;

(ख) आवेदित किए गए पूर्ण अवधि के लिए वैधता रखने वाले प्रमाणपत्र को प्रदान करने से इनकार करने वाले ;

(ग) अधिकतम वांछित दबाव पर किसी बॉयलर का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करने वाले प्रमाणपत्र को प्रदान करने से इनकार करने वाले ;

(घ) किसी प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश को वापस लेने या प्रतिसंहत करने वाले ;

(ङ) किसी प्रमाणपत्र में इंगित दबाव की मात्रा या वह अवधि, जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, को कम करने वाले;

(च) किसी बॉयलर या वाष्प नली में किसी संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण का आदेश करने वाले ; या

(छ) किसी बॉयलर या वाष्प नली में या उसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण को मंजूरी देने से इनकार करने वाले,

किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे ऐसे आदेश की संसूचना से तीस दिन के भीतर केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अपील कर सकेगा ।

(2) किसी निरीक्षण प्राधिकारी के विनिर्माण या निर्माण के निरीक्षण प्रमाणपत्र प्रदान करने से इनकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे इनकार की उसे संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर, केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

(3) किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया वह होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

26. (1) धारा 25 के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसे की गई संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर केंद्रीय सरकार को उसके आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा ।

आदेश के
पुनरीक्षण के
लिए आवेदन ।

(2) इस धारा के अधीन, आदेश के पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी फीस के संदाय पर किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

अध्याय 5**अपराध और शास्तियां****27. बॉयलर का कोई स्वामी जो,—**

छोटी शास्तियां ।

(i) धारा 14 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार किसी अनंतिम आदेश का अभ्यर्पण करने से ; या

(ii) किसी प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश को, जब धारा 20 के अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की जाए प्रस्तुत करने से; या

(iii) किसी प्रमाणपत्र या अनंतिम आदेश को धारा 21 की अपेक्षानुसार, किसी बॉयलर के नए स्वामी को सौंपने से; या

(iv) जब धारा 23 के अधीन ऐसी अपेक्षा की जाए, बॉयलर या बॉयलर घटक की किसी दुर्घटना की रिपोर्ट करने से,

इनकार करता है या बिना किसी युक्तियुक्त कारण के असफल रहता है, वह शास्ति के लिए दायी होगा, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी ।

बॉयलर के अवैध
उपयोग के लिए
शास्तियां ।

28. किसी बॉयलर का कोई ऐसा स्वामी, जो—

(क) किसी भी ऐसी दशा में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन बॉयलर के उपयोग के लिए प्रमाणपत्र या अनन्तिम आदेश की अपेक्षा की जाती है, या तो किसी ऐसे प्रमाणपत्र या ऐसे किसी आदेश के बिना अथवा उसके द्वारा अनुज्ञात दबाव से अधिक दबाव पर बॉयलर का उपयोग करेगा ; या

(ख) ऐसे किसी बॉयलर का उपयोग करता है या उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देता है जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार ऐसे अन्तरण की रिपोर्ट किए बिना एक राज्य से दूसरे राज्य को अंतरित किया गया है ; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन बॉयलर को आबंटित रजिस्टर संख्यांक को धारा 12 की उपधारा (8) की अपेक्षानुसार बॉयलर पर स्थायी रूप से चिह्नित करवाने में असफल रहता है,

तो जुर्माने का दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा ।

कुछ अपराधों के
लिए दंड ।

29. कोई व्यक्ति, जो—

(क) मुख्य निरीक्षक की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना ही, जबकि धारा 17 द्वारा ऐसा करना अपेक्षित है, बॉयलर में या उसके संबंध में कोई संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण करता है अथवा मुख्य निरीक्षक को पहले सूचित किए बिना ही, जबकि धारा 18 द्वारा ऐसा करना अपेक्षित है, किसी वाष्प नली में संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण करता है ; या

(ख) बॉयलर की सुरक्षा वाल्व के साथ इस प्रकार छेड़छाड़ करता है कि वह उस अधिकतम दबाव पर चलाए जाने के लिए निष्क्रिय हो जाए, जिस पर इस अधिनियम के अधीन बॉयलर का उपयोग प्राधिकृत किया गया है ; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, बॉयलर के वाष्प या ऊष्म जल संयोजन को किसी अन्य बॉयलर या ईंधन में से प्रभावी रूप से अलग किए बिना, किसी अन्य व्यक्ति को बॉयलर के भीतर जाने के लिए अनुज्ञात करता है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

30. (1) जो कोई, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, किसी बॉयलर पर चिह्नित रजिस्टर संख्यांक को हटाता है, परिवर्तित करता है, विरूपित करता है, उसे अदृश्य बनाता है या अन्यथा उससे छेड़छाड़ करता है तो शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

रजिस्टर चिह्न के साथ छेड़छाड़ करने पर शास्ति ।

(2) जो कोई, किसी बॉयलर पर कपटपूर्ण रीति से किसी ऐसी रजिस्टर संख्यांक को चिह्नित करता है, जो इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित नहीं किया गया है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

31. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम या विनियम में यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे नियम या विनियम का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति, प्रथम उल्लंघन की दशा में, ऐसी शास्ति का, जो एक हजार रुपए तक की हो सकेगी और किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में, ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

नियम या विनियम भंग करने के लिए शास्ति ।

32. (1) इस अधिनियम के अधीन सभी शास्तियां, जुर्माने और उद्ग्रहणीय लागत, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल योग्य होंगी ।

शास्तियों की वसूली ।

(2) इस अधिनियम के अधीन शास्तियां, जुर्माने और उद्ग्रहणीय लागतों का ऐसी रीति में उपयोग किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

33. इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, अपराध किए जाने की तारीख से चौबीस मास के भीतर ही संस्थित किया जाएगा, न कि उसके पश्चात् और कोई भी ऐसा अभियोजन मुख्य निरीक्षक की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

अभियोजन के लिए परिसीमा और पूर्व मंजूरी ।

34. इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा ।

अपराधों का विचारण ।

35. (1) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, धारा 27, धारा 28, धारा 30 की उपधारा (1) और धारा 31 के अधीन शास्तियों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को, कोई जांच करने तथा ऐसी रीति में शास्ति अधिरोपित करने, जो यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, न्यायनिर्णायक अधिकारी होने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

शास्तियों का न्यायनिर्णयन ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत हो, साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन कर सकेगा और उसे हाजिर करा सकेगा, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के संबंध में उपयोगी या सुसंगत हो और यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति धारा 27 या धारा 28 या धारा 30 की उपधारा (1) या धारा 31 के सभी या किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह आदेश द्वारा उसमें उल्लंघन का कथन करते हुए ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :

परंतु संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

न्यायनिर्णायक
अधिकारी के
आदेशों के विरुद्ध
अपील ।

36. (1) धारा 35 के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे अधिकारी को, जो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे उस सरकार या प्रशासन द्वारा अपील प्राधिकारी होने के लिए, इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किया हो, आदेश की प्राप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो, यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपील कर सकेगा ।

(2) कोई अपील साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण की जा सकेगी, यदि अपीलार्थी, अपील प्राधिकारी का यह समाधान करा देता है कि उसके पास उस अवधि में अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था ।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील का निपटारा, अपील फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

केंद्रीय सरकार की
निदेश देने की
शक्ति ।

37. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के संबंध में राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

छूट ।

38. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे क्षेत्र को, जो उसमें विनिर्दिष्ट है, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किन्हीं ऐसे बॉयलरों या बॉयलर के वर्ग या प्रकार को, जिनका भवनों को गर्म रखने या गर्म पानी का प्रदाय करने के लिए अनन्यतः उपयोग किया जाता है, इस अधिनियम के प्रवर्तन से, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जैसा वह ठीक समझे, छूट दे सकेगी ।

(3) किसी आपात की दशा में, राज्य सरकार, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी बॉयलर या वाष्प नली या बॉयलर या वाष्प नलियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

(4) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि बॉयलरों की सामग्री, डिजाइन या सन्निर्माण और देश के तीव्र औद्योगिकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना आवश्यक है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में किसी बॉयलर या बॉयलर घटकों को इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

39. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

केंद्रीय सरकार
की नियम बनाने
की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सदस्यों की पदावधि और उनके नामनिर्देशन की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन तकनीकी सलाहकार की अर्हताएं और अनुभव ;

(ग) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन तकनीकी सलाहकार के वेतन और भते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(घ) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक की अर्हताएं और अनुभव ;

(ङ) बॉयलर, जो ऐसे व्यक्ति के भारसाधन में होंगे, जिसके पास धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन प्रवीणता या सक्षमता का प्रमाणपत्र है ;

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्रवीणता या सक्षमता का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अर्हताएं, अनुभव, फीस और प्रक्रिया ;

(छ) वह व्यक्ति, जो धारा 23 की उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन मृत्यु कारित करने वाली दुर्घटना की जांच करेगा और ऐसी जांच संचालित करने की रीति ;

(ज) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को अपील प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप, रीति, समय और फीस ;

(झ) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन अपील के निपटान की प्रक्रिया ;

(ञ) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षण आवेदन फाइल करने का प्ररूप, रीति, समय और फीस ;

(ट) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;

(ठ) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप और रीति ।

40. (1) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों ।

बोर्ड की विनियम
बनाने की
शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 के खंड (छ) के अधीन किसी व्यक्ति को समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता की रीति ;

(ख) धारा 2 के खंड (ज) के अधीन निरीक्षण प्राधिकरण के रूप में संस्था को मान्यता प्रदान करने की रीति ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को मान्यता प्रदान करने की रीति ;

(घ) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन वेल्डर प्रमाणपत्र ;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन वेल्डर प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा और उसे प्रदान करने की प्रक्रिया ;

(च) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन वेल्डर प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अन्य शर्तें और फीस ;

(छ) धारा 7 के खंड (क) के अधीन बॉयलर, बॉयलर घटकों के डिजाइन और संनिर्माण के लिए सुविधाएं;

(ज) धारा 7 के खंड (ग) के अधीन बॉयलर या बॉयलर के घटकों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, मढ़ाई और फिटिंग के लिए विनिर्देश;

(झ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा बॉयलर या बॉयलर घटकों के विनिर्माण के दौरान जांच के प्रक्रम ;

(ञ) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा बॉयलर या बॉयलर घटकों के निरीक्षण और प्रमाणन हेतु प्रक्रिया ;

(ट) धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन बॉयलर या बॉयलर घटकों के डिजाइन और रेखाचित्र हेतु मानक ;

(ठ) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्माण के दौरान बॉयलर या बॉयलर घटकों के निरीक्षण के लिए फीस ;

(ड) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन निर्माण के दौरान किसी बॉयलर या बॉयलर घटकों के निरीक्षण और प्रमाणन हेतु प्रक्रिया ;

(ढ) धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन किसी बॉयलर के निर्माण हेतु मानक और निरीक्षण के प्रमाणपत्र का प्ररूप ;

(ण) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन निर्माण के दौरान निरीक्षण के लिए संदेय फीस ;

(त) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन बॉयलर और बॉयलर घटकों की मरम्मत करने के लिए सुविधाएं ;

(थ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन बॉयलर या बॉयलर घटकों के डिजाइन और रेखाचित्र हेतु मानक तथा बॉयलर या बॉयलर घटकों में प्रयुक्त सामग्री, मढ़ाई और फिटिंग के लिए विनिर्देश;

(द) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन किसी बॉयलर के भीतर कार्यरत व्यक्ति की सुरक्षा हेतु उपाय ;

(ध) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की रीति ;

(न) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन बॉयलर के अंतरण की रिपोर्ट करने की रीति ;

(प) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण के लिए रेखाचित्र, विनिर्देश, प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों सहित प्ररूप ;

(फ) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन बाँयलर के उपयोग को प्राधिकृत करते समय स्वामी को प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्ररूप ;

(ब) वह समय और रीति, जिसमें धारा 12 की उपधारा (8) के अधीन बाँयलर पर रजिस्टर संख्यांक चिन्हित किया जाएगा ;

(भ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु प्ररूप, दस्तावेज और फीस ;

(म) धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन बाँयलर के निरीक्षण की रीति ;

(य) धारा 13 की उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि ;

(यक) धारा 13 की उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन बाँयलर या बाँयलर घटकों के लिए मानक ;

(यख) धारा 13 की उपधारा (6) के अधीन प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए निबंधन और शर्तें ;

(यग) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन वाष्प नालियों और अन्य बाँयलर घटकों के प्रस्तावित परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण की विशिष्टियां ;

(यघ) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन बाँयलर या बाँयलर घटकों की जांच के लिए तैयारी की रीति ;

(यड) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सक्षम व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाने वाले रेखाचित्र, विनिर्देश, प्रमाणपत्र और अन्य विशिष्टियां ;

(यच) धारा 29 के खंड (ग) के अधीन बाँयलर को अलग करने की रीति ;

(यछ) धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन किसी बाँयलर या बाँयलर घटकों को छूट देने की शर्तें ; और

(यज) बाँयलर या बाँयलर घटकों के रेखाचित्र, विनिर्माण, निर्माण और उपयोग से संबंधित कोई अन्य विषय के लिए, जिसे बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाना है ।

41. धारा 39 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 40 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि, नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नियमों और
विनियमों का
संसद् के समक्ष
रखा जाना ।

राज्य सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति ।

42. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और प्रकाशन पूर्व की शर्त के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सभी या किन्हीं उपबंधों के लिए नियम बना सकेगी जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों से असंगत न हों, अर्थात् :—

(क) धारा 5 की उपधारा (8) के अधीन मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक की शक्तियां और कर्तव्य ;

(ख) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन बाँयलर के पंजीकरण हेतु संदेय फीस;

(ग) वह अवधि, जिसके भीतर निरीक्षक को धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन बाँयलर की परीक्षा करने की अपेक्षा होगी ;

(घ) धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाँयलरों के अंतरण की रिपोर्ट करने की रीति ;

(ङ) धारा 23 की उपधारा (4) के अधीन किसी दुर्घटना के संबंध में जांच की रीति ;

(च) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन अपील करने की रीति ;

(छ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन अपीलों का निपटान करने की प्रक्रिया ;

(ज) वह रीति, जिसमें इस अधिनियम के अधीन शास्तियां, जुर्माने और उद्ग्रहीत लागतों का धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन उपयोग किया जाएगा ;

(झ) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने की रीति ;

(ञ) धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

आदेशों की
अंतिमता ।

43. धारा 25 और धारा 26 के अधीन केंद्रीय सरकार का, या मुख्य निरीक्षक का, या किसी उपमुख्य निरीक्षक का, या निरीक्षक का आदेश अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर
करने की शक्ति ।

44. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाइयां दूर करने में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और
व्यावृत्ति ।

45. (1) बायलर अधिनियम, 1923 निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,—

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना, बनाया गया नियम, विनियम या अनुदत्त डिक्री, आदेश या छूट, इस प्रकार प्रभावी होगी, मानो वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी की गई है या उन्हें बनाया गया है, अनुदत्त किया गया है जब तक कि इस अधिनियम के अधीन कोई नई अधिसूचना, नियम, विनियम, उपविधि, आदेश या छूट जारी, बनाया या अनुदत्त नहीं कर दिया जाता है ;

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन स्थापित या सृजित कोई कार्यालय, नियुक्त अधिकारी या गठित कोई निकाय उसी प्रकार बना रहेगा और इस अधिनियम के अधीन स्थापित, सृजित, नियुक्त या गठित हुआ समझा जाएगा ;

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी दस्तावेज के इस अधिनियम या इस अधिनियम के उपबंधों के अर्थान्वयन में विनिर्दिष्ट रूप में समझा जाएगा ;

(घ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कोई जुर्माना या शास्ति उसी प्रकार वसूलनीय होगा, मानो वह यह इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किया गया हो ;

(ङ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध का उसी प्रकार अभियोजन किया जाएगा और दंड दिया जाएगा, मानो वह इस अधिनियम के अधीन कारित किया गया हो ;

(च) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई भी बॉयलर, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत हुआ समझा जाएगा ;

(छ) दक्षता या प्रवीणता का कोई प्रमाणपत्र, छूट या कोई अन्य प्रमाणपत्र या दस्तावेज, जो इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन जारी किया गया है, बनाया गया है या अनुदत्त किया गया है और इस अधिनियम के प्रारंभ के समय प्रवर्तन में था, उसी प्रकार समझा जाएगा, मानो यह इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया है, बनाया गया है या अनुदत्त किया गया है, और यथास्थिति, प्रमाणपत्र या दस्तावेज में दर्शित तारीख तब तक प्रवर्तन में बना रहेगा जब तक, यह इस अधिनियम के अधीन रद्द न कर दिया जाए ;

(ज) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विचारित या निपटाई जा सकेगी ;

(झ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन, जो कोई निरीक्षण, अन्वेषण या जांच की जानी है, उसी प्रकार अग्रसर होती रहेगी, मानो ऐसा निरीक्षण, अन्वेषण या जांच इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किए जाने हेतु आदेश किया गया है ।

(3) इस धारा में उल्लिखित विशिष्ट मामलों पर, निरसन के प्रभावी होने के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने पर प्रतिकूल या प्रभाव नहीं डालेगी ।

(4) उपरोक्त अधिनियम के निरसन में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड तब तक कार्य करता रहेगा, जब तक इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाए ।

डॉ. राजीव मणि,
सचिव, भारत सरकार ।